तृतीय माला, खण्ड ९—अंक ७

गुरुवार, १५ नवम्बर, १९६२
२४ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या १९८ से २०५, २०७, २०८, २०६, २०९, २१०, २१३, २१५ और २१६ . . . ७५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २११, २१४, २१७ और २१८ . ७७६—७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५ से ४६९ . . ७७७—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७९८—९००

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन ८००

सीमा शुल्क विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य . ८००

कार्य मन्त्रणा समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . . . ८००—०१

बहु एककों के सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) १९६२—६३ ८०१—१५

श्री शाहनवाज खां . . . ८०१—०२, ८१३—१५

श्री नम्बियार . . . . . ८०२—०३

श्री उ० मूं० त्रिवेदी ८०४

श्री बड़े . . . . . ८०४—०६

श्रीमती बसंत कुमारी . . ८०६

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा . . . ८०६

श्री जोकीम आल्वा . . ८०६—०७

श्री दी० चं० शर्मा . . ८०७

श्री बसुमतारी . . . ८०७

श्री सोनावने . . ८०७—०८

श्रीमती सरोजिनी महिषी . . ८०८

श्री प्रिय गुप्त . . ८०८—०९

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख ८०९

श्री त्यागी . . ८०९

श्री द्वा० ना० तिवारी . . ८०९—१०

श्री श्याम लाल सर्राफ . . ८१०

श्री बेरवा . ८१०—११

श्रीमती लक्ष्मी पाई . . . ८११—१२

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १५ नवम्बर, १९६२

२४ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दल्ली को भाखड़ा से बिजली का सम्भरण

†*१९८. **श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या सिंचाई ग्रौर विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल कार्यक्रम के ग्रनुसार १ सितम्बर, १९६२ से राजधानी को भाखड़ा से १२,००० किलोवाट बिजली का ग्रतिरिक्त संभरण नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो इस में कहां तक विलम्ब हुग्रा है ; ग्रौर

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई ग्रौर विद्युत् मंत्री के सभा सचिव (श्री सै० ग्र० मेहदी) :** (क) से (ग). १४ ग्रक्तूबर, १९६२ तक ग्रतिरिक्त बिजली ग्राने में विलम्ब हो गया था क्योंकि ग्रतिरिक्त बिजली के लिए ग्रपेक्षित स्विच गीयर को चालू करने में समय लग गया था।

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या राजघाट बिजली घर की मरम्मत ग्रादि ग्रतिरिक्त बिजली मिलने तक रोक दी गई है जब कि इसकी मरम्मत पहले ही हो जानो चाहिए थी तथा दिल्ली को बिजली का संकट जिसमें खराबी के कारण में कभी हो सकता है ?

†**श्री सै० ग्र० मेहदी:** ग्रब बिजली की कमी नहीं है। में समझता हूं कि राजघाट बिजली घर पर इसका कोई ग्रसर नहीं पड़ा है।

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या यह सच नहीं है ...

†मूल ग्रंग्रेजी में

2221(Ai) LSD—1.

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि अब कोई खतरा नहीं है। उन्हें आशंकित नहीं होना चाहिए ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि भाखड़ा से बिजली दिल्ली को एक नये ट्रांसफारमर के द्वारा मिलती है और कोई व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां, तो अन्य व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : इस समय भाखड़ा नंगल से नये ट्रांसफारमर पर बिजली ली जा रही है। मंत्रालय के अधीन एक बोर्ड नियुक्त किया गया है और यह दिल्ली को भविष्य में बिजली के संभरण का भी विचार करेगा।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि भाखड़ा-नंगल नंगल और दिल्ली जल विद्युत् संयंत्र को एकीकृत कर के चलाया जाये ? यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**सिचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: दिल्ली में हम एक जल विद्युत् केन्द्र बनाने जा रहे हैं। इस में दिल्ली प्रशासन का एक एकक और पंजाब का एक एकक स्थापित होगा। इन दोनों विद्युत् केन्द्रों के एकीकृत संचालन में समय लगेगा।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या इस बिजली का माल ले जाने आदि के लिए उपयोग किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक दूसरी बात है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या जम्मू तथा काश्मीर और पंजाब में निर्मित अन्य विद्युत् प्लांटों के साथ साथ भाखड़ा की विद्युत् क्षमता को भी बढ़ाने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : पंजाब, दिल्ली, राजस्थान आदि को मिलाने वाला ग्रिड बनाने का विचार है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : जम्मू तथा काश्मीर के बारे में क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसा भी विचार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पंजाब तथा दिल्ली का कोई भी सदस्य इसमें रुचि नहीं ले रहा है। अन्य राज्यों के सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं।

व्यास परियोजना

†१९९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार और विश्व बैंक ने व्यास परियोजना के लिये भारत को काफी कर्ज देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कर्ज की रकम कितनी है और किन शर्तों के अधीन यह रकम हमें दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव (श्री सैं० अ० मेहदी) : (क) और (ख). अमरीका सरकार तथा विश्व बैंक ने व्यास परियोजना के लिए क्रमशः ३३० लाख डालर और २३० लाख डालर का ऋण देने की इच्छा जाहिर की है। ऋण के लिए शर्तों के बारे में बातचीत हो रही है।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या इस ऋण में परियोजना की विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता आ जाती है ?

†श्री सैं० अ० मेहदी : इस परियोजना के लिए तीसरी योजना में कुल आवश्यकता २८ करोड़ रुपये है और यह ऋण आशा है २७ करोड़ रुपये होगा। शेष के लिए बातचीत हो रही है।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जब यह परियोजना पूरी हो जायेगी तब इसेसे कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी और इसे की कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता होगी ?

†श्री सैं० अ० मेहदीः यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†श्री हरि विष्णु कामत : इसका निर्णय आपको ही करना है कि यह प्रश्न इससे उत्पन्न होता है ।

†अध्यक्ष महोदय : उनको जानकारी नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : वह भी तो बता सकते हैं।

†श्री दे० द० पुरी : क्या वर्तमान संकटकाल के कारण व्यास परियोजना में विलम्ब हो जायेगी ?

†श्री सैं० अ० मेहदी : जी नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : कुछ क्या यह परियोजना तीसरी योजना में पूरी हो जायेगी अथवा इसको चौथी योजना में पूरा किया जायेगा? यदि यह चौथी योजना में पूरी होगी तो तीसरी योजना में यह कितनी पूरी हो जायेगी ?

†श्री सैं० अ० मेंहदी : परियोजना चौथी योजना में पूरी होगी। तीसरी योजना में व्यास लिंक और नहर दोनों अंशतः बनाई जायेंगी और शेष चौथी योजना में बनाई जायेगी।

कोयला क्षेत्रों के निकट तापीय बिजलीघर

†*२००. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला क्षेत्रों के निकट तापीय बिजलीघर स्थापित करने की कोई योजना बना रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तौरान क्रियान्वित की जायेगी ; और

(ग) ऐसे कितने बिजलीघर बनेंगे तथा कहां-कहां बनेंगे ?

†**सिचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्पष्टतः बताया गया है कि लदान का खर्च कम करने के लिए और परिवहन पर दबाव को हटाने के लिए यह उचित समझा गया कि कोयला खानों, कोयला धोने के कारखानों तथा शोधनशालाओं के निकट भाप के बिजली घर बनाये जायें । इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडम, बिहार में चन्द्रपुर और पथराटू, जम्मू तथा काश्मीर में कलाकोट, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा तथा कोरबा, मद्रास में नेवेली, उड़ीसा में तालेवर और उत्तर प्रदेश में ओबरा में एक एक बिजलीघर है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन सभी परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ? यह देसी सामग्री से स्थापित होगा अन्यथा बिजली घर के लिए अपेक्षित मशीनें विदेश से आयात की जायेंगी ?

†**श्री अलगेशन** : इन परियोजनाओं के बहुत से एकक तीसरी पंचवर्षीय योजना में चालू होंगे । इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है । यह इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कर दी गई है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन बिजली घरों में किस ग्रेड का कोयला प्रयुक्त होगा ?

†**श्री अलगेशन** : मैं उत्तर में बता चुका हूं कि कोयला खानों तथा कोयला धोने के कारखानों के निकट इन बिजलीघरों को इसलिए स्थापित किया जा रहा है जिससे निम्न स्तर का कोयला प्रयुक्त हो सके क्योंकि इस निम्न स्तर के कोयले का परिवहन करना लाभदायक होगा ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या रानीगंज-आसनसोल कोयला क्षेत्र में तापीय बिजली घर स्थापित करने की कोई योजना है ।

†**श्री अलगेशन** : मैंने उन सभी बिजली घरों के बारे में बताया है जो हम बनने जा रहे हैं । माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र के बारे में बताया है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतया उनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में नहीं बताया गया है ।

†**डा० रानेन सेन** : यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है । यह तो अतुल्य घोष का निर्वाचन क्षेत्र है ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या यह सच है कि जब रूस के उप प्रधान मंत्री यहां आये थे उस समय बिजली घर के संभरण की नई सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बिजलीघरों का वितरण करने तथा कोयले के कारखानों के निकट स्थापित करने का है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : रामगुडम तापीय बिजली घर की उत्पादन क्षमता क्या होगी और परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं परन्तु इस समय वह मेरे पास नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : जग जानकारी उनके पास नहीं है तो वह कैसे बता सकते हैं ?

†श्री अलगेशन : मैं जानकारी दे दूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है ।

†डा० क० ल० राव : क्या कोयले की खानों में तापीय बिजली घर की क्षमता और बढ़ाई जायेगी जिससे अन्य निकटस्थ राज्यों की कमियां पूरी हो जायेंगी ?

†श्री अलगेशन: जी हां । पहला क्रम पूरा हो जाने के बाद इसको आरंभ करने का विचार है ।

†डा० क० ल० राव : संकटकाल के कारण ।

†श्री अलगेशन : संकटकाल के कारण हमें प्रथम क्रम का निर्माण करना है । हम इस पर विचार करेंगे ।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने मंत्रालय के प्रस्तावानुसार इन बिजलीघरों के निर्माण के बारे में विशेषज्ञों का परामर्श ले लिया है ?

†श्री अलगेशन : मुख्य उत्तर यही है । सभी बिजली घर कोयला खानों में होंगे ।

†श्री वारियर : क्या विदेशों से आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं कि सभी मशीनें समय पर मिल जायें ?

†श्री अलगेशन : मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक प्रस्तावित बिजलीघर मैं समझता हूं काश्मीर में है । यदि यह योजना वास्तविक अनुमान पर आधारित है तो मैं समझता हूं कि काश्मीर में बड़े पैमाने पर कोयले का खनन अभी आरंभ नहीं हुआ है ?

†श्री अलगेशन : जी हां । वहां भी कोयले की खानें हैं और उसमें से कोयला खोदने का विचार है ।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : कालकोट में बहुत सा कोयला पड़ा है मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर बनाये जाने वाले बिजलीघर में कितनी प्रगति हुई है ?

†श्री अलगेशन : मैं इसका उत्तर ऐसे नहीं दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

+

†*२०१. { डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वारियर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं की सरकार जांच कर रही है और यह जांच पूरी होने में समय लगेगा ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** इस जांच के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं समय नहीं बता सकती मैं बता चुकी हूं कि इसकी जांच हो रही है और जांच हो जाने के बाद परिणामों का पता लगेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** भारतीय बीमा करने वाले की तुलना में सामान्य बीमा व्यवसाय में कितने प्रतिशत अभारतीय बीमा करने वाले हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सामान्य बीमा व्यवसाय में लगे हुए अभारतीयों की प्रतिशतता की मुझे जानकारी नहीं है । यही प्रश्न अलग से पूछा जायेगा तो मैं उत्तर दे सकूंगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय उपमंत्री ने बताया कि कुछ बातों पर विचार हो रहा है। क्या सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** प्रश्न की जांच करने से पहले सिद्धान्त को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार पर दबाव नहीं डाला जामा चाहिए ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** तो वह जांच किस चीज की कर रहे हैं जबकि उन्होंने नीति निश्चित नहीं की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए अथवा नहीं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा एक निवदन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और सरकार से पहले ही नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसका राष्ट्रीयकरण होगा अथवा नहीं क्योंकि इसका अर्थ व्यवस्था पर असर पड़गा और लोग फायदा उठायेंगे।

†श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि प्रधान मंत्री ने समाचारपत्रों को बताया है कि वह इसके पक्ष में हैं। मैं इसीलिए जानना चाहता हूं।

†श्री मोरारजी देसाई : यह गलत है।

†श्री वारियर : देश में सामान्य बीमें का वार्षिक व्यवसाय क्या है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे पास अन्तिम आंकड़े नहीं हैं परन्तु कुछ समय पहले यह लगभग ६० करोड़ रुपये था।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जब तक नैशनलाइजेशन नहीं होता तब तक जो लाखों रुपयों की पालिसीज मारी जा रही हैं और पब्लिक का लाखों रुपयों का नुक्सान हो रहा है, उसके लिये सरकार क्या तजवीज सोच रही है?

श्री मोरारजी देसाई : यह कहना तो सही नहीं है कि लाखों रुपयों की पालिसीज मारी जा रही हैं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने इसकी जांच करली है कि इन सामान्य बीमा समवायों को विदेशी व्यापार में बहुत हानि हुई है। क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सभी बातों की जांच की जा रही है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके क्या परिणाम निकले ।

श्री सरजू पाण्डेय : चूंकि इस संकटकालीन परिस्थिति में हमको रुपयों की जरूरत है क्या निकट भविष्य में सरकार इस बारे में कोई फैसला करेगो?

†श्री मोरारजी देसाई : संकटकालोन स्थिति के होते हुए अभी कुछ नहीं किया जायगा।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि कंट्रोलर आफ इश्योरेंस, शिमला को सामान्य बीमा के नियंत्रण के अधिकार हैं; यदि हां, तो बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण की क्या आवश्यकता है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह केवल सुझाव है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस प्रश्न की विभागीय तौर पर अथवा विशेषज्ञ संस्था द्वारा जांच की जा रही है, यदि विषशेज्ञ संस्था द्वारा जांच की जा रही है तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : कोई विशेषज्ञ नहीं है। सभी विशेषज्ञ मंत्रालय में हैं।

†श्री जोकीम आल्वा : कुछ कम्पनियां इस पर से काम करती हैं कि उनका राष्ट्रीयकरण हो जायगा। क्या पूंजी को बाहर भेजा या खाता अव्यवस्थित रखने के बारे में उनके खातों पर या विनियोजन पर जो वास्तविक न हो, कड़ी निगाह रखी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** हां, श्रीमान्। कड़ी निगाह रखी जाती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** सरकार ने परीक्षण के इस प्रश्न पर कब विचार आरम्भ किया था और सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किन कारणों से किया था?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** राष्ट्रीयकरण मांग वर्ष १९४४ में पहिली बार की गई थी और मांग संसद् में तथा उसके बाहर भी की गई थी। इन सब मांगों पर सरकार विचार कर रही है, परन्तु बहुत ही विस्तृत प्रभाव हैं। अतः जांच बहुत ही सावधानी पूर्ण की जायेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह कब आरम्भ हुई?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह समय समय पर की जा रही है।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने जनरल इंश्योरेंश चैकिंग करने के लिए जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाये हैं, उन क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिससे कि जनरल इंश्योरेंस के नियमों को कुछ कड़ा कर देने की आवश्यकता है?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न राष्ट्रीयकरण के बारे में है।

दण्डकारण्य परियोजना

†*२०२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नि० रं० लास्कर : }

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में विकास की रूपरेखा के संबंध में सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मामला कितने समय से विचाराधीन है और इस समस्या की अविलम्बयता की दृष्टि से अन्तिम निश्चय कब किया जायेगा?

†**श्री जगन्नाथ राव :** दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से क्षेत्र के विकास के लिए एक वृहत् योजना बनाने को कहा गया था और उन्होंने क्षेत्र का टेक्निकल-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए यह राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र परिषद् बना दी। क्योंकि इस मामले में विलम्ब होगा, मंत्रालय चाहता था कि प्राधिकार का मुख्य प्रशासक परियोजना रिपोर्ट तैयार करे। उसकी रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। उसके बाद, एक समिति नियुक्त की जायगी जो प्रश्न की जांच करगी।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह परियोजना रिपोर्ट किस किस विषय के बारे में होगी जो कि मंत्रालय को प्रस्तुत की जायगी?

†**श्री जगन्नाथ राव** : साधारण रूप में, यह क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्योंकि दण्डकारण्य परियोजना की पहिले से ही एक वृहत् योजना है जो कि समय समय कार्यान्वित की जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए पहलू पर प्रस्तावित समिति पुनः विचार करेगी, हालांकि यह बात अभी दिमाग में ही है।

†**श्री जगन्नाथ राव** : विकास के पहिले अंग का संबंध केवल पुनर्वास से है। दूसरा अंग क्षेत्र के औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकास के बारे में है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी को नियुक्त करने की आवश्यकता ही क्यों अनुभव की जा रही है। क्या कोई ऐसी बड़ी अड़चनें पड़ गई हैं इस कार्य में ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : प्रश्न की समिति द्वारा जांच होने की आवश्यकता है। निर्माण, आवास और संभरण, वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों और इन सबके ऊपर योजना आयोग के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठकर सभी सिफारिशों की जांच करेंगे और आपात की दृष्टि से इस प्रश्न की पुनः परीक्षा करनी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी क्या विशेष आवश्यकता थी ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैं जनाब की खिदमत में अर्ज कर दूं कि पहले जो स्कीम हमने बनाई थी वह बसाने की थी, पांच छः हजार फैमिलीज को लेकर। तीन या ४ हजार फैमिलीज इस साल जा रही हैं। अब हमें सोचना है कि चूंकि १८ या २० करोड़ रुपया लग चुका है इसलिये इस स्कीम को आगे कैसे चलाना है। हमेशा तो रिहैबिलिटेशन की स्कीम नहीं रगी। जनरल डेवेलपमेंट होगा। यह देखना होगा कि यह कितने अर्से में होगा और कितना रुपया लगेगा। मौजूदा हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि हम आगे बढ़ सकेंगे या नहीं।

†**श्री वें० वेंकटासुब्बय्या** : विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट निश्चित होने तक, क्या उस क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जायेगा ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : हमें ये संभावनायें देखनी हैं कि क्या वहां कोई उद्योग स्थापित किया जा सकता है या नहीं। निश्चय है कि परियोजना रिपोर्ट पर विचार करना होगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†२०३. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री बागड़ी : }

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री ३० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में

---

†मूल अंग्रेजी में

भ्रष्टाचार के कारणों का अध्ययन करके एक समिति ने जो रिपोर्ट कुछ दिनों पहले दी थी, उसकी विभिन्न सिफारिशों की क्रियान्विति की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई विभागीय समिति की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है और केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर को उन पर अमल करने के लिए हिदायत दी जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में पिछली बार जब मैंने प्रश्न पूछा था तो बताया गया था कि इस के बारे में कुछ निर्णय हो जायेगा तब उन सिफारिशों का सारांश इस सदन के पटल पर रख दिया जायेगा—

†**श्री जगन्नाथ राव** : मैं सिफारिशों का सारांश पटल पर रखूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी मुख्य सिफारिशें हैं, कम से कम उन पर प्रकाश डाल दिया जाये, और उनके लिये कौनसे खास कदम उठाये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह उन सिफारिशों को सदन की मेज पर रख ही रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, बात यह है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और कई वर्षों से इस पर विचार हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उनको सदन की मेज पर रख ही रहे हैं । उनको कहां तक पढ़ेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जो एक दो मुख्य सिफारिशें हैं उनके बारे में तो बता दिया जाये और उनके बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं यह बता दिया जाये ।

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): हम चार पांच चीजें कर रहे हैं । हमारा जो विजिलेंस है उसको हम ज्यादा तेज करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि विजिलेंस के केसेज बहुत जल्द खत्म हों । दूसरे जो हमारा टैकनिक्ल एग्जामिनेशन का सैल है उसको मैं मजबूत करना चाहता हूं ।

तीसरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे ६ एडीशनल चीफ इंजिनियर हैं । वे सब के सब दिल्ली में बैठे हैं । उनमें से एक तो बाहर जा चुका है और बाकियों को भी भेजना चाहता हूं ताकि इंस्पेक्शन आन दी स्पाट हो जिससे ठेकेदार भी चौकन्ने हों और अमला भी चौकन्ना हो ।

इसके अलावा हमारे पांच सुपरिटेंडिंग इंजिनियर हैं जो कि बिजली का काम करते हैं । वे सब दिल्ली में बैठे हैं और सारे हिन्दुस्तान का काम करते हैं । उनको भी बाहर भिजवा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता ।

एक दो और चीजें कर रहा हूं । आज तक तो हमारे ठेकेदार भाई हैं उनकी एक तरह की नामपली चली आ रही है । अब मैं कुछ काम नेशनल बिल्डिंग कांस्ट्रक्शन कारपोरेशन को दे रहा हूं, कुछ काम भारत सेवक समाज जैसी संस्थाओं को दे रहा हूं ताकि मानापली टूटे, और इसके अलावा जो इंस्पेक्शन और विजिलेंस जो है वह जितना भी तेज हो सके हो ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : आप साधु समाज को कुछ काम नहीं दे रहे । उनको भी थोड़ा काम दे दीजिये और कुछ आर्य समाज को भी दे दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ काम प्राइवेट मैम्बरों को भी करना है, साधसमाज के लिये काम वह करेंगे ।

†*श्री मेहर चन्द खन्ना : मेम्बरों की कोआपरेटिव सोसाइटी बन सकती है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी मुद्रा

†२०४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अब तक कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई है ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये उपलब्ध की गई विदेशी मुद्रा की धन राशि में कितनी राशि खर्च नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेशी मुद्रा का शीघ्र और कुशलता से उपयोग करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) तीसरी योजना परियोजनाओं और प्रोग्रामों के लिये वैदेशिक सहायता के रूप में अब तक १८८० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा दी गई है या उसका वचन दिया गया है ।

(ख) और (ग). दूसरी योजना के लिये दी गई वाह्य सहायता के रूप में ३७५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया गया । पूरी राशि के प्रयोग न करने के कारण और बाह्य सहायता के शीघ्र और कुशल उपयोग के लिये की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तीसरी योजना में हमारे पास बाह्य सहायत के रूप में एक हजार करोड़ रु० से अधिक हैं ? इन में से कितनी राशि विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और इसमें से कितनी राशि असंबंधित है ? क्या असंबंधित राशि इस आपात की दृष्टि से पुनः समायोजित की जा रही है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमें दिये गये अधिकतर ऋण सबंद्ध हैं और केवल थोड़ी राशि ही असंबंधित है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमन्, हमें स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये ।

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : ३७५ करोड़ रु० में से, ३४५ करोड़ रु० संबन्धित है और ३० करोड़ रु० असंबन्धित हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं प्रश्न के भाग (क) का उल्लेख कर रहा हूं । १८८० करोड़ रु० में से, कितनी राशि विभिन्न परियोजनाओं से संबद्ध है और कितनी राशि असबंद्ध है ? हमारे वर्तमान आपात को ध्यान में रख कर, क्या हमने असंबंधित ऋण के बारे में योजना में पुनः समायोजन करने पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : १८८० करोड़ रु० में से ३७५ करोड़ रु० तो व्यय हो गये। अतः वह तो इस में कम हो गये। शेष में से अधिकतर राशि सम्बन्धित है और इस में बहुत कम राशि असम्बन्धित है। इस सब पर यह देखने के लिये विचार किया जा रहा है कि क्या और पुनः समायोजन की आवश्यकता है। अभी मैं आपको कोई विवरण नहीं दे सकता।

†**श्री अ० प्र० जैन** : सम्बन्धित सहायता को असम्बन्धित बनाने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : केवल उन्हें मनाकर ये प्रयास हो रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण में उल्लेख है कि दूसरी योजना की सहायता इस कारण प्रयोग न हो सकी कि वह विभिन्न परियोजनाओं से सम्बन्धित थी। हमारी जानकारी यह थी कि ३० करोड़ रु० से अधिक असम्बन्धित थे। वह असम्बन्धित राशि क्यों प्रयोग न की जा सकी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उनका भी प्रयोग कुछ प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। स्वाभाविक है कि वे अन्तःसंवद्ध हो जाती हैं। हम असम्बन्धित संचित राशियों में से विदेशी मुद्रा देने में रुचि लेते हैं और हम उसकी जांच कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार के पास विदेशी मुद्रा की उस मात्रा का कोई मोटा अनुमान है जो कि चीनके विरुद्ध युद्ध करने के लिय आवश्यक प्रतिरक्षा शस्त्रास्त्र और अन्य प्रतिरक्षा सामग्री की प्राप्ति के लिय चाहिय और तीसरी योजना की उन परियोजनाओं के लिय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो पहिले ही स्वीकृत हो चुकी हैं ? क्या उनमें से कुछ छोड़ दी जायेंगी, कम कर दी जायेंगी या स्थगित कर दी जायेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा हो यदि यह प्रश्न अनुपूरक मांगों के समय पूछा जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, यह प्रश्न इसी से उत्पन्न होता है। और, मंत्री महोदय भी उत्तर देने को तैयार थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि मंत्री महोदय तैयार हों, परन्तु मैं उस की अनुमति नहीं देता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्यों, श्रीमन्। आपका क्या निश्चय है ? क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे ? मैं नहीं जानता कि इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि श्री कामत यह मानेंगे कि मैं उनके साथ तक प्रत्येक अस्वीकृत अनुपूरक प्रश्न पर तर्क नहीं कर सकता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कुछ कारण तो होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिरक्षा प्रबन्ध या चीन के खिलाफ हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के लिय कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ? वे यह नहीं बता सकते।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस आपात के समय जो कि पैदा हो गया, क्या इससे योजना की परियोजनाओं के लिये किये गये आवंटन में गड़बड़ी नहीं होगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह देखने के लिये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भागवत झा आज़ाद: अनोपयोग के इस विवरण में दिये गये कारण, अर्थात् पैराग्राफ ४, ५ और ६ में, ये हैं कि कुछ दोषयुक्त प्रशासी प्रक्रिया के कारण उनका प्रयोग नहीं किया जा सका। क्या उन कठिनाइयों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य को यह अवश्य समझना चाहिये कि दूसरी योजना की समाप्ति पर भी, कुछ राशियां तीसरी योजना के लिये थीं। वास्तविक राशि, जो पिछली योजना से मिली है, ७०० करोड़ रु० से कम है। हम उनका प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु उनका सम्बन्ध परियोजनाओं से है और परियोजना रिपोर्टें पूरी करनी हैं, आदि। कभी कभी अपेक्षित भारी मशीन के बनने में दो या तीन वर्ष लगते हैं। इस सब की जांच हो रही है।

†श्री जोकीम आल्वा : समाचार है कि योगोस्लेविया तथा अन्य पूर्वी योरोप के साम्यवादी देश और रूस आजकल पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। क्या उन्हें दी गई कोई परियोजना तीसरी योजना के क्षेत्र में नहीं दी गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है।

†श्री मुरारका : १८८ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा में, अमरीका और रूस का कितना कितना अंश है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे पास १८८ करोड़ रु० का व्यौरा नहीं है। मैं इसकी योजना से प्राप्त हुई राशि के लिये व्यौरा बता सकती हूं। रूस २३६·३१ करोड़, चैकोस्लावकिया २३·१० करोड़ रु०, योगोस्लेविया का ऋण १६·०५ करोड़ रु०, पोलैण्ड का ऋण १४·३ करोड़ रु०, स्वीटजरलैण्ड का ऋण ११·६८ करोड़ रु०, अमरीकी ऋण २३·८१ करोड़ रु०।

†श्रीमती सरोजिनी महिषी : विदेशों द्वारा लगाई गई शर्तों और पालन होने वाली प्रक्रिया कारण, क्या इसकी योजनाकाल में कोई राशि पूर्णतया विपगत हो गई थी ? कितनी राशि तीसरी योजना में लेजाई गई ?

(अन्तर्बाधा)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

†अध्यक्ष महोदय : अगल प्रश्न।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†२०५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन की जांच करने के बारे में ८ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आरम्भ की गई जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मामले में की गई जांच पड़ताल से यह सिद्ध नहीं हुआ कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मुझे भारतीय हंसर्ड से पता लगता है कि यह प्रश्न पिछले नवम्बर से अनिश्चित पड़ा है और तीसरी लोक सभा के पहले सत्र में मई में विभिन्न प्रश्न पूछे गये थे। इस मामले की जांच किसने की थी क्या यह विश्वास करने का कोई कारण है या इन प्रेस समाचारों में कोई सत्यता है कि इस मामले में लगाये गये अनापेक्षित आरोपों से कुछ सम्बन्धित उच्च पदाधिकारियों को स्थिति को अपने पक्ष में बदलने का समय मिल गया ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** ये सब आक्षेप गलत हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने पूछा था कि जांच किसने की ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** सम्बन्धित निदेशक ने जांच की।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह सभा को दिया जाने वाला उत्तर नहीं है। सम्बन्धित निदेशक कौन है ? हम यह जानना चाहते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई :** वित्त मंत्रालय में निदेशच थे। प्रवर्तन निदेशक। बह अन्य और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या कलकत्ता के स्टाहलुनियन एण्ड कम्पनी और इंगलेण्ड के अलेग्जेंडर मार्क्स से पूछताछ की गई है और क्या यह सिद्ध हुआ है कि इन विदेशी कम्पनियों में श्री पटनायक की कोई राशि जमा नहीं थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इन सब की जांच की गई है और वे दोष बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुए हैं।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार उस रिपोर्ट का सारांश सभा पटल पर रख सकेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मुझे खेद है कि मैं यह नहीं कर सकता।

†**श्री रंगा :** सरकार इसे किन कारणों से सभा पटल पर नहीं रखना चाहती ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री हेम बरुआ :** पिछली बार मैंने विशेष रुप से पूछा था कि "क्या सरकार ने श्री पटनायक पर लगाये गये इन आरोपों की जांच की है कि उन्होंने या उनकी पत्नी ने कुछ सरनामे योरोप से उधार लिये थे, कुछ पत्र टाइप कराये थे, और अप्रमाणीकृत पत्र ..... ।" फिर, उन्होंने कहा था "जांच होते में इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है ?" फिर, मैंने कहा था कि डीसोजा नामक एक व्यक्ति जांच करने के लिए योरोप भेजा गया था और पूछा था कि अधिकारी की उस रिपोर्ट का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर दिया जाता है कि उन सब आरोपों की जांच की गई है और वे सब निराधार पाये गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री और अधिक विशिष्ट उत्तर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अविशिष्ट प्रश्नों का विशिष्ट उत्तर कैसे दे सकता हूं ? मैं यही कहना चाहता हूं । (अन्तर्बाधा)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह विशिष्ट प्रश्न था । उन्होंने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य कुछ शान्ति रखें । मैं व्याख्या कर रहा हूं और वे क्रोधित क्यों होते हैं ? इससे केवल यह विदित होता है कि माननीय सदस्य पक्षपात की कितनी भावना से प्रश्न पूछ रहे हैं । मैं यही कहना चाहता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपने संक्षेप उत्तर दिया था ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : वे थोड़ा और सूचनात्मक उत्तर दें ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जो भी प्रश्न पूछे गये हैं उन सब की जांच की गई है—अर्थात् सरनामों और प्रत्येक वस्तु के बारे में । जहां भी यह कहा गया था कि उन्होंने अधिक धन लेकर जमा किया, उसकी भी जांच की गयी । हमने जर्मनी को भी अधिकारी भेजा था । वह गये और मूल्यों की जांच की । फिर, हमने देखा कि उठाये गये सन्देहों की कोई पुष्टि नहीं मिली । अतः मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : फिर उन्होंने कहा था "मैं जांच पूरी होने तक कोई भी रिपोर्ट या टिप्पण पटल पर नहीं रख सकता ।" अब, जांच समाप्त हो गई । उन्हें रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । इसका अर्थ अनिवार्य रुप से यह नहीं है । उस समय उन्होंने कहा था कि यह जांच पूरी होने से पहले कोई रिपोर्ट पटल पर नहीं रख सकते । अब, जांच पूरी हो गई है और यदि वह समझते हैं कि वह रिपोर्ट रखने में असमर्थ हैं, तो यह कैसे समझा जा सकता है कि उन्होंने वचन दिया था कि उसे पटल पर रखेंगे ?

†**श्री हेम बरुआ** : यह ठीक निष्कर्ष है । यह लोक हित में है कि वह पटल पर रखी जाये ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह प्रश्न २७ नवम्बर, १९६१ को पूछा गया था । यह सब रिपोर्ट में है । वित्त मंत्री ने कहा था कि केवल एक सौदा किया गया था और दूसरी बातों की जांच की जायेगी अब जांच पूरी हो गई है, हमारी मांग है कि जो भी पूरा हुआ है, उसकी सूचना दी जाये । फिर अध्यक्ष पीठ ने निश्चय किया कि जांच अभी चल रही है और पत्र जांच के पूरा होने पर पटल पर रखे जायेंगे । मैं पूरे हुए सौदे के बारे में जानना चाहता हूं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करके विदेशी बैंक में धन जमा करने के बारे में था और क्या यह राशि छोटी थी और यदि ऐसी बात थी तो क्या उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया गया था । क्या ऐसी बात थी ? मैं उसी बात के बारे में पूछना चाहता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सब से पहले यह समझा जाना चाहिये कि इन मामलों में अधिनियम के अधीन सूचना नहीं दी जा सकती । विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा १९(४) तथा आय कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५४ के अन्तर्गत, पकड़े गये कागज से प्राप्त सूचना

†मूल अंग्रेजी में

का ब्यौरा बताया नहीं जा सकता। इसलिये मैं इस मामले पर कोई रिपोर्ट नहीं रख सकता। मझे अधिनियम द्वारा ऐसा करने से रोका गया है...

†**श्री हेम बरुआ :** यह संसद पर लागू नहीं होता।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह सब जगह लागू होता है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना यह सब कुछ किया जा सकता है और विदेशी बैंक में धन जमा किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उस उपबन्ध के अधीन, यदि मंत्री समझता है कि वह सूचना नहीं बता सकते, यदि सूचना किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, तो संभवतः मैं समझता हूं वह सूचना यहां भी नहीं दी जा सकती। यहां यह दी भी नहीं जानी चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** यदि यह उन धाराओं के अन्तर्गत लेख है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, हम निश्चय ही यह जानकारी नहीं मांगेंगे। किन्तु जब वह मानते हैं कि एक विशिष्ट बात हुई और वह जांच के बाद साफ कर दी गई थी, तो क्या हमें यह जानने का हक़ नहीं कि वह बात क्या थी ? वे सभा के सामने बैंक का नाम या अन्तर्ग्रस्त राशि न बतायें। किन्तु यह बताया जाना चाहिये कि आया विदेशी मद्राके विनियमों के उल्लंघन में धन बैंक में जमा नहीं किया गया था। मुझे संदेह है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैंने बताया है कि सन्देह क्या था। सन्देह यह था कि कुछ राशि, कुछ मूल्य खरीदी गई थी और तब कुछ मूल्य दिखाया गया था, जब कि कम मूल्य दिया गया था ताकि वहां अधिक धन रखा जाए। ये आरोप थे।

इनमें कोई सचाई नहीं थी। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां धन जमा किया गया है। किसी ने भी यह बात नहीं कही। माननीय सदस्य मुझे कोई भी सूचना दे सकते हैं जो उनके पास है और मैं उसकी जांच करूंगा। बिना आधार आरोप लगाने का कोई उपयोग नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** माननीय मंत्री ने कहा कि उनके पास रिपोर्ट नहीं है। वह यह नहीं कहते कि वह सभा के समक्ष रिपोर्ट नहीं रख रहे। क्या वह रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे सभा के सामने रखेंगे ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैंने यह नहीं कहा कि रिपोर्ट मेरे पास नहीं। मैंने बताया है कि मैं इसे सभा के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि यह सूचना नहीं बताई जा सकती। (**अन्तर्बाधा**)

कुछ माननीय सदस्य उठे

†**श्री उ० म० त्रिवेदी :** विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा १९ तथा आयकर अधिनियम की धारा ५४ में उपबन्ध है कि जहां फौजदारी अपराध किया गया हो, या जहां कोई अपराधिक जांच हो, यह कोई अनिवार्य नहीं होता कि वह सामने नहीं रखी जा सकती। वे सभा के समक्ष रखे जा सकते हैं। जब वे सरकार को प्राप्त हो जाएं तो वह इसे सभा के समक्ष क्यों नहीं रख सकते ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** क्योंकि कोई अपराध नहीं किया गया।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्योंकि मैंने यह न केवल वित्त मंत्री से अपितु प्रधान मंत्री के साथ भी कुछ पत्र व्यवहार किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने यह प्रश्न उठाया है और वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से पत्र-व्यवहार किया है, प्रधान मंत्री ने

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने उत्तर में कहा है कि एक मामूली सा मामला उठा और वह जांच के बाद साफ हो गया। इस पत्र में मैंने विशिष्ट रुप से कहा कि विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन में एक विदेशी बैंक में धन जमा हुआ। अब वह कहते हैं कि उनको तथ्य बताए जाएं। वह मामूली मामला क्या खड़ा उठा था जो साफ हुआ था। क्या वह रिज़र्व बैंक की अनुमति लिये बिना विदेशी बक में धन जमा करने का मामला नहीं था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने निश्चित रुप से कई बार बता दिया है कि ऐसी बात नहीं थी।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : तब क्या मामूली बात उठी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बार बार उसी बात को दोहराने का कोई उपयोग नहीं जब उन्होंने उत्तर दे दिया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि वह लोक हित की दृष्टि से सूचना नहीं बता सकते। यही कारण दिखाई देता है, वह यह कहना नहीं चाहते। इसके सम्बन्ध में आपने पिछले सत्र में लोक हित के बारे में इस आशय का संसार की संसदों की उच्चतम प्रथाओं के बारे में जोरदार विनिर्णय दिया था। मंत्रियों द्वारा 'लोकहित' का रक्षा कवच अपनाया गया है। उस समय रक्षा मंत्री के बारे में आलोचना हो रही थी। आपने वह विनिर्णय दिया था।

> "पहले भी यह निर्णय किया गया है कि मंत्री को यह कहने का विशेषाधिकार है कि वह कुछ सूचना लोकहित की दृष्टि से नहीं दे सकते। किन्तु जब यह बात स्पष्ट तौर पर साफ है कि सूचना दी जानी चाहिये तो मैं अवश्य हस्तक्षेप करुंगा।" मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि व्यापक राष्ट्रीय हित की दृष्टि से मंत्री को छोटे हितों से ऊपर उठना चाहिये। आप मंत्री जी को आदेश दें कि वह कम से कम श्री द्विवेदी के द्वारा उठाये गये सवाल के उस प्रश्न का उत्तर दें कि माननीय प्रधान मंत्री ने पत्र में जिस बात का उल्लेख किया है वह क्या है। हमें कोई रिपोर्ट नहीं है, हमें कोई कागज नहीं चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री द्विवेदी मेरे पास आयें। हम उनके और प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। मैं उसे देख कर तब निर्णय दूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : धन्यवाद।

होटल जनपथ, दिल्ली

\+

*†२०७. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्रीमती गायत्री देवी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री य० ना० सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि नई दिल्ली में मध्यम आय वाले लोगों के लिये खोले गये होटल जनपथ ने इस वर्ष अगस्त में अपनी दरें लगभग ४० प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या होटल में आने वालों ने हाल में उनके द्वारा अनुभव की जान वाली विविध कठिनाइयों तथा होटल की दरों में इस बढ़ी वृद्धि के विरुद्ध शिकायत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (ग). जी, नहीं। जन पथ होटल में १ अगस्त, १९६२ से कमरों के किराय में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन २५ नये पैसे की वृद्धि की गयी है। कैटरर को भी विस्तर और प्रातःकालीन भोजन के लिय प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १ रुपये की वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है। बिस्तर और प्रातः कालीन भोजन शुल्क में वृद्धि लगभग ४ प्रतिशत बैठती है। कमरों के किराय में वृद्धि अतिरिक्त कर्मचारियों तथा स्वागत कर्ताओं पर अतिरिक्त और कुछ निर्माण सम्बन्धी सुधारों पर व्यय के लिय भत्ता देने के लिये की गयी है। कैटरर को वृद्धि करने की अनुमति, निवासियों को अच्छी सेवा देने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों की उपबन्ध करने के लिये दी गयी है।

(घ) इस बारे मेंयहां पर आने वालों से कई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, लीफोन और सेवा खाद्य पदार्थों की किस्म के बारे में कुछ शिकायते मिली थी, जिन पर तत्काल ध्यान दिया गया और ऐंसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कदम उठाये गये।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या यह वृद्धि राजधानी में अन्य गैर-सरकारी होटलों की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : उस बारे मैं मुझे कोई जानकारी नहीं है।

चिकित्सा सहायके कर्मचारी

+

†*२०८. { **श्री मोहसिन** :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ५ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को अनुपूरित करने के लिये चिकित्सा सहायक कर्मकचारियों को प्रशिक्षण देने पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री द० स० राजू)** :(क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने १७, १८ और १९ अक्तूबर, १९६२ को महाबलेश्वर में हुई अपन बैठक में चिकित्सा सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की सामान्य योजना को मंजूर किया है और सिफारिश की है कि इस प्रशिक्षण कार्य क्रम के लिये पाठ्यक्रम और विषय का और इस योजना में किसी न किसी रूप में देश में चिकित्सा कार्य में लगे तथा संभव अधिकाधिक व्यक्तियों को शामिल करने की संभावता को ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

में रख कर उम्मीदवारों के चयन के क्षेत्र में निकट से परीक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। समिति नियुक्त की जा रही है।

†**श्री मोहसिन :** क्या यह समिति नियुक्त कर दी गयी है और इसको अपना प्रतिवेदन देने को कब कहा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बताया कि यह नियुक्त की जा रही है।

†**श्री द० स० राजू :** यह नियुक्त नहीं की गयी है। यह नियुक्त की जा रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस योजना के अधीन लगभग कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और क्या इस योजना का केन्द्रीय करण किया जायेगा अथवा यह भारत के कई राज्यों में फैलाई जायेगी ?

†**श्री द० स० राजू :** उन्होंने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये ५ या ६ सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों की सिफारिश की है। इस समय, हमारे पास लगभग ३५०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और हम इस संख्या को बढ़ा कर ५००० करना चाहते हैं। अतः हमें लगभग ३०,००० सहायक चिकित्सा कर्मचारियों की आवश्यकता है। योजना का केन्द्रीय करण किया जायेगा। प्रत्येक राज्य को अपने संसाधनों का विकास करने का अधिकार होगा और वे अपने अपने सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे।

+　　**औषध नियन्त्रण प्रशासन**

†२०६ { **श्री विश्राम प्रसाद :**
　　　{ **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ में नियुक्त औषध जांच समिति ने सुझाव दिया था कि औषध उद्योग के अच्छे विकास के लिये प्रत्येक राज्य के लिये अलग औषध नियंत्रण के प्रशासन बनाये जाने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का इरादा औषध उद्योग की समस्त समस्याओं का पुनर्विलोकन करने और साधारण व्यक्ति द्वारा डी जा सकने वाली कीमत पर प्रमाणित कोटि की औषधियों का संभरण सुनिश्चित करने के लिये तरीकों का सुझाव देने के लिये अध्ययन दल नियुक्त करने का है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री द० स० राजू) :** (क) औषध जांच समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ, सिफारिश की है कि केन्द्र में और राज्यों में औषधि नियंत्रक पूर्णकालिक पदाधिकारी होने चाहिये और औषधि नियंत्रण प्रशासन का केन्द्रीयकरण किया जाये।

(ख) राज्य सरकारों को इस सिफारिश के बारे में बता दिया गया है। इस समय महाराष्ट्र गुजरात, मध्यप्रदेश, मैसूर और केरल में पूर्ण-कालिक पदाधिकारी है जो औषधि नियंत्रक के रूप में उपयुक्त अर्हता प्राप्त हैं।

(ग) एक औषधि और उपकरण स्टैण्डर्ड समिति नियुक्त की गयी है जो अन्य बातों के साथ साथ स्टैंडर्ड किस्म की औषधियों के संभरण के प्रश्न पर विचार करेगी। और औषधि और औषधि

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास परिषद् भारतीय औषधियों के अधिक मुल्यों की समस्या का अध्ययन कर रही है और विनियमन के योजना आयोग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** औषधियों में मिलाट रोकने और मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिये समिति के सुझाव कहां तक लाभप्रद हुये हैं ?

†**श्री द० स० राजू :** दो प्रश्न हैं औषधियों की किस्म और मूल्य नियंत्रण । किस्म के बारे में, औषधि उद्योग के समस्त प्रश्न की छानबीन करने और न्यूनतम किस्म-स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिये हाल ही में एक समिति नियुक्त की गयी है । उसमें अन्य निदेश-पद भी शामिल हैं । मूल्य नियंत्रण के बारे में, वाणिज्य तथा उद्योग की विकास परिषद् खाद्य-पदार्थ और कपड़े के मूल्य नियंत्रण के साथ साथ औषधियों पर विचार करेगी । योजना आयोग भी मूल्य-नियंत्रण के प्रश्न की जांच कर रहा है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इस मिलावट को रोकने और इस पर अधिक जोर दने के लिये नियमों में कुछ संशोधन करने के बारे में सोच रहा है ?

†**श्री द० स० राजू :** औषधि तथा स्टैण्डर्ड उपकरण समिति के निदेश-पदों में यह भी शामिल है ।

दिल्ली में गैस पैकेज पावर प्लांट

+
†*२०६. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली के संभरण के लिये गैस "पैकेज पावर प्लांट" को चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के संयंत्रों के लिये सिफारिश करना चाहती है जहां बिजली की बहुत कमी है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के संयंत्र की उपयोगिता के बारे में सन्तुष्ट हो गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** (क) कुमार समिति ने सिफारिश की है कि दिल्ली में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये दो दस मेगा वाट के गैस पैकेज पावर प्लांट स्थापित किये जायें ।

(ख) प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर प्रत्येक के गुणवगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(ग) कुछ परिस्थितियों में वे लाभदायक हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, क्या इस समय यह प्रस्ताव सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो कब ?

†**श्री अलगेशन :** हमने यह और अन्य सिफारिशें दिल्ली प्रशासन को भेज दी हैं । वह उनका परीक्षण कर रहे हैं । हमें अभी कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं मिला है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार उनसे, जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) में स्वीकृत किये गये हैं, देश के अन्य भागों के लिये ऐसे उपायों की सिफारिश करने को कहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : जहां तक आन्ध्र प्रदेश और मैसूर का सम्बन्ध है, हमने आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के लियें प्रत्येक के लिये दो गैस पावर पैकेज प्लांट मंजूर किये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, गैस "पैकेज पावर प्लांट" का नाम जरा अनोखा मालूम पड़ता है । अतः क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या विशेषतायें हैं ?

†**श्री अलगेशन** : ये संयंत्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जा सकते हैं और बिना अधिक व्यय किये स्थापित किये जा सकते हैं । उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है । यह लाभ है । डीजल संयंत्रों की अपेक्षा इनको चलाने में कम लागत आती है ।

पोंग में व्यास बांध के लिये विदेशी मुद्रा

+

*२१०. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम राज : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के लिये मशीनों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा जारी करने का कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है और क्या मशीनें खरीदने के लिये किसी देश का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)**: (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के प्राधिकारी व्यास परियोजना (पोंग बांध समेत) के लिये मशीनों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिये परियोजना के लिये प्राप्त होने वाले ऋण में से १.६४ करोड़ रुपये देने को सहमत हो गये हैं । परियोजना के लिये मिट्टी हटाने की मशीनों के आयात के लिय १,३१,६४,०८९ रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी गयी है । बाकी ३२,३५,९११ रुपये की राशि के लिये आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस परियोजना की कुल लागत क्या होगी और यह कितने समय में पूरी हो जायेगी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : परियोजना की कुल लागत लगभग १९३.२२ करोड रुप्य है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जायेगा, यह चौथी पंच वर्षीय योजना में चालू रहेगा और चौथी योजना-काल में पूरा होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय आवास बोर्ड

+

†२१३. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय आवास बोर्ड के गठन की परियोजना के रद्द करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) और (ख). इस मामले पर पिछले महीने हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि इस सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी अधिक आवास सहायता के लिये राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों की मांग के बारे में गम्भीर आलोचना की थी और उन्होंने ऐसी मांगों पर कुठाराघात किया था ?

†**श्री जगन्नाथ राव :** यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्यों नहीं ? उपमंत्री महोदय समझ नहीं सके । यह निर्णय करना उनका काम नहीं है, यह तो आपका काम है ।

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** मैं सम्मेलन में उपस्थित था । मेरे माननीय मित्र वहां नहीं थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं दिल्ली में नहीं था ।

†**श्री हेम बरुआ :** इससे क्या फर्क पड़ता है, समाचार पत्रों में यह छपा है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** प्रधान मंत्री जी ने उस सम्मेलन में भाग लिया था । उन्होंने कुछ बातें कही थीं । समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ । यदि मुझे ठीक से याद है, उन्होंने यह कहा था कि देश में उत्पन्न संकट काल को देखते हुए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ेंगी और संकट काल और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच की जानी चाहिये ।

संसदीय कार्य के लिये मुद्रणालय

+

*२१५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री १८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसदीय कार्य के लिये एक मुद्रणालय स्थापित करने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री यू० शे० नास्कर) : आवश्यकताओं का अन्दाजा लगा लिया गया है और एक प्रेस बनाने के लिये नक्शे तैयार किये जा रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : आप स्वयम् इस बात के साक्षी हैं, अध्यक्ष महोदय, कि इस पालियामेंट के प्रकाशनों में कितनी देरी हो रही है, और आप ने स्वयम् इस बारे में जोर डाला है । मैं जानना चाहता हुं कि जब यह मसला इतने दिनों से विचाराधीन है, तो कुछ न कुछ तो बतला दिया जाये कि कब तक यह शुरू हो जायेगा ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : जहां तक पालियामेंट के काम का सवाल है वह आज तक रुका नहीं है । हमारा छापाखाना जो मिंटो रोड पर है वह पालियामेंट का काम बखूबी कर रहा है । खयाल यह था कि पालियामेंट की प्रिंटिंग जो है वह ओवरनाइट हो जाय । यह इग्जामिन हुआ । इस में दिक्कतें महसूस हुईं । पालियामेंट में आज तक यह फैसला नहीं हो सका कि आनरेबल मेम्बर्स जो स्पीचेज यहां शाम को देते हैं वह सुबह तक छप सकती हैं या नहीं । तो सवाल जो है वह जेरे गौर है । रहा सवाल यह कि प्रेस के न बनने से पालियामेंट को तकलीफ होगी, तो मैं जिम्मेदार हूं कि एसी कोई बात नहीं होगी । आया हम मौजूदा हालात में दिल्ली में नया प्रैस बना सकेंगें या नहीं, यह डिपेन्ड करता है फाइनेन्सेज पर । जहां तक मैं देखता-हूं इस वक्त शायद मुझे फाइनेन्सेज नहीं मिल सकेंगे । जमीन हम ले चुके हैं, बिल्डिंग की प्लैन्स तैयार हैं, एस्टिमेट्स तैयार हैं, लेकिन मुमकिन है कि रुपये की दिक्कत हो ।

श्री भक्तदर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस बात का दावा किया है कि पालियामेंट के प्रकाशनों में देरी नहीं होती है । तो क्या उन के ध्यान में यह बात है कि हिन्दी के डिबेट्स, कम से कम, तीन तीन और छः छः महीनों में हम को मिलते हैं । अतः क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हिन्दी का सवाल अलाहदा नहीं है । हिन्दी के सवाल की तरफ हम ने ध्यान दिया है । हिन्दी के मामले में दो दिक्कतें हैं । एक तो यह है कि हम को जो प्रेस मेटीरियल चाहिये उस को लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे यह है कि कम्पोजीटर्स वगैरह जो हिन्दी के प्रेस में काम करेंगे हम उन को भरती करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हाउस को प्रेस के न बनने से हिन्दी के काम में तकलीफ नहीं होगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : श्रीमन्, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि कोई विलम्ब नहीं है और हम को मिलने वाले बुलेटिनों और प्रश्नों के आधार पर जानकारी को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा उत्तर दिया जा सकता है कि संसदीय सामग्री के मुद्रण में कोई विलम्ब नहीं होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो अपनी अपनी राय है । यदि वाद-विवाद छप जाते हैं और दस दिन में बंट जाते हैं तो कोई यह सोच सकता है कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है और वे रातों रात छप जाने चाहियें थे जब कि दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि क्योंकि पहले ये तीन महीने बाद प्रकाशित हुए थे अब हम दस दिन में अथवा आठ दिन में प्रकाशित कर रहे हैं तो इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । परन्तु हम वाद-विवाद आदि को यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित कराने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । कुछ समय पहले मैं भी प्रेस में गया था । हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं और मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम यथासंभव विलम्ब में कमी करने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस समय मेरी मुख्य कठिनाई कागज की है । मेरे पास लगभग २०,००० कागज की कमी है । कागज तत्काल उपलब्ध नहीं है । हम जितना भी हो

†मूल अंग्रेजी में

सके इसको शीघ्र छापने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के कारण, मैं नहीं जानता कि उनके प्रकाशनों और अन्य कार्यों की क्या स्थिति है। यदि मुझे सेना के लाभ के लिये सेना की गतिविधि आदि के बारे में, प्रकाशन छापने पड़ें तो मुझे विश्वास है कि सदन मेरा साथ देगा। (अन्तर्बाधा)

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** उन्हें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। वह परिस्थिति वगैरह बिल्कुल भिन्न बात है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** श्रीमान् जी . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** हम मुद्रण में कठिनाइयों सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं तो सदन को केवल यह बतला रहा था कि प्रकाशन के मामले में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

†**श्री भागवत झा आजाद :** वह तो केवल अब उठा है। उससे पहले क्या स्थिति थी ? **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मैंने माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया है कि हम वर्तमान व्यवस्था से प्रकाशनों को यथासम्भव शीघ्र छापने के लिये उपयुक्त कदम उठायेंगे। हम इस पर ध्यान देंगे। मैं भी इस में रुचि लूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आपके शब्द बड़े स्पष्ट हैं।

†**श्री रंगा :** मुझे आशा है कि आप यह देखेंगे कि ये सब विभाग और मंत्रालय अपनी सब कठिनाइयों और असफलताओं को प्रतिरक्षा के कारण न बता दें। अब, जहां तक इसका सम्बन्ध है, यह प्रश्न संसदीय कार्य के लिये पृथक मुद्रणालय के बारे में है। यह प्रश्न कई वर्षों से उठाया जाता रहा है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति ने कई बार सिफारिश की है कि एक पृथक मुद्रणालय होना चाहिये। सरकार इस प्रश्न पर लगातार विलम्ब क्यों कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री रंगा :** उन्होंने केवल यह बताया है कि वे कदम उठा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं। वह एक पृथक् आश्वासन था कि एक पृथक् मुद्रणालय न बनाने से संसदीय कार्य न रुके। उन्होंने केवल यह कहा है कि वे उस पर विचार कर रहे हैं परन्तु अब कुछ समय तक एक पृथक् मुद्रणालय बनाना कठिन होगा।

†**श्री हरिश चन्द्र माथुर :** कागज़ की कमी का क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जब तक मेरे पास कागज़ नहीं हो, मैं वाद-विवाद छाप नहीं सकता। (अन्तर्बाधा)

†**श्री हरिश चन्द्र माथुर :** यह भ्रम स्पष्ट होना चाहिये। इसका कागज़ की कमी से क्या सम्बन्ध है ? यह हम आज छापें या दस दिन बाद, कागज़ की कमी का प्रश्न नहीं उठता।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न में वह बात नहीं है। अब अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जो कुछ आपने कहा, वह बड़ा स्पष्ट है उन्होंने इसको पेचीदा और अन्धकारमय बना दिया है ।

विदेशी यात्रा प्रतिबन्ध

+

†*२१६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नम्बियार :
श्री यशपाल सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९६२ में रिजर्व बैंक ने ८ जून, १९६२ के उस आदेश में परिवर्तन कर दिया है जिसके अन्तर्गत कुछ प्रकार की विदेश यात्रा को उस के उपबन्धों से विमुक्त कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किन श्रेणियों को विमुक्त किया गया है ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, हां ।

(ख) लंका और पाकिस्तान को यात्रा के बारे में इन क्षेत्रों में अधिक यातायात के कारण, कुछ थोड़ी सी छूट दी गयी है । श्रेणियां ये हैं : (१) भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा जारी किये गये वीसाधारी और भारत-पाकिस्तान का पासपोर्ट वाले व्यक्ति; (२) कोलम्बो को मद्रास/त्रिचिनापल्ली से यात्रा और वापसी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : ८ जून के पहले आदेश को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रश्न के मूल उत्तर में बता चुकी हूं कि यह इसलिये है कि लोगों के पास भारत-पाकिस्तान पारपत्र थे और इस क्षेत्र में उन का अधिक आना जाना था ।

†**श्री प्र० च० बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस आदेश के अन्तर्गत लगाये गये यात्रा प्रतिबन्धों से विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, क्या सरकार उन प्रतिबन्धों को पूर्णतः हटाने पर विचार कर रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इन प्रतिबन्धों के कारण विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हुआ है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम**: क्या एयर इण्डिया के कर्मचारियों ने भी यह छूट देने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ? इस निर्णय के बाद विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : विदेश यात्रा के कारण विदेशी मुद्रा में बचत का ब्योरा मेरे पास नहीं है क्योंकि ६० प्रतिशत व्यक्ति बिना विदेशी मुद्रा के जा रहे हैं और स्वयं विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर रहे हैं। परन्तु ये प्रतिबन्ध इसलिये लगाने पड़े कि वे निर्बाध बाजार की अपेक्षा विदेश में मुद्रा का प्रतिकरात्मक प्रयोग कर रहे हैं। एयर-इंडिया को इन क्षेत्रों में अन्य सभी व्यक्तियों के लिये उपलब्ध सभी सुविधायें मिल रही हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चन्द्रपुरा बिजली सन्यन्त्र

†*२११. **श्री त्रिदिब्ब कुमार चौधरी :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा चन्द्रपुरा में बिजली संयंत्र का प्रस्तावित निर्माण, लागत में अंशदान के सम्बन्ध में बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच मतभेद होने के कारण रुका पड़ा है ; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एवं योजना आयोग के विचार दामोदर घाटी निगम एवं भाग लेने वाली बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को बता दिये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) चन्द्रपुरा तापीय विद्युत् केन्द्र एक सतत योजना है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार लागत में अपना अंश देने को राजी नहीं हुई है। उन के द्वारा देय लागत के आवंटन का प्रश्न राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन है।

गर्भ निरोधक सामग्री

†*२१४. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में गर्भ निरोधक सामग्री उत्पादन की कोई प्रस्थापना है ; **और**

(ख) यदि हां, तो यह उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में गर्भ निरोधक सामग्री उत्पादन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा नियमों का कार्यवहन

†*२१७. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा नियमों के असंतोषजनक रूप से अमल में लाये जाने के बारे में कई शिकायतें आई हैं तथा इस से विदेशों की यात्रा पर जाने के इच्छुक व्यक्तियों को काफी असुविधा और परेशानी हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाना

*२१८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के घनी आबादी के क्षेत्रों से उद्योग-धन्धों के बाहरी क्षेत्रों में हटाने के कार्य में इस बीच कहां तक प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** इस योजना का ब्यौरा दिल्ली प्रशासन द्वारा अभी तैयार किया जा रहा है ।

केरल में मकान बनाने की योजनाओं के लिये अनुदान

†४२५. **श्री प० कुन्हन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी योजना की अवधि में मकान बनाने की योजनाओं के लिये २० लाख रुपये का कोई अतिरिक्त अनुदान मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, ९० लाख रुपये का ।

(ख) अभी तक कोई नहीं और अधिक निधि देना उन की उपलब्धि पर निर्भर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद्-सदस्यों के लिये कई मंजिलों वाली इमारतें

†४२६. { **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों के रहने के लिये कई मंजिलों वाली एक इमारत बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां बनाई जायगी ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) और (ख). रफी मार्ग पर संसद् सदस्यों के लिये एक होस्टल बनाने की योजना मंजूर की जा चुकी है । इस होस्टल में ८४ सिंगल और डबल फ्लैट होंगे और छ मंजिलों वाले खंड होंगे ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

४२७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ९ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न सख्या ४०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली से चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अन्यत्र सुविधापूर्ण स्थान देने तथा वहां के पुराने क्वार्टरों को गिरा कर नये क्वार्टरों का निर्माण करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : प्रावस्था–१ (फ़ज़–१) में सम्मिलित किये गये ६४४ क्वार्टरों में से ५९८ क्वार्टर पहले ही खाली किये जा चुके हैं और उन सब के निवासियों को अन्य निवासस्थान दे दिये गये हैं । खाली क्वार्टरों को ढहाने का काम इस समय चल रहा है । इस भूमि पर ८०४ नये क्वार्टरों के निर्माण के लिये नक्शों और ऐस्टिमेटों की पड़ताल हो रही है और उन के लिये शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाने की सम्भावना है ।

मकान निर्माण, के संबंध में एशिया तथा सदूर पूर्व आर्थिक आयोग को गोष्ठी

†४२८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमीन की कीमतें स्थिर रखना, व्यक्तिगत रिहायशी भखंडों के आकार की अधिकतम सीमा और नगरीय क्षेत्रों में किरायों का विनियमन और नियंत्रण के सम्बन्ध में दिल्ली में सितम्बर

†मूल अंग्रेजी में

में आयोजित, एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की आवासन संबंधी गोष्ठी के सामने क्या हाउसिंग कमिश्नर ने कोई योजनाएं रखी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि चुने हुए गांवों में सड़कें और नालियां तैयार करने के लिये सरकार ने १०० प्रतिशत राजसहायता देने का निश्चय कर लिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) जमीन की कीमतों और जमीन के उपयोग पर नियंत्रण और किरायों पर भी नियत्रण के सम्बन्ध में गोष्ठी में भूतपूर्व हाउसिंग कमिश्नर द्वारा व्यक्त की गई राय तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिये गये सुझावों पर आधारित थी। अक्तूबर, १९६२ में नई दिल्ली में आवासन मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में राज्य सरकारों का ध्यान इन सुझावों पर दिलाया गया था।

(ग) जी हां।

आदित्यपुर में मकान

†४२९. { **श्री उ० मिश्र :**
श्री प्र० क० देव :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदित्यपुर (जमशेदपुर) में औद्योगिक आवासन योजना के अधीन बनाये गये अनेक मकान एक साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मकान बनाये गये हैं और कितने खाली पड़े हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जी हां। सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवासन योजना के अधीन आदित्यपुर (जमशेदपुर) में बनाये गये २१५२ मकानों में से १५६८ मकानों में पानी सप्लाई और बिजली का काम अभी पूरा करना बाकी है। बाकी ५८४ मकानों में से ५१ मकान १ अप्रैल, १९६१ से खाली पड़े हैं। योग्य कर्मचारियों को ये मकान देने के लिये बिहार सरकार शीघ्र कार्यवाही कर रही है।

कम आमदनी वाले लोगों के लिये मकान बनाने की योजना

†४३०. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम आमदनी वाले लोगों के लिये मकान बनाने की योजना के अधीन दिल्ली संघीय राज्यक्षेत्र को १० लाख रुपये की और रकम देना उन के मंत्रालय ने मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५४ से अब तक कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) २५३.९१ लाख रुपया।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय में अग्निकांड

४३१. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री यशपाल सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ अक्तूबर की रात को सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट के 'ऐल' ब्लाक में आग लगी थी ;

(ख) यदि हां, तो हानि का विस्तृत विवरण क्या है ; और

(ग) क्या यह आग किसी की असावधानीवश लगी अथवा शरारत की गई ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) आग केन्द्रीय सचिवालय भवन के निकट बने स्थायी मकानों (हटमेंटों) में 'ऐल' ब्लौक में नहीं, अपितु 'आइ' ब्लौक में लगी थी ।

(ख) कुछ फाइलें और लकड़ी की अल्मारियां जल गईं । इस इमारत के एक भाग में सीमेंट के पलस्तर, खिड़कियों के शीशों, दरवाज़ों, खिड़कियों, छतों, कड़ियों और रोशनदानों को नुकसान पहुंचा । कुछ लोहे के सन्दूकों को भी क्षति पहुंची ।

(ग) आग के कारणों की पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में क्षय रोगी

†४३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कितने क्षय रोगी है; और

(ख) उनमें से कितनों के लिए शय्याएं उपलब्ध हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में क्षयरोग का कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । २४५ रोगियों के लिए शय्याएं उपलब्ध हैं।

आयुर्वेदिक औषधियां

४३३. **श्री लखमू भवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुर्वेद की ऐसी कितनी तथा कौनसी औषधियां हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा सफल सिद्ध हुई हैं ; और

(ख) उक्त सफल औषधियों की क्या विदेशों में मांग है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त तथा भारतीय भेषज संहिता के द्वितीय संस्करण में सम्मिलित वनस्पति औषधियों की सूची नीचे दी गई है :

१. अनन्तमल
२. हिंगु (हिंग)
३. अशोक
४. अश्वगंधा
५. बेल
६. कत्था
७. भांग
८. लालमिर्च
९. चिराता
१०. धतूरा
११. जरामांसी
१२. कालमेघ
१३. हरड़
१४. बाकुची
१५. पुनर्नवा
१६. सर्पगन्धा
१७. रास्ना
१८. कुष्ठ (कूठ)
१९. विडंग (वायविडंग)

(ख) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

त्रिशूली बांध

४३४. **श्री लखमू भवानी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिशूली बांध का निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा;

(ख) इस बांध की लम्बाई कितनी होगी;

(ग) क्या इस पर बिजली-घर भी बनेगा;

(घ) यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष कितनी बिजली पैदा की जा सकेगी;

(ङ) इससे कितनी भूमि की सिंचाई होगी;

(च) इस योजना पर कितना व्यय होगा; और

(छ) क्या इसके लिये कोई सहायता बाहर से ली गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) त्रिशूली बराज का जनवरी, १९६३ में निर्माण आरम्भ करने की सम्भावना है।

(ख) बराज की लम्बाई ४६८ फुट होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) आरम्भ में ३०००–३००० किलोवाट के तीन यूनिट स्थापित होंगे। परियोजना का डिजाइन इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अन्त में इसमें ऐसे ही सात यूनिट स्थापित किये जा सकेंगे।

(ङ) इसमें कोई सिंचाई परिकल्पित नहीं है।

(च) परियोजना की लागत का अनुमान ३.३७ करोड़ रुपये का था। इसे दुहराया जा रहा है।

(छ) जी, नहीं।

बिहार में सोन बांध परियोजना

४३५. **श्री लखमू भवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार की सोन बांध योजना के लिये ऋण कहां से प्राप्त हुआ है;

(ख) कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है;

(घ) कितने वर्षों में यह बांध तैयार किया जायेगा;

(ङ) इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा;

(च) इससे कुल कितनी भूमि की सिंचाई होगी;

(छ) क्या इसके अन्तर्गत कोई विद्युत योजना भी है; और

(ज) इस बांध की लम्बाई कितनी होगी?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने इस परियोजना के लिए १५० लाख डालर के बराबर विकास ऋण देना मान लिया है।

(ग) लगभग १४.४३ करोड़ रुपये। इसमें उच्चस्तरीय नहर प्रणाली सम्मिलित नहीं है।

(घ) परियोजना के ३१ मार्च, १९६६ को पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ङ) परियोजना का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है।

(च) इस स्कीम से लगभग ७.३ लाख एकड़ भूमि को समुन्नत सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी और ३ लाख अतिरिक्त एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

(छ) इस परियोजना से विद्युत् उत्पादन करने का कोई विचार नहीं है।

(ज) ४७२२ फुट।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

†४३६. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६२–६३ में उड़ीसा के कमी वाले क्षेत्रों में कोई मझोली सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन कौन सी हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) गंजम जिले के कमी वाले क्षेत्र के लाभ के लिए बहुदा सिंचाई परियोजना (प्रक्रम १) स्वीकृत की गयी है। अनुमानित लागत ५७.४० लाख रुपया है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

†४३७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के डाक्टरों और कर्मचारियों के बर्ताव के विरुद्ध अत्यधिक विलंब और लापरवाही के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकार ने कितने मामलों में और क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उनके या उनके सहायक ने इस संबंध में दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का कोई अकस्मात् दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**:

(क)

वर्ष	शिकायतों की संख्या
१९६०	१९३
१९६१	२३०
१९६२ (३०–९–१९६२ तक)	१४०

(ख) अधिकतर शिकायतें बहुत मामूली ढंग की हैं और शिकायतों का कारण दूर करने के लिए समय समय पर कार्यवाही की जाती है। दूसरे मामलों में, निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:—

	चेतावनी	तबादला	बढ़ोतरी का बंद कर दिया जाना	नौकरी से बर्खास्त
गजेटेड	६६	१	–	–
नॉन–गजेटेड	२४	२	१	४

(ग) और (घ). जी हां। जो दोष मालूम हुए हैं उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी है और की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नयी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा एकक

†४३८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में १०० शय्याओं वाला बर्न्स एण्ड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट स्थापित करने की कोई योजना थी; और

(ख) यदि हाँ तो उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). इस यूनिट के लिए अब इमारत तैयार हो गयी है और वह जल्द ही सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को सौंप दी जायगी। साज सामान और कुछ कर्मचारियों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इस इमारत में ७० शय्याएँ लगेंगी ।

दिल्ली बृहत् योजना

†४३९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका कोई राज्यक्षेत्र दिल्ली की बृहत् योजना में शामिल किये जाने पर आपत्ति उठायी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आपत्ति को देखते हुए मूल आयोजना अब बदल दी जायगी या उत्तर प्रदेश को इस बात के लिए राजी करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि वह इस क्षेत्र को बृहत योजना में ही रहने दे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मानसिक रोग

†४४० { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने लक्ष्मणस्वामी मुदालियर समिति के इस कथन की ओर राज्यों का ध्यान दिलाया है कि मानसिक रोगों के संबंध में सभी राज्यों में संतोष की सामान्य भावना है और संपूर्ण देश में मानसिक रोगों के अस्पतालों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस संबंध में स्थिति सुधारने के लिए उनमें से किसी ने कोई ठोस कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी हाँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ संघीय राज्य क्षेत्रों और राज्य सरकारों से आज तक के प्राप्त उत्तरों से तैयार किया गया एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]** बाकी संघीय राज्यक्षेत्रों और राज्य सरकारों ने अभी तक उत्तर नहीं भेजे हैं।

पेनिसिलिन

†४४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों और औषधालयों में पेनिसिलिन के विपरीत प्रभाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जब विदेशों में तैयार की गयी पेनिसिलीन काम में लायी जाती थी, तब विपरीत प्रभाव के मामले बहुत ही थोड़े होते थे ;

(ग) १९६१-६२ में दिल्ली के अस्पतालों में पेनिसिलिन के प्रभाव के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्य होने का समाचार मिला है; और

(घ) उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी, नहीं।

(ख) पेनिसिलिन प्रतिक्रिया का उसके निर्माण से कोई संबंध नहीं है।

(ग) एक।

(घ) जिन लोगों का पूर्व इतिहास ऐसा है कि पेनिसिलिन उनके लिए उपयुक्त नहीं होती उन्हें पेनिसिलिन के इंजेक्शन नहीं दिये जाते।

क्षय रोगी

†४४२. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
　　　　श्री उमानाथ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महंगी दवाओं के कारण क्षयरोगी पूरा पूरा इलाज जारी नहीं रख सकते;

(ख) यदि हाँ तो क्या क्षयरोग केन्द्र क्षयरोगियों को दवाएँ नहीं देते;

(ग) क्या क्षयरोगियों को पर्याप्त दवाएँ सप्लाई करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रार्थना की गयी है; और

(घ) यदि हाँ तो क्या वे सचमुच सप्लाई की गयी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जहां तक उपलब्ध निधि से संभव है, क्षयरोग चिकित्सालयों में गरीब क्षयरोगियों को एन्टीबायोटिक्स सप्लाई किये जाते हैं।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नैशनल टी० बी० इंस्टिट्यूट, बंगलौर में परीक्षण प्रयोजनों के लिये थियासेटाजोन की ४ लाख गोलियां सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघीय

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बाल सहायता निधि ने १९६२ और १९६३ में २० चिकित्सालयों को सुसज्जित करने के लिये दो वर्ष की अवधि के लिये आई एन एच देने का वचन दिया है।

(घ) जी, नहीं। सप्लाई अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

नकली दवाइयां

†४४३. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली दवाइयां तैयार करने वाली कुछ फर्मों को आन्ध्र और महाराष्ट्र के राज्यों में सितम्बर, १९६२ में पकड़ा गया था ;

(ख) क्या उन्हें बहुत कड़ी सजा दी गई थी ;

(ग) क्या ऐसी दवाइयों का बनाया जाना रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दूसरे राज्यों की तरह आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में औषधि नियंत्रक ने व्यापारियों से डिस्टिल्ड वाटर और नार्मल सैलाइन एम्पोल्स पकड़े थे। महाराष्ट्र में निम्न स्तर की औषधियों के विरुद्ध चलाये गये आन्दोलन के फलस्वरूप, वहां के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने जून, १९६२ से १३ अक्तूबर तक, कुछ फर्मों द्वारा तैयार किये गये डिस्टिल्ड वाटर और नार्मल सैलाइन के २० लाख एम्पोल्स जब्त किये। ये औषधियां नकली होने के बजाय निम्न स्तर की थीं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस विषय पर विचार करने के बाद उन व्यापारियों के विरुद्ध जिन्होंने जब्त दवाइयों के स्टाक नष्ट करने का वचन दिया है, कोई कार्रवाई नहीं की। जहां तक महाराष्ट्र सरकार के मामलों का सम्बन्ध है, जांच पड़ताल अभी जारी है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

आन्ध्र प्रदेश

चिकित्सा विभाग के अधीन औषधि नियंत्रण प्रशासन ने निम्नलिखित १६ फर्मों द्वारा तैयार किये गये नार्मल सैलाइन और डिस्टिल्ड वाटर एम्पोल्स जब्त करने के लिये तुरन्त कार्रवाई की है :—

(१) मेसर्स ग्लूकोस प्राडक्ट्स, कलकत्ता।

(२) मेसर्स इन्टरनेशनल ड्रग हाउस, कलकत्ता

(३) मेसर्स थेराचेमिक्स, कलकत्ता—३०

(४) मेसर्स थेराप्यूटिक्स लेबोरेटरीज़, कलकत्ता

(५) मेसर्स बेलूर केमिकल फैक्टरी, कलकत्ता

(६) मेसर्स फिल्को प्रोडक्ट्स, कलकत्ता—९

(७) मेसर्स बंगाल रिसर्च इंस्टिट्यट, कलकत्ता

†मूल अंग्रेजी में

(८) मेसर्स मेडिको केमिकल इन्डस्ट्रीज़, कलकत्ता

(९) मेसर्स एलाइड ड्रग इन्डस्ट्रीज़, कलकत्ता

(१०) मेसर्स डोसेन केमिकल इन्डस्ट्री, कलकत्ता

(११) मेसर्स बंगाल फार्मस्यूटिकल इन्डस्ट्रीज़, कलकत्ता

(१२) मेसर्स आर्यन केमिकल वर्क्स लिमिटड, कलकत्ता

(१३) मेसर्स युनाइटेड ड्रग हाउस, कलकत्ता

(१४) मेसर्स न्यू बायो-फार्मा लेबोरेटरीज़, कलकत्ता

(१५) मेसर्स विटामिन लेबोरेटरीज़, कलकत्ता और

(१६) मेसर्स ए० सी० चक्रवर्ती एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

प्राईवेट मेडिकल संस्थाओं के साथ साथ सरकारी अस्पतालों के सभी जिला मेडिकल अफसरों और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को यह सूचित कर दिया गया है कि वे इन फर्मों द्वारा तैयार की गई कोई दवाओं का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा नकली औषधियां विरोधी समिति की अभी हाल में एक बैठक बलाई गई थी जो इस राज्य में यथासंभव नकली दवाइयों का निर्माण और उसकी दर को नियंत्रित करने के लिये निरोधात्मक उपायों का पता लगायेगी।

महाराष्ट्र :

कुछ जिलों में औषधि नियंत्रण प्रशासन के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में उसे और अतिरिक्त कर्मचारी देने का विचार है। नमूनों की जांच में शीघ्रता करने के लिये राज्य सरकार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की एक योजना पर भी विचार कर रही है।

केन्द्रीय औषध संस्थान

४४४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ५ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक केन्द्रीय औषधि (फ़ार्मेसी) संस्थान स्थापित करने का जो सुझाव विचाराधीन था, उसके बारे में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

गंडक परियोजना

४४५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक योजना के लिये बिहार सरकार गंडक प्रशासित क्षेत्र से कर्ज ले रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से बिहार सरकार ने अनुमति ले ली है ; और

(ग) क्या कर्ज अदायगी की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर भी रहेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली के अस्पताल

†४४६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गत तीन वर्षों में दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में हर वर्ष और हर अस्पताल में कितने भरती रोगी थे और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** :

अस्पताल	वर्ष	भरती रोगियों की संख्या	मृतकों की संख्या
विलिंगडन अस्पताल . .	१९५९	६,१०९	२९०
	१९६०	६,४९३	३६५
	१९६१	९,९२९	४९२
तीन वर्षों का औसत . .		७,५१०	३८२
सफदरजंग अस्पताल .	१९५९	१५,०३१	१,०४५
	१९६०	१८,४२७	१,२८०
	१९६१	२०,४३४	१,३९५
तीन वर्षों का औसत .		१७,९९४	१,२४०
इर्विन अस्पताल . . .	१९५९	२९,८०९	२,६०२
	१९६०	३३,१७१	२,८३६
	१९६१	३४,०२३	३,०४४
तीन वर्षों का औसत :		३२,३३४	२,८२७
पुलिस अस्पताल . .	१९५९	१,९८८	. .
	१९६०	२,२२१	३
	१९६१	२,०७९	१
तीन वर्षों का औसत .		२,०९६	१
केन्द्रीय जेल अस्पताल का मेंटल वार्ड .	१९५९	१२२	४
	१९६०	१३१	३
	१९६१	१४३	५
तीन वर्षों की औसत .		१३२	४

वी० एम० अस्पताल, त्रिपुरा

†४४७. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वी० एम० अस्पताल, त्रिपुरा में एनस्थेटिस्ट की एक जगह बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या इस समय वी० एम० अस्पताल, त्रिपुरा में एनस्थेसिया का कोई विशेषज्ञ डाक्टर है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). सरकार ने दिसम्बर, १९६१ में पहले ही वी० एम० अस्पताल, त्रिपुरा के लिये एक एनस्थेटिस्ट की जगह के लिये मंजूरी दे दी है।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन के अधीन एक सिविल असिस्टेंट सर्जन, श्रेणी १ को एनस्थेसिया का डिप्लोमा प्राप्त है। एनस्थेटिस्ट की जगह अभी तक भरी नहीं गई है।

देश में वायु शक्ति संयंत्र

†४४८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में बहुत से वायु शक्ति संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गंगुवाल बिजली घर

†४४९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगुवाल में २२० किलोवाट का परस्पर संबंध स्थापित करने वाला बिजली का सब-स्टेशन चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बनने में कितनी लागत लगी है ; और

(ग) इस बिजलीघर की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) ५० लाख रु०।

(ग) यह सब-स्टेशन भाखड़ा के २२० किलोवाट ट्रांसमिशन सिस्टम को गंगुवाल और कोटला के १३० किलोवाट ट्रांसमिशन सिस्टम से मिलाता है और इस प्रकार इन दोनों बिजली घरों से उपलब्ध बिजली को इकट्ठी करता है। इससे सिस्टम में कुछ हद तक परिवर्तन हुआ है, इससे सप्लाई निरन्तर बनी रहेगी, इससे मशीनों के संचालन और जल का प्रयोग बहुत किफायती ढंग से आसानी से किया जा सकेगा।

चेचक के टीके

४५०. **श्री बेरवा कोटा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेचक के टीके लगाने का कोई कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये राजस्थान में कितना रुपया इस योजना के अन्तर्गत रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के निमित्त राजस्थान के लिए योजना में ३५ लाख रुपये की व्यवस्था है ।

गांधी सागर बांध

४५१. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को गांधी सागर बांध से बिजली दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों की दरों में अन्तर क्यों है ;

(ग) दोनों राज्यों को किन किन दरों पर बिजली दी जा रही है और इसमें समानता लाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ; और

(घ) यह कब से किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । बिजली की सप्लाई के दर क्षेत्र में उत्पादन लागत के अतिरिक्त पारेषण तथा वितरण, चालन तथा रख-रखाव की लागत तथा भार अनुपात आदि पर निर्भर है । चूंकि दोनों राज्यों में ये भिन्न भिन्न हैं, दोनों विद्युत् बोर्डों द्वारा भिन्न भिन्न टैरिफ़ दर निश्चित किए गये हैं ।

(ख) तथा (ग). भार की मुख्य श्रेणियों के लिए दोनों राज्यों में चालू दर के मुताबिक लगभग औसत दरें निम्नलिखित हैं :—

	घरेलू तथा व्यापारिक	
	राजस्थान	मध्य प्रदेश
	(नये पैसे में, प्रति किलोवाट)	
(१) प्रकाश तथा पंखे . .	३७	२८
(२) ताप तथा शक्ति	१९	१३
(३) पब्लिक लाईट	२२.३	२५
(४) सिंचाई	१२	११.५
(५) छोटे तथा मध्यम उद्योग	१२.५	११.५
(६) बड़े उद्योग	८.२३	८.४०

चूंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड स्वतन्त्र व्यापारिक उपक्रम हैं, इस लिए वे ही टैरिफ दर निश्चित करते हैं ताकि उन्हें कोई हानि न हो । ऐसा होने से, दोनों राज्यों में बिजली के दरों में समानता लाना कठिन कार्य है ।

नगर आयोजन

†४५२. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में नगर आयोजन के लिए राज्यों को कितना धन दिया गया है ;

(ख) सरकार के पास अभी तक कितने "मास्टर प्लान" आये हैं और किन किन कस्बों तथा शहरों के संबंध में ;

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यों को किस आधार पर अनुदान दिये गये हैं ; और

(घ) क्या कोई केन्द्रीय नगर आयोजन ऐक्ट पेश करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत "नगर आयोजन और मास्टर प्लानों के निर्माण" के लिए कुल ५.४ करोड़ रु० का उपबन्ध है । इस उपबन्ध के दो भाग हैं ; ३.०० करोड़ रु० केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में दिया जायेगा और २.४ करोड़ रु० का उपबन्ध राज्य स्तर पर है ।

(ख) मास्टर प्लान केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की जरूरत नहीं है ।

(ग) अभी तक किये गये आवण्टन कई बातों को ध्यान में रख कर किये गये हैं जैसे राज्य की कुल नगर जन संख्या, कस्बों तथा नगरों की संख्या जिनके लिए हर राज्य को केन्द्र से सहायता दी जा सकती है, कितने सर्वेक्षण किये जाने हैं और उसमें क्या कठिनाइयां आयेंगी तथा उद्योग और परियोजनाओं आदि को कहां स्थापित किया जायेगा । वास्तव में हर मामले पर अलग ढंग से विचार किया जायेगा ।

(घ) जी नहीं

पंजाब में भूमि का जलग्रस्त हो जाना

†४५३. **श्री प्र० के० देव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पंजाब में भूमि के जलग्रस्त हो जाने की समस्या बहुत गंभीर हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने नये क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है ;

(ग) इस पानी को निकालने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या पंजाब सरकार ने इस मामले में केन्द्र की सहायता मांगी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र से शीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में ईर्विन अस्पताल में एक वृद्ध की मृत्यु

४५४. { **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर १९६२ में दिल्ली के ईर्विन अस्पताल में एक वृद्ध, जिसकी हालत नाजुक थी, प्रातःकाल से संध्या तक इंतजार करता रहा किन्तु उसे अस्पताल में दाखिले की पर्ची नहीं मिली ;

(ख) यदि हां, तो इस लापरवाही के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं । तथापि जैसा कि पता लगाया गया है, ८ अक्तूबर १९६२ की रात को ईर्विन अस्पताल के ई० एन० टी० डिपार्टमेंट के बरामदे में चौकीदार ने एक वृद्ध व्यक्ति को मरा हुआ पाया । चौकीदार ने इससे पूर्व, संध्या के समय भी उस व्यक्ति को देखा था और उसने सोचा कि वह कोई निराश्रित है और आश्रय पा यहां पर सो गया है । उसके बाद जब उसने देखा कि यह तो कोई बीमार है तो वह इस तथ्य को आकस्मिक मेडिकल अफसर के ध्यान में ले आया जिन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति की देख-रेख के लिए एक नर्सिंग-अर्दली तथा एक स्टाफ नर्स को नियुक्त कर दिया किन्तु तभी मालूम हुआ कि यह व्यक्ति तो पहले ही मर चुका है । पुलिस-रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पास कोई ओ० पी० डी० कार्ड या अन्य ऐसा कागज नहीं था जिससे यह मालूम होता कि मृतक की बहिरंग अथवा आकस्मिक विभाग में कोई चिकित्सा की गई । शव परीक्षा की रिपोर्ट बतलाती है कि मृतक टांग को अल्सर के अतिरिक्त, एथेरोमेशस परिवर्तनों के साथ थिकण्ड कारौनरी आर्टरीज से भी पीड़ित था और उसकी मृत्यु कारोनरी रोध के कारण हुई । ईर्विन अस्पताल के इन्क्वायरी अफसर ने आकस्मिक रोगियों के रिकार्ड की भी छान बीन की । वे रिकार्ड ८ अक्तूबर १९६२ को किसी ऐसे रोगी का इलाज हुआ नहीं बतलाते हैं जो ५५ से ७० वर्ष की आयु का हो और जीर्ण अल्सर से पीड़ित हो ।

(ख) और (ग). अस्पताल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को इस विषय की छान बीन करने तथा अस्पताल में आने वाले सभी रोगियों की ओर पर्याप्त ध्यान देने के लिये कहा जा रहा है ।

ब्यास परियोजना

†४५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास परियोजना प्राधिकार हिमाचल प्रदेश में ब्यास परियोजना यनिट संख्या १ और २ के लिए कितने एकड़ भूमि अर्जित करना चाहती है ;

(ख) इस क्षेत्र को अर्जित करने के लिए अर्जन-पत्र हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को किस तारीख को भेजा गया था ;

(ग) क्या भूमि अर्जित कर ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, भूमि के अर्जन में शीघ्रता कराने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ताकि योजना की कार्यान्विति में विलम्ब न होने पाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आवास योजनाओं के लिये राज्यों को जीवन बीमा निगम से ऋण

†४५६. श्री सेझियान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास योजनाओं के लिए अभी तक राज्यों को जीवन बीमा निगम ने राज्यवार कितना ऋण दिया है ; और

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की आवास योजना के लिए अलग से कुछ धन दिया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

राज्य का नाम	आवण्टित राशि	वास्तव में ली गई राशि (लाख रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	४१०.४६	३५२.२१
आसाम	२७.१५	८.९०
बिहार	१५०.६५	७७.६५
गुजरात	८०.१०	४५.१०
जम्मू और काश्मीर .	२५.००	१०.५०
केरल	७०.२०	४५.२०
मध्य प्रदेश . .	२५१.४५	१९७.९५
मद्रास . . .	३५४.००	२९९.१५
महाराष्ट्र . . .	३३७.७५	१७१.००
मैसूर . .	२४३.९५	१८९.४५
उड़ीसा	१५५.१०	१३०.८५
पंजाब	२६५.८५	१८४.८५
राजस्थान . . .	२३१.२१	१८४.४६
उत्तर प्रदेश . . .	२४७.५०	१२८.००
पश्चिम बंगाल	४९२.६३	३६५.१३
योग . .	३३४०.००	२३२०.०००

(ख) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की आवास योजना के लिए अलग से कोई राशि नहीं दी गई है ; परन्तु इस निगम के कर्मचारियों की सहकारी समिति इस योजना के अन्तर्गत निगम से जब भी ऋण मांगती है, उसे ऋण दिया जाता है । आज तक कुल ३७,५९,२२५ रु० का कुल ऋण स्वीकार किया जा चुका है, जिसमें से अभी तक ९,४२,९२६ रु० वास्तव में दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध

†४५७. **श्री उमानाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तृतीय वित्त आयोग की इस सिफारिश पर विचार कर लिया है कि केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जैसा कि १२ मार्च, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा ५ में बताया गया है, इस सिफारिश पर तुरन्त निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अगला वित्त आयोग नियुक्त करने से पहल और चौथी योजना के लिए धन की व्यवस्था करने का निश्चय करते समय इस सिफारिश पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा ।

विदेश स्थित भारतीयों द्वारा धन भेजा जाना

†४५८. { **श्री कृ० चं० पंत** :
श्री मुरारका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेश स्थित भारतीयों को कितनी राशि दी गयी ;

(ख) क्या यह राशि बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) गत तीन वर्षों में विदेश स्थित भारतीयों द्वारा प्राप्त की गयी राशि का व्योरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	लाख रुपये
१९५९	४९६
१९६०	४०३
१९६१	२७१

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

†४५९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इस वर्ष में उपभोक्ता के मूल्य देशनांक में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) ऊपर (क) में आय में हुई वृद्धि से रहन-सहन के बेहतर स्तर की ओर क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सी० एस० ओ० द्वारा बताये गये "द्रुत अनुमानों" के अनुसार वर्ष १९६१–६२ में स्थायी मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में २·२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) १९६१–६२ में श्रमजीवी वर्ग में उपभोक्ताओं के मूल्य देशनांक में २·४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए १९६०–६१ की तुलना में १९६१–६२ में प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी ही वृद्धि हुई है । परन्तु किसी एक वर्ष में राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि के आधार पर रहन-सहन के बेहतर स्तर की दिशा में हुई प्रगति के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता ।

सोने की बिक्री

†४६०. **श्री यशपाल सिंह :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री भु० द० सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६२ में बम्बई में भय के कारण सोने की बिक्री हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सितम्बर, १९६२ में विशेषतया महीने के शुरू में सोने के मूल्य कम हो गये थे । इसका मतलब यही है कि सोने की बिक्री साधारण से अधिक हुई होगी ।

(ख) यह समझने का कोई कारण नहीं है कि किसी आम भय के कारण सोने की बिक्री बढ़ी होगी । अतः सोने की अधिक बिक्री का कारण बेचने वालों की विशेष स्थिति से सम्बन्धित है ।

सोने की कीमत

†४६१. **श्री कजरोलकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में सोने की कीमतें कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या विभिन्न बाजारों में सोने के व्यापार की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लोकमत को शिक्षित बना कर सरकार सोने की मांग कम करने का प्रयत्न कर रही है ?

(ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है परन्तु भारत का रिजर्व बैंक सामान्य साधनों से देश के भीतर सोने के कारबार के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर रहा है ।

हिन्दी अनुभागों में सहायक संपादक

†४६२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कार्यालयों में काम के करने वाले हिन्दी सहायक संपादकों के वेतन-क्रम में एक दूसरे से भिन्नता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो इसका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके वेतन-क्रम में अन्तर के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार के अधीन, हिन्दी सहायक संपादक नाम का कोई पद नहीं है ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

अनुवादकों का वेतन-क्रम

४६३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम कर रहे अनुवादकों के लिये विभिन्न वेतन-क्रम निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वेतन-क्रमों का तुलनात्मक विवरण क्या है; और

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुवादकों का वेतन-क्रम निर्धारित करने का आधार क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुवादकों के वेतन-क्रमों का एक तुलनात्मक विवरण इसी के साथ संलग्न है ।

(ग) संशोधित वेतन-क्रम वर्तमान वेतन-क्रमों के रूपान्तरित क्रम हैं । पदों से सम्बद्ध कार्यों और दायित्वों में और प्रत्येक विभाग/मंत्रालय की आवश्यकताओं में अन्तर होने के कारण वर्तमान वेतन-क्रम अलग अलग थे । वेतन आयोग (पे कमीशन) की सिफारिश के अनुसार संशोधित वेतन-क्रम, महंगाई भत्ते के अधिकांश को मिलाकर, निर्धारित किये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]** ।

बाकी विदेशी ऋण

†**४६४. श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९६२ को विभिन्न देशों को देय शेष ऋण कितना था (राशियां देशवार बताई जायें);

(ख) हर मामले में ऋण अदायगी की तारीख क्या है;

(ग) उन पर हर साल कितना ब्याज होता है; और

(घ) तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में ऐसे बाकी ऋणों पर कितना वार्षिक ब्याज देय है (हर वर्ष) ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया ; देखिए संख्या एल० टी० ५३१/६२]** ।

गंदी बस्तियों को हटाना

†**४६५. श्री सेझियान** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१, १९५६ और १९६१ में मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली में कितनी-कितनी गंदी बस्तियां थीं, उनके मोटे आंकड़े क्या उपलब्ध हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त चारों नगरों को अभी तक केन्द्रीय सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) क्या दी गई राशियों का पूर्ण उपयोग इस काम के लिए किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं ।

(ख) गन्दी बस्तियां हटाने की योजना अलग-अलग राज्य सरकारे स्वयं चलाती हैं । उन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक गन्दी बस्तियों को हटाने/सुधार प्रयोजन के लिए मद्रास को १८१ लाख रु०, बम्बई को ४६७ रु० और कलकत्ते को २२४ रु० मंजर किये गये हैं । स्वीकृत योजना की ७५ प्रतिशत वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार देती है और काम पूरा हो जाने पर सरकार धन देती है ।

(ग) इन योजनाओं पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरट्टी में फार्म प्रेस

†४६६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) कोरट्टी (केरल) में फार्म प्रेस का निर्माण कब आरम्भ होगा; और

(ख) इस प्रेस को स्थापित करने के विलम्ब का क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस कोरट्टी (केरल) का निर्माण कार्य आगामी कुछ महीनों में आरम्भ होने वाला है ।

(ख) गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस कोरट्टी की स्थापना में विलम्ब होने का मुख्य कारण यह रहा है कि प्रेस मशीनरी के आयात के लिए विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।

गांधी समाधि राज घाट

४६७. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि गांधी समाधि (राजघाट) पूरी तरह कब तक बनकर तयार हो जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : समाधि की प्रावस्था (फेज)–१ का काम फरवरी, १९६३ तक पूरा हो जाने की आशा है । प्रावस्था (फेज)–२ के लिए (ऐस्टिमेट) की पड़ताल की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सन्थाल शरणार्थी

†४६८ { **श्री उमानाथ :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल के कुछ सन्थाल शरणार्थियों को बिहार में बसाये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कितने शरणार्थियों को बसाया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आवास सहकारी समितियां

†**४६९. श्री विशन चन्द सेठ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने आवास सहकारी समितियों की एक समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी समिति बनाने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). आवास व्यवस्था में सुधार करने में सहकारी आवास समितियां कितना महत्वपूर्ण काम कर सकती हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सहकारी आवास व्यवस्था के विकास के विवरण का परीक्षण करने, और अन्य बातों के साथ आवास के क्षेत्र में सहकारी समितियों के संगठन के लिए सिफारिश करने और वित्तीय तथा अन्य सहायता के लिए समुचित परिपाटी बताते हुए विशेष कार्यक्रम का सुझाव देने के लिए सहकारी आवास समितियों के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल नियुक्त कर दिया है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली विकास प्राधिकार प्रमाणित के लेखे और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रमाणित लेखे की एक प्रति उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ५२२।६२] ।

अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, १९६२ ,

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : श्री दातार की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २५

---

†मूल अंग्रेजी में

अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९४ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल, टी—४०४/६२]।

कोयला खान बचाव नियम , (संशोधन) नियम, १९६२ और लोहा और इस्पात उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के संबंध मे सरकारी संकल्प

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० का० पट्टाभिरामन) :** श्री हाथी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) खान एक्ट, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० १३२२ में प्रकाशित कोयला खान बचाव (संशोधन) नियम, १९६२।

[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० —५२३/६२]।

(दो) दिनांक १३ नवम्बर, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू बी०११(३५)।६२ जो कि पटना के लोहा और इस्पयत उद्योग के मजदूरों की मजूरी अन्तरिम वृद्धि के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में है।

[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५२४/६२]।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** मैं श्री बा०रा० भगत की ओर से सभा पटल पर रखती हूं :—

समुद्र सीमाशुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूंचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१८।

(ख) दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की जी० आर० संख्या १३१५।

(ग) दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३६९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५२५/६२]

समुद्र सीमाशुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१२।

(ख) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१३।

(ग) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० सख्या १२१४।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१५ ।

(ङ) दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३१४ ।

(च) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३४७ ।

(छ) दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३६८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५२६/६२]

औषधीय तथा साधन सामग्री (उत्पदन शुल्क) एक्ट, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(क) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३५२ ।

(ख) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३५३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५२७/६२]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा): मैं गैर सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिबेदन उपस्थापित करता हूं ।

सीमा शुल्क विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं सीमा शुल्क विधेयक, १९६२ सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

साक्ष्य

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : मैं सीमा शुल्क विधेयक, १९६२ सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

कार्यमन्त्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन से, जो १३ नवम्बर, १९६२ को सभा में पेश की गयी थी, सहमत हैं" ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवां प्रतिवेदन से, जो १३ नवम्बर, १९६२ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है"।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : इस सत्र के कब तक चलने की आशा है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : ज्योंही मैं सभा के कार्य की घोषणा करूंगा मैं सभा के स्थगित होने की लगभग तिथि बताऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवां प्रतिवेदन से, जो १३ नवम्बर, १९६२ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बहुएकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: मैं श्री सु० कु० डे० की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि बहुएकक सहकारी समितियां अधिनियम, १९६२ में अग्रत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि बहुएकक सहकारी समितियां अधिनियम १९६२ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर विचार करेगी और मतदान देगी। दो धाराओं का समय निर्धारित किया गया है।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : ये अनुपूरक मांगे वर्तमान संकट उत्पन्न होने से पहले तैयार की गई थीं। जिन और निधियों की आवश्यकता पड़ेगी उन के लिये संसद के अगले (आयव्ययक) सत्र में अनुपूरक मांगे रखी जयेंगी।

नई लाइने बनाने के लिये ५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग संख्या १५ मोरवा-कटनी लाइन का निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने के लिये प्रतीक मांग व्यवस्था है। यह लाइन सिंगरौली कोयला क्षेत्रों जिनका विकास तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में होगा में काम आयेगी। निर्माण कठिन होने के कारण इस परियोजना को शीघ्र आरम्भ करना आवश्यक है।

२.२५ लाख रुपये की मांग संख्या १६ अलनवार-डंडोली ब्रांच लाइन का मूल्य चुकाने के लिये जो १ अक्तूबर, १९६२ को मैसूर की राज्य-सरकार से तय किये गये मूल्य पर खरीदी गई थी। यह मालूम हुआ है कि इस लाइन का विकास अधिकतर अच्छा होगा यदि केन्द्रीय सरकार इस लाइन को अपने अधिकार में लेले।

---

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या ७ बजट पारित किये जाने के बाद कोयले के मूल्य में हुई वृद्धि और कोयले की अधिक खपत का मूल्य चुकाने के लिये है जिस का कारण है रेलवे को बजट में निर्धारित किस्म से घटिया किस्म के कोयले का संभरण ।

मांग संख्या ९ के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यत: पेंशन के गैर-हकदार अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में सरकारी अंशदान की है जो उन के अस्थायी सेवाकाल के सम्बन्ध में भी दिया जायेगा। भविष्य निधि में सरकार का यह अंशदान उन रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में नहीं दिया जायेगा जो १६ नवम्बर, १९५७ के बाद नियुक्त हुये हैं और जिन्हें सेवा निवृत्ति पर पेनशन मिलती है नाकि अंशदायी आधार पर भविष्य निधि ।

वर्ष १९६२-६३ के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७	सामान्य कार्य व्यय—संचालन (ईंधन)	२,५५,०८,०००
९	सामान्य कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	२,१०,४१,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण .	५०,०००
१६	चालू लाइन का काम—विस्तार . . .	२,२५,०००

ये मांगे सदन के सामने हैं। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं उसकी सूचना वे सभा पटल पर दे दें और यदि वे नियमानुकूल हैं तो मैं उन्हें प्रस्तुत समझूंगा ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १,२,३ और ४ को प्रस्तुत करना चाहता हूं । घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग से रेलवे पर अधिक खर्च पड़ा है और गाड़ियों के चलाने में गड़बड़ी हुई है। इस से लोकल गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। सरकार को रेलवे को बढ़िया किस्म के कोयले का संभरण करना चाहिये ।

डिब्बे की कमी होने के कारण खानों से दूर उद्योगो को कोयला ले जाना बहुत कठिन हो गया है। घटिया किस्म के कोयल से हमारी कठिनाइयों में और वृद्धि हुई है।

रेलवे को कोयला संभरण के लिये डिब्बे सही प्रकार से दिये जाने चाहिये। दूसरे अच्छे किस्म का कोयला देना चाहिये ।

कोयला ढोने के लिये "बम्स" टाइप के माल डिब्बे बनाये गये थे। दुर्भाग्यवश उन को "पटहैड" पर नहीं तोला जा सकता है। उन के लदान में भी दिक्कत होती है। रेलवे को यह विचार करना चाहिये कि उन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है ।

पेंशनों के भुगतान के सम्बन्ध में बहुत असन्तोष है पेंशन निश्चित करने में बहुत देर की जाती है, जिससे पेंशनरों को बहुत असुविधा होती है ।

उपदान और भविष्य निधि सम्बन्धी मामलों के निबटारे में देरी होती है। लेखा कार्यालयों में मुख्य कठिनाई कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की निधि का उचित हिसाब नहीं रखा जाता है ।

इस समय संकटकाल में हम कर्मचारियों को अधिक उत्पादन के लिये कहते हैं। उनको भुगतान आदि भी शीघ्र और ठीक प्रकार से किए जाने चाहिए ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत समझे गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७	१	श्री नम्बियार	रेलवे पर घटिया किस्म के कोयले का संभरण जिससे देरी हो जाती है और रेलों के संचालन में गड़बड़ हो जाती है।	१०० रुपये
७	२	श्री नम्बियार	डिब्बों की कमी के कारण कोयले का कम संभरण	१०० रुपये
९	३	श्री नम्बियार	निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को समय पर पेंशन का न दिया जाना	१०० रुपये
९	४	श्री नम्बियार	रेलवे कर्मचारियों के निवृत्ति के हिसाब और पेंशन का उचित समय में निपटारा	१०० रुपये
७	५	श्री प्रिय गुप्त	घटिया किस्म के कोयले का संभरण	१०० रुपये
९	६	श्री प्रिय गुप्त	उदार पेंशन के नियमों के मुकाबले में वित्त आयोग की सिफारिशों की वित्तीय पेचीदगियां समझने में दूरदर्शिता का अभाव	१०० रुपये
७	७	श्री उ० मू० त्रिवेदी	मितव्ययता की आवश्यकता	१०० रुपये
७	८	श्री उ० मू० त्रिवेदी	रेलवे द्वारा विभिन्न किस्मों के और घटिया किस्म के कोयलों की खपत	१०० रुपये
९	९	श्री उ० मू० त्रिवेदी	भोजन व्यवस्था विभाग में अनियमितताएं	१०० रुपये
९	१०	श्री उ० मू० त्रिवेदी	पश्चिम रेलवे पर रेस्तोरां कार के कर्मचारियों के यात्रा अभिलेख में कमी	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सब कटौती प्रस्ताव अब सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर): कोयला ले जाने के लिए कई साधन निकाले हैं। ट्रकों, नदियों, जहाजों इत्यादि का प्रयोग किया गया है। सड़कों द्वारा कोयला ले जाने के तरीके में सुधार के कुछ सुझाव किये गये हैं।

कोयला ढोने के लिये जो "वाक्स" माल डिब्बे बनाये गये हैं उनमें कुछ खराबियां हैं। उनमें कोयले के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं ढोया जा सकता। वापिसी में उन्हें खाली आना पड़ता है। जिससे खर्च बहुत आता है। इस सम्बन्ध में तुरन्त ही कुछ किया जाना चाहिये ताकि उन माल डिब्बों को दूसरी अन्य चीजों के ढोने के काम में लाया जा सकता है।

थोड़ी दूर पर कोयला ले जाने के लिये ट्रकों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

घटिया किस्म का कोयला जान बूझ कर रेलवे लोको शेडों को क्यों दिया जाता है। घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग से रेलवे की कार्यकुशलता प्रभावित हुई है। इससे जनता को दिक्कत हो रही है खर्च भी अधिक होता है। इस कठिनाई को हर कीमत पर दूर करना चाहिए।

घटिया किस्म का कोयला तो घरेलू उपयोग के लिए रहना चाहिए। क्योंकि रेलवे में घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग से उसकी कार्यकुशलता बहुत हद तक प्रभावित हुई है। इससे जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि कम से कम लोको शेडों को उचित किस्म का कोयला सम्भरण करने की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिए। कोयले की कमी का जो उल्लेख किया गया है, उस बारे में मेरा निवेदन यह है कि कोयले की खपत को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में "डीज़ल" इंजनों का आयात करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

भोजन व्यवस्था विभाग की बहुत आलोचना की गयी है। मेरा निवेदन है कि जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, यह शिकायत की गयी है कि "रेस्टोरेण्ट" कारों में नियुक्त कर्मचारियों के मासिक भत्ते आधे कर दिये गये हैं और उनसे अनिवार्यत: वही भोजन करने के लिये कहा जाता है। यह बात मज़ूरी भुगतान अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है। यह कटौती समाप्त की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भोजन व्यवस्था के बारे में दूसरी बात यह है कि खोमचे वालों को लाइसेंस देने की कोई समान नीति नहीं अपनाई जा रही है। लाइसेंस बड़े बड़े ठेकेदारों को दिये जाते हैं। वे आगे ये ठेके छोटे लोगों को आगे उठा देते हैं और उनका शोषण करते हैं। कई जगह पर तो यह भी देखा गया कि नाबालिगों के नाम भी लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को इन सब बुराइयों को दूर करने का उपचार करना चाहिए।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि सरकार को रेलवे लाइनों की स्थिति सुधारनी चाहिए जो कि उचित ढंग से नहीं चल रही है क्योंकि रेल की पटरियों और स्लीपरों की कमी है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री बड़े (खारगोन): अध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन नं० ७ का है उसे यहां प्रस्तुत किया गया है। इस डिमांड नं० ७ के बारे में जो एक्स्प्लेनेटरी नोट है उस में लिखा है कि कोयले की कीमतें बढ़ गयी हैं अत: इस मांग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमें बतलायें कि इन्फीरिअर कोल की सप्लाई रेलवे में कब से हो रही है। और अगर होने लगी है तो क्यों होने लगी है इसके बारे में भी कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया गया है। जब पिछली बार रेलवे बजट पेश किया गया था इस सदन में उस वक्त क्या इस बात का अन्दाजा नहीं किया गया था कि इन्फीरिअर कोल दिया जाता है और ज्यादा

†मूल अंग्रेजी में

कोल लगेगा ? फिर इन्फीरिअर कोल की सप्लाई में इतना ही नहीं है कि वह ज्यादा लगता है, बल्कि रेलवे वर्क्स की यह कम्प्लेन्ट भी है कि इसकी वजह से गर्मी पूरी पैदा नहीं होती है और एनर्जी भी ज्यादा लगती है जिसकी वजह से कन्जम्शन बढ़ता है। यदि अच्छे कोल और इन्फीरिअर कोल का टोटल देखा जाये तो इन्फीरिअर कोल की क्वान्टिटी ज्यादा होती है। इन्फीरिअर कोल की वजह से एनर्जी ज्यादा लगती है और एंजिन्स भी खराब होते हैं, यह तो है ही लेकिन इसके साथ ही साथ ट्रेफिक का भी डिस्लोकेशन होता है। इसकी ओर शासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं इसकी क्या वजह है। क्या यह इन्फीरिअर कोल अभी ही उपयोग में लाया जाने लगा है ? अगर पहले उपयोग में लाते थे तो उसको पिछले बजट में क्यों नहीं दिखलाया गया ? जो इस सप्लीमेंटरी डिमान्ड में ११५ लाख रु० का अमाउंट दिखलाया गया है वह पहले क्यों नहीं दिखलाया गया ?

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इन्फीरिअर कोल उपयोग में लाते भी हैं तो उसको स्थानीय उपयोग में ले आइये। हमारे मध्य प्रदेश में जहां पर कोलिअरीज हैं चूंकि वहां से रेलवेज ही कोल लाती हैं इसलिये वहां कोल का डेफिसिट हो जाता है। प्राइवेट ट्रक्स से कोल का लाया जाना बन्द कर दिया गया है, सिर्फ रेलवे से ही लाने की परमिशन दी जाती है। जैसा श्री त्रिवेदी ने कहा कि कोल को कोलिअरीज से रेल के द्वारा लाने के बजाय अगर प्राइवेट ट्रकों से उसे सप्लाई किया जाये तो इन्फीरिअर कोल के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती और शासन के ऊपर जो खर्च पड़ रहा है, वह भी न पड़ता।

जो पुस्तिका है उसके पेज ७ पर जो डिमान्ड नं० १५ है उस में लिखा हुआ है : कि यह रेल परिवहन की आवश्यकताओं के लिए है परन्तु जो श्वेत पत्र बजट सत्र के समय दिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि राबर्ट्सगंज से गढ़वा रोड लाइन कम्पलीट हो गयी है और इसकी कोई डिमान्ड नहीं मांगी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका अन्दाजा पहले क्यों नहीं आया। और यह नवीन डिमान्ड क्यों मांगी गई है। यह हमको जरूर बतलाया जाये कि इसकी जरूरत क्यों हुई क्योंकि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है।

इसी तरह से केटरिंग डिपार्टमेंट की डिमान्ड के लिये रुपया मांगा गया है। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि इस विषय में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। मैंने केटरिंग डिपार्टमेंट में देखा है कि जितनी अव्यवस्था वहां है उतनी और कहीं नहीं है। जहां तक फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास पैसेंजर्स का सवाल है, उनको जो भोजन दिया जाता है यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेशनों के प्लेटफार्म्स पर जो खाना दिया जाता है उसका कंट्रैक्ट जिस तरह पहले प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता था, वैसे ही अब फिर शुरू कर दिया जायेगा। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का कम्पिटीशन चलेगा जब, मैं समझता हूं कि तभी कस्टमर्स को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन जो अच्छा खाना है उसकी केटरिंग पूरी तरह नहीं होती है। केटरिंग डिपार्टमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। पहले जो केटरिंग चला करती थी उसमें यह होता था कि पहले तो ८ आ० पाव पूरी मिलती थी लेकिन अब १० आ० पाव मिलती हैं और केटरिंग लास पर चल रही है। फिर इन्स्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स को जो पगार दी जाती है उस का बोझ भी हमारी गरीब जनता पर पड़ता है। इस वास्ते केटरिंग
को जो पगार दी जाती है उसका बोझ भी हमारी गरीब जनता पर पड़ता है। इस वास्ते केटरिंग
डिपार्टमेंट में सुधार होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं पैसिंजर्स को जो कि रेलवे एक्सीडेंट्स में इनवाल्व होते हैं, जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब से माननीय मंत्री जी ने चार्ज लिया है

---

†मूल अंग्रेजी में

तब से एक्सीडेंट बहुत बढ़ गये हैं। आप रेलवे एक्सीडेंट्स के कारणों पर तो ध्यान देते हैं। पर मेरा सुझाव है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये कि मुसाफिरों को जो कम्पेन्सेशन देना है वह तुरन्त दिया जाये। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये कि एप्लाई एप्लाई एंड नो रिप्लाई।

इसी प्रकार से पेंशन के बारे में कहना है। मैं ने देखा है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन ने ऐसा प्रबन्ध कर रखा है कि जैसे ही आदमी रिटायर होता है उसी दिन उसको उसका पेंशन कार्ड मिल जाता है। इसी प्रकार का प्रबन्ध रेलवे में भी होना चाहिये कि जिस दिन कोई कर्मचारी रिटायर हो उसी दिन उसको उसका पेंशन कार्ड मिल जाना चाहिये।

मेरा मुख्य सुझाव यह है कि इनफीरियर किस्म का कोल इस्तैमाल न किया जाये क्योंकि इससे खर्चा भी ज्यादा आता है और एंजिन भी खराब होते हैं।

श्रीमती बसंत कुमारी (कैसरगंज): अध्यक्ष महोदय, रेलवे डिमांड की ग्रांट नम्बर २० पर मैं कुछ कहना चाहती हूं।

लखनऊ, गोंडा, बहराइच और कतनीया की लाइन पर कोई डाइनिंग कार नहीं है और केटरिंग की व्यवस्था भी नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि डायनिंग कार की व्यवस्था हो जाये और केटरिंग का प्रबन्ध हो जाये।

लखनऊ से गोंडा होती हुई बहराइच कतनीया तक डीजल का प्रबन्ध किया जाये ताकि मुसाफिरों को तकलीफ न हो।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** (आनन्द): मैं उड़ीसा के अविकसित क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के चालू किये जाने का स्वागत करता हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ये सब कोयला लाइनें ही हैं। कम से कम यहां एक यात्री लाइन भी चालू की जानी चाहिये। पश्चिमी रेलवे में कोयले की कमी है। इस क्षेत्र में सरकार को शीघ्र डीजल के इंजन चलाने चाहियें। इसके अतिरिक्त ज पश्चिमी रेलवे पर भोजन की व्यवस्था भी सन्तोषजनक नहीं। उस का भी सुधार किया जाना चाहिये। भोजन अच्छी कोटि का दिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त बम्बई और दिल्ली के बीच चलने वाली "डीलक्स" गाड़ी में "डाईनिंग कार" बहुत छोटी है उसमें यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। कुलियों से कुछ लाइसैन्स फीस लेने वाली बात भी समझ में नहीं आई। यह लाइसैन्स फीस बड़ौदा और आनन्द में विशेषरूप से ली जाती है। कहा जाता है कि उन्हें ७-१/२ रुपये के दो कुड़ते दिये जाते हैं। मेरे विचार में यह आवश्यक है, गरीब कुलियों से यह अनावश्यक वसूली नहीं की जानी चाहिये। यदि वसूली की ही जानी है तो उनके लिये कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। जब तक दुर्घटनायें कम न हो जायें, रेलवे सेवा में सुधार न हो जाय, मैं इस अनुदान की स्वीकृति नहीं दे सकता। आपातकालीन बात और है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): जब तक मेरे क्षेत्र में रेल की व्यवस्था नहीं होती मैं अनुदान संख्या १५ और १६ का समर्थन नहीं कर सकता। मेरा क्षेत्र उत्तर कनारा देश का एक धनी भाग है। मेरा निवेदन यह है कि वहां रेलवे लाइनों के निर्माण को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इससे वहां के प्राकृतिक संसाधनों को काम में लाने में सहायता मिल सकती है। मांग संख्या में अलनवार उंडेली लाइन को ले लेने के लिये २.२५ लाख की व्यवस्था करने को कहा गया है। परन्तु हम गत कई वर्षों से उंडली के विषय में मांग कर रहे हैं परन्तु उसकी निरन्तर उपेक्षा की गयी है।

†मूल अंग्रेजी में

मेरा निवेदन यह है कि उंडेली एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र बनने जा रहा है। केवल अलनवार-उंडेली लाइन को ले लेने से कुछ लाभ होने वाला नहीं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस लाइन को उंडली से हलियाल होकर सिरसी और हुबली तक ले जाना चाहिये। उस क्षेत्र में जिन अन्य लाइनों का कार्य शुरू करना चाहिये वे है : हुबली—कारवाड़ (सिरसी होकर), हलियाल-उंडेली—करवाड़, सिरसी—हुब्ली—तालगोथा और फिर यटम्ल तक। मैं इस के लिये जोर देता रहा हूं और जब तक संसद् के सदस्य के रूप में यहां हूं, देता रहूंगा।

अब में गोआ के गारे मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब से गोआ का सम्बन्ध भारत से हुआ है वह प्रगति की ओर बढ़ रहा है। गोआ के साथ व्यापार बढ़ा है, परन्तु स्टेशनों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। वहां के लोगों की शिकायतें दूर की जानी चाहियें। रेलवे समितियों मैं गोआ का भी कोई न कोई प्रतिनिधि रखा जाना चाहिये।

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : रेलवे का कोयला, सब से अधिक चिन्ता का विषय है। घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग के कारण रेलवे की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है। रेलवे मंत्रालय को इस ओर सब से अधिक ध्यान देना चाहिये कि घटिया किस्म का कोयला प्रयोग न हो। इसके अतिरिक्त कोयले की जहां तक राख और छाई का सम्बन्ध है बहुत बरबाद जाती है। उसकी लागत वसूल करने का कोई ढंग निकाला जाना चाहिये। इसके प्रति हम बहुत उपेक्षित से रहे हैं। इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि रेलवे मंत्रालय ने अपने अस्थायी कर्मचारियों को भी वे सुविधायें द दी है जो कि अपने स्थायी कर्मचारियों को भी दे दी है। इसके लिय मैं मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं। यह तो समाज कल्याण की बात है।

रेलवे की भोजन व्यवस्था के बारे में मेरा निवेदन है कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। मेरा विचार है कि भोजन व्यवस्था विभाग के राष्ट्रीयकरण से ही भ्रष्टाचार आदि का अन्त होगा। 'एक्सेंटो कंट्रैक्टर' प्रणाली को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये। नयी रेलवे लाइनों के बारे में मेरा निवेदन है कि लुधियाना, चंडीगढ़ और जगाधरी को एक लाइन पर लाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्राइवेट लाइन देश भर में समाप्त कर देनी चाहिये। उन्हें जितना भी शीघ्र हो सके सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। ये ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : हम उन्हें ले रहे हैं।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : जिस गति से आप ले रहे हैं उससे तो सारी गैर-सरकारी लाइनों को लेने में कम से कम १५० वर्ष लगेंगे। सरकार केवल उस लाइन को ही लेगी जिस में उसे लाभ होगा, यह गलत मनोवृत्ति है। सरकार को सभी लाइनों को अपने हाथ में लेकर उन्हें उचित ढंग से चलाना चाहिये।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा) : रेलवे मंत्रालय द्वारा तेजपुर से लखीमपुर तक जो रेलवे लाइन की व्यवस्था की गयी है, उसके लिये मैं उसका धन्यवाद करता हूं। आसाम के सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए सरकार को बंगईगान से जोगीघोपा और जोगीघोपा से गोलपाड़ा को वैकल्पिक लाइन पर लाया जाना चाहिये। उन्हें यथाशीघ्र सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। आपातकालीन अवस्था में इनका बहुत महत्व है, रेलवे मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सिलीगुडी गौहाटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये।

†**श्री सोनावने** (पंडार पुर) : मैं केवल मांग संख्या ७ पर ही कुछ कहना चाहता हूं। कोयले का दाम बढ़ गया है अतः उसके लिये अनुपूरक मांग की आवश्यकता हुई है, परन्तु घटिया किस्म

†मूल अंग्रेजी में

का कोयला मिल जाने का क्या औचित्य है। मेरा निवेदन यह है कि सभा को यह बताया जाना चाहिये कि इस बात की जांच करने के लिये क्या व्यवस्था है कि रेलवे को घटिया किस्म का कोयला न मिले जब कि भुगतान में मूल्य अच्छी किस्म के कोयले का दिया जाना है। इसके अतिरिक्त कोयले की चोरी रोकने के लिये प्रभावपूर्ण कदम उठाये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि कोयला बचाने के दृष्टि से ही पूना और शोलापुर के बीच बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इंजनों में कोयले का शत प्रतिशत उपयोग किया जाना चाहिये। मैंने देखा है कि कोयले को पूरा उपयोग किए बिना ही फेंक दिया जाता है।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (छरवर उत्तर): मैं सरकार को उंडेली–अलनवार लाइन के निर्माण के लिये सरकार को मुबारकबाद देती हूं। साथ ही मेरा निवेदन है कि अब चूंकि सरकार ने उंडेली–अलनवार लाइन अपने हाथ में ले ली है इस लिये वहां की जनता को अधिक सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिये। पूना से बंगलौर तक की लाइन को दोहरा बनाया जाना चाहिये। साथ ही सरकार को हुब्ली–करवाड़ लाइन का निर्माण-कार्य आरम्भ करना चाहिये। हुब्ली में कोच बनाने का कारखाना लगाना चाहिये।

यात्री सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये। दक्षिण रेलवे पर यात्रियों को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। रेलवे शैडों की भी व्यवस्था करनी चाहिये। दक्षिण रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे में भोजन व्यवस्था बहुत खराब है, उसका सुधार किया जाना चाहिये। बहुत से अच्छे स्टेशनों पर बिजली की अभी तक व्यवस्था नहीं हो सकी। कई स्टेशनों पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं। इसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहती। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

नयी लाइनों के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। लोंडा और गोआ के बीच एक और गाड़ी चलाई जानी चाहिये। धारवाड़ और हुब्ली के बीच एक स्थानीय गाड़ी चलाई जानी चाहिये।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार): मालूम नहीं रेलवे को अच्छी किस्म का कोयला क्यों नहीं मिलता जब कि उन की अपनी कोयला खानें हैं और माल डिब्बों के आवागमन का नियन्त्रण भी उनके हाथ में है।

दामोहानी बिजली घरके बिजली से चलने वाले जेनरेटर के स्थान पर डीजल का इंजन लगाया जाना चाहिये।

संकट काल के नाम से गाड़ियों का चलना बन्द नहीं किया जाना चाहिये।

सेवा निवृत्ति पर भविष्य निधि की बजाय पेंशन देने की प्रणाली अपनाने से अधिक धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पेंशन योजना से अधिक धन की जरूरत पड़ती थी।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि आदि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। इस से उन्हें बहुत असुविधा होती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार को सिलीगुडी कलिम्पोंग–गाल्लीखोला लाइन और सिलीगुडी–अलीपुर द्वार लाइन का निर्माण-कार्य शुरू करना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

कटिहार स्टेशन पर बड़ी और छोटी लाइनों को एक दूसरे से अधिक निकट लाया जाना चाहिये। उस स्टेशन को नया रूप दिया जाना चाहिये और भोजन की व्यवस्था एक निगम द्वारा की जानी चाहिये जिसमें ५० प्रतिशत पूंजी निजी हो और ५० प्रतिशत रेलवे की।

हावड़ा-आगरा लाइन का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। सियालदह-बारासात लाइन को दोहरा किया जाना चाहिये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : अनुपूरक अनुदानों की मांगों से मालूम होता है कि रेलवे मंत्रालय ने वार्षिक आयव्ययक के समय अपनी आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया। इन अनुपूरक मांगों से यह बिल्कुल प्रकट नहीं होता कि देश में आपात की स्थिति है।

गोआ और गोंडिया के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करने का बहुत महत्व है किन्तु इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। गोआ और शेष भारत के बीच एक अतिरिक्त रेल सम्पर्क का स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस पर किसी नई लाइन से अधिक खर्च नहीं आयेगा।

गोआ में कच्चा लोहा पाया जाता है, परन्तु वहां कोयला है। इसे केन्द्रीय भारत के कोयला खानों से मिलाया जाना चाहिये। ऐसा करने के लिये गोआ और गोण्डिया के बीच केवल ४८ मील लम्बी नई लाइन बनानी पड़ेगी, जोकि प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगी और जिस से सैनिक यातायात आसानी से हो सकेगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : रेलवे के कार्य में जो सुधार हुआ है, उस के लिये रेलवे कर्मचारी और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। अब इन्हें आपात के समय अधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को एक निधि के प्रख्यापन का परामर्श दिया जाना चाहिये ताकि रेलवे पर सैनिक अनुशासन को लागू किया जा सके। पहले दो तीन अवसरों पर रेलवे का परीक्षण हो चुका है। इन में रेलवे प्रशासन सफल सिद्ध हुआ है।

एक और बात यह है कि छोटा छोटा जो व्यर्थ का व्यय होता है, वह बन्द होना चाहिये।

रेलवे में बिना टिकट की यात्रा बहुत बढ़ गई है इस से प्रकट होता है कि सेना और लोग दोनों में अनुशासन की कमी है। आपात के दिनों में एक ऐसा कानून पारित किया जाना चाहिये जिस के अनुसार इसे दंडनीय अपराध करार दिया जा सके और जुर्माने की बजाये कैद की सजा दी जा सके।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : उत्तर-पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे पर सैनिक सामग्री तथा सैनिकों की गतिविधि उतनी शीघ्रता से नहीं हो पाई जितनी कि चाहिये थी। इस का कारण यह है कि सोनपुर के बाद उस लाइन को दोहरा नहीं किया गया जिस से परिवहन की अड़चनें उपस्थित हुई। इसलिये सैनिक दृष्टिकोण से हाजीपुर और कटिहार और जोगबनी के बीच लाइन को दोहरा बनाना आवश्यक है।

रेलवे स्टेशनों पर भोजन के दो से अधिक ठेके एक ही ठेकेदार को दे देने की प्रथा ठीक नहीं है। आजकल कुछ लोगों के पास ८ से १० तक ठेके हैं। जिन्हें वे अपने सम्बन्धियों में बांट देते हैं। रेलवे को भोजन व्यवस्था स्वयं संभाल लेनी चाहिये किन्तु इस का प्रबन्ध ठीक प्रकार से होना चाहिये। इस व्यवस्था में सुधार की काफ़ी गुंजाइश है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

कटे फटे लोहे को नीलाम करने की प्रथा रेलवे के हित में नहीं है । मैं रेलवे अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा लोहा केवल उन व्यक्तियों को दिया जाये जो इस मूल नियंत्रित दरों पर या इस से २ या ५ प्रतिशत अधिक मूल्य पर लेने के लिये तैयार हों ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू और काश्मीर) : रेलवे विभाग की दो बार परीक्षा हो चुकी है—एक गोआ की कार्यवाही के समय और दूसरी वर्तमान संकट में । दोनों मामलों में रेलवे विभाग सफल हुआ है । इसलिये वह बधाई का पात्र है । मुझे यह देख कर भी हर्ष है कि इस संकट में प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा रहा है और युद्ध की तैयारी में सहायता दे रहा है ।

आने वाले दिनों में रेलवे कर्मचारियों को और भी परिश्रम करना पड़ेगा । इसलिये रेलवे विभाग का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण का खयाल रखे ।

एक बात जो बहुत आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाये । हर एक कर्मचारी के कार्य पर नज़र रखी जाये ताकि वे व्यापारियों को ज़खीराबाज़ी और चोरबाज़ारी के लिये प्रोत्साहित न कर सकें ।

श्री बेरवा (कोटा) उपाध्यक्ष महोदय, जो रेलवे ने यह सप्लीमेंटरी ग्रांट्स की मांग की है इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

एक तो यह है कि जो कोयला दिया जा रहा है वह घटिया किस्म का दिया जा रहा है जिस से इंजिन भी खराब होते हैं और वह ज्यादा भी जलता है और गाड़ियां भी लेट आती हैं । मैंने कई दफा पूछा कि गाड़ियां क्यों लेट आती हैं, तो उन्हों ने जवाब दिया कि घटिया कोयला दिया जाता है कि जिस से ढिम्मे बंध जाते हैं और इंजिन स्टीम नहीं पकड़ता इस से गाड़ी लेट हो जाती है ।

दूसरा सुझाव यह है कि जो एअर कंडीशन्ड डिब्बे चलते हैं उन पर जो खर्चा होता है उन से उतनी आमदनी नहीं होती । इसलिये इन को बन्द कर के इन पर खर्च होने वाला रुपया और तरफ लगाया जाय । आजकल हवाई जहाज और एअर कंडीशन्ड के किराये में कोई अन्तर नहीं है, वह बराबर है । इसलिये कौन उस में बैठ कर तीन चार दिन खराब करेगा जबकि हवाई जहाज से कुछ घंटों में वह यात्रा की जा सकती है । इसलिये इन डब्बों को चलाने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है ।

तीसरी बात यह कहनी है कि जितने भी रेलवे की लाइन के नीचे लाखों की तादाद में स्लीपर निकलते हैं उन का सही उपयोग नहीं होता । उन को स्टेशनों के आस पास या दूसरी जगहों पर गाड़ दिया जाता है । इस तरह उन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है । इन स्लीपरों का उपयोग फरनीचर बनाने में और कम से कम ईंधन के रूप में किया जा सकता जो कि किया जाय तो रेलवे को काफी आमदनीहो सकती है । अभी तो इन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है ।

इस के अलावा मेरा यह सुझाव है कि रेलवे कर्मचारियों को उन का प्रावीडेंट फंड और ग्रेच्युइटी का रुपया जल्दी मिलना चाहिये । इस के लिये उन को तीन तीन और चार चार साल तक दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता है । कोई उन की सुनवाई नहीं करता । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

स्टेशनों पर जो वैगन दिये जाते हैं उन को ठीक तरह से वितरण नहीं किया जाता । इस बात की कोई गारंटी नहीं की जाती कि माल खराब नहीं होगा और समय से पहुंच जायगा । खास

†मूल अंग्रेजी में

कर फलों के वैगन्स को जल्दी भेजना चाहिये। मैंने केले के वैगन सड़ते देखे हैं। इस कारण लोगों को अपना माल दूसरे तरीके से ट्रकों से भेजना पड़ता है जिस से रेलवे का घाटा होता है। अब तो रिश्वत देने पर ठीक समय पर भी वैगन नहीं मिल पाते।

हमारे क्षेत्र में अनेकों मंडियां हैं जहां काफी व्यापार होता है। पत्थर का भी काफी काम होता है। हम ने देखा है कि पत्थर के व्यापारियों को तो वैगन मिल जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा मालदार हैं लेकिन दूसरों को नहीं मिलते। इसलिये दूसरे लोग ट्रकों से अपना माल भेजते हैं। अगर लोगों को वैगन मिलने लगें तो व्यापारियों को भी सुविधा हो सकती है और रेलवे की भी आमदनी बढ़ सकती है।

डाइनिंग कार का प्रबन्ध अच्छा नहीं है। अव्वल तो कोई यह पूछने ही नहीं आता कि तुम को क्या चाहिये और अगर आता भी है और उस से कुछ लाने को कहा जाता है तो चार पांच स्टेशन बाद आ कर पूछता है कि आप को क्या चाहिये। इस का भी इन्तिजाम ठीक होना चाहिये।

हम ने देखा है कि जो बाजार स्टेशन के पास है वहां पूड़ी ६ आने पाव मिलती है लेकिन स्टेशन पर दस आने पाव मिलती है। पता नहीं इन लोगों की क्या साठ गांठ है।

एक बात और कहना चाहता हूं। अभी भी डब्बों में पानी भरने का पुराना तरीका चालू है जिस से मुसाफिरों को बड़ा कष्ट होता है। जिस वक्त मुसाफिरों का गाड़ी में आने का या उस से निकलने का समय होता है उसी समय पानी भरा जाता है जिस से सारे कपड़े भीग जाते हैं। इसमें सुधार होना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

आन्ध्र प्रदेश में तीन करोड़ की आबादी और हैदराबाद वहां का कैपीटल है, लेकिन वहां से कोई ट्रेन डाइरेक्ट दिल्ली को नहीं आती। इस क्षेत्र में माइनिंग आदि का बड़ा काम है और काफी बिजनेस भी होता है, इस के अलावा फूड के मामले में यह एरिया सरप्लस है। मगर यहां पर व्यापारियों को अपने माल के लिये वैगन नहीं मिलते जिस से उन को बड़ी कठिनाई होती है।

हैदराबाद से जो बोगीज़ दिल्ली के लिये आती हैं और जोकि जी० टी० में लगाई जाती हैं उन का टाइम बड़ा इनकनवीनिएंट था। यह हैदराबाद से साढ़े सात बजे निकलती थी। इस से खाने आदि में कठिनाई होती थी। इस के लिये हम मिनिस्टर साहब के पास डेपुटेशन लेकर गये कि इस का टाइम ठीक कर दिया जाय। मगर नतीजा यह हुआ कि उस का टाइम साढ़े ७ के बजाय साढ़े ५ कर दिया गया जिस से और भी ज्यादा दिक्कत होती है। इस को ठीक किया जाना चाहिये।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि पहले हैदराबाद से बम्बई को कोई डाइरेक्ट गाड़ी नहीं थी। अब एक गाड़ी कर दी गयी है, लेकिन वह तांडूर पर नहीं ठहरती जोकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह तीन तालुकों के बीच में एक स्टेशन है, दो तालुकों में कोई स्टेशन नहीं है। इसलिये इन तीन तालुकों के आदमी इसी स्टेशन से गाड़ी पर बैठ सकते हैं। यहां पर गाड़ी को अवश्य रोका जाना चाहिये। इस के यहां न रुकने से जो लोगों को तकलीफ होती है उस को रेलवे वाले सुनते नहीं। एक से कहा जाय तो वह कहता है कि दूसरे से कहो, दूसरे

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

से कहते हैं तो कहा जाता है कि तीसरे से कहो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। इस पर ऐक्शन लेना चाहिये।

हमारे लिये हैदराबाद से जी० टी० में स्लीपिंग कोच नहीं है इस से बड़ी दिक्कत होती है। हम को काजीपेट में काफी देर तक पड़ा रहना पड़ता है। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। इस स्लीपिंग कोच के न होने से बड़ी दिक्कत होती है। हमारी बहुत सी तकलीफों को दूर करने के लिये रुपये की जरुरत नहीं है, अगर रेलवे विभाग थोड़ा दिमाग खर्च करे तो हमारी बहुत सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

आप सप्लीमेंटरी ग्रांट में इतना रुपया लेते हैं लेकिन मैं देखती हूं कि रुपये का ठीक उपयोग नहीं होता। बड़ा हिस्सा तो एसटेबलिशमेंट पर खर्च हो जाता है और काफी वेस्ट होता है। कोयले के बारे में तो मैं नहीं कह सकती लेकिन मैंने देखा है कि लोहा आदि बहुत वेस्ट होता है, कोई देखने वाला ही नहीं है, ऐसा मालूम होता है जैसे रेलवे विभाग यतीम खाना हो गया हो। न कोई देखता है कि किस प्रकार रेलवे का सामान वेस्ट हो रहा है, और न कोई देखता है कि मुसाफिरों को कितनी दिक्कत होती है।

हम फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, जब हमको तकलीफ होती है तो जो लोग तीसरे दर्जे में सफर करते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। खास कर बहिनों को बहुत तकलीफ होती है। कोई उनकी बात नहीं सुनता। टिकट कलेक्टर देखता रहता है पर कोई तवज्जह नहीं देता। यह तमाम रवैया बदला जाना चाहिए।

डाइनिंग कार की हालत बहुत खराब है। इतने पैसे लेते हैं पर खाना खराब देते हैं। खाने को ढकने का कोई इन्तिजाम नहीं है, नेपकिन्स नहीं है। जब उन लोगों को मालूम होता है कि पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और मेम्बर जायेंगे तो दो चार दिन अच्छा इन्तिजाम रखते हैं, बाद को फिर वही हालत हो जाती है।

इस विभाग को ८८ प्रतिशत आमदनी तीसरे दर्जे के मुसाफिरों से होती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, उनकी ओर से शिकायत की जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनके लिए पानी का इन्तिजाम नहीं है, खाने का इन्तिजाम नहीं है, सफाई का इन्तिजाम नहीं है। उनसे रेलवे इतना पैसा लेती है पर उनके लिए कुछ नहीं करती। इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में नाम के लिए दो तीन डबल लाइन्स की हैं। मैं इस बारे में पिछले १५ सालों से सुझाव दे रही हूं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि हमको क्या दिक्कत है। समझ में नहीं आता कि आप इस काम में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते। रेलवे तो अगर दो पैसा लगाएगी तो चार पैसे की उसको आमदनी होगी। फिर भी इस काम में पैसा क्यों नहीं लगाया जाता जिससे लोगों को सुविधा हो और रेलवे की आमदनी भी बढ़े।

आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शाहनवाज खां।

श्री विभूति मिश्र (होतिहारी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: दो घंटे आवंटित किये गये थे।

श्री विभूति मिश्र: बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए टाइम और बढ़ा दिया जाये।

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने समय आधा घंटा बढ़ा दिया है।

श्री शिव नारायण (बांसी) : दिल्ली से पूर्व के क्षेत्रों की जो कठिनाइयां हैं, उन को यहां पर रखने का अवसर नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शाहनवाज खां।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने रेलवे की सेवाओं की प्रशंसा की है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस आपातकाल में सैनिक यातायात में कुछ विलम्ब हुआ है। इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है क्योंकि सैनिक प्राधिकारियों से मेरी जो बातचीत हुई उस से मालूम हुआ कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने रेलवे की सेवाओं को बहुत सराहा है। हमें किसी यात्रि गाड़ी को बन्द नहीं करना पड़ा और सारा यातायात बिल्कुल साधारण रहा।

कुछ सदस्यों ने रेलवे द्वारा घटिया कोयले के प्रयोग के बारे में शिकायत की है और कहा है कि इस के कारण गाड़ियों को रुकना पड़ता है। श्री प्रिय गुप्त ने कहा है कि चूंकि गाड़ियां खराब कोयले के कारण समय पर नहीं चलतीं इस लिए कर्मचारियों को शिकार बनाया जा रहा है। सदन को याद होगा कि एक समय था जब कि रेलवे को अच्छे से अच्छा कोयला मिलता था। अब धातुकार्मिक कोयले की कमी है और अच्छी किस्म का कोयला इस्पात संयंत्र के पास जाता है। हम अच्छा कोयला लेने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। एक निरीक्षण संस्था स्थापित कर दी गई है। यह सच है कि हमें कई बार खराब किस्म का कोयला मिलता रहा है। इस बात को रोकने के लिए कुछ शोधन कर्मशालाओं को स्थापित किया जा रहा है इन के पूरा हो जाने पर स्थिति में सुधार होने की आशा है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : एक बात स्पष्ट की जाये :

जो कोयला खराब है, क्या वह भी धोने से अच्छा हो जायेगा। उस की डस्ट तो चली जायेगी, लेकिन जो पत्थर है, क्या वह भी अच्छा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इञ्जनों के संधारण की कार्यक्षमता और अन्य पगों को उठाये जाने के कारण, घटिया कोयले का प्रभाव बहुत कम कर दिया गया है। इसका एक दशनांक इंजन मील प्रति इंजन असफलता है। १९५६-५७ में इसके आंकड़े बड़ी लाइन पर ६१,२०१ थे और १९६१-६२ में यह ६४,७६२ थे। मीटर गेज में १९५६-५७ में ये आंकड़े ४२.०५२ मील थे और १९६१-६२ में ६४२१८ थे। यह काफी सुधार है। यह सुधार रेलवे द्वारा उठाये गये संधारण के कदमों के कारण है।

कुछ सदस्यों ने कहा था कि घटिया कोयले के कारण गाड़ियां ठीक समय पर नहीं पहुंचतीं। १९६१-६२ के पहले पांच महीनों में समय के सम्बन्ध में गाड़ियों की सामान्य नियमितता ७६ प्रतिशत थी। और मीटर गेज पर ७९ प्रतिशत। १९६१-६२ में ये क्रमशः ७५.३ और ७७.८ प्रतिशत थी।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या गाड़ियों के चलने का समय बढ़ा दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस अवधि में नहीं, हम गाड़ियों को समय पर चलाने और इन के समय पर पहुंचाने के लिए पूरे प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

कुछ सदस्यों ने कुछ प्रदेशों में डीज़ल और बिजली द्वारा गाड़ियां चलानेका सुझाव दिया है । यह उद्देश्य बहुत वांछनीय है किन्तु इस में विदेशी मुद्रा का भी सवाल होता है और ऐसा तब किया जाता है जब यह अत्यावश्यक हो जाये ।

कर्मचारियों के देय धन के निपटारों के बारे में रेलवे की कार्यस्थिति में काफी सुधार हुआ है ऐसे अनुदेश जारी किये गये हैं कि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने से ६ मास पहले कार्यवाही शुरू कर दी जाये. ताकि अनावश्यक विलम्ब न हों ।

हमने हिदायतें भेज दी हैं कि किसी व्यक्ति की सेवा के अंतिम वर्ष उसे सिवाय अनिवार्य कारणों के कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित न किया जाये । पेंशन के बारे में एक वर्ष पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी जाती है । आरम्भ में निवृत्ति वेतन की गणना और मंजूरी में कुछ विलम्ब हो जाता था किन्तु ऐसा मुख्यतः इस कारण होता था कि लेखा शाखा और कर्मचारिवृन्द शाखा के कर्मचारी प्रक्रिया से भली प्रकार परिचित नहीं थे । हमने उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी है और अब स्थिति काफी सुधर गई है । माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कहा था कि हमने प्रदर्शन के लिए सेवा निवृत्ति की तारीख के निवृत्ति वेतन का निबटारा करने की व्यवस्था की है । रेलवे में हम प्रदर्शन के शौकीन नहीं है । हम सभी कुछ कर्मचारियों और जनता की सेवा के लिए करते हैं हमारा यह प्रयत्न रहा है कि सेवा निवृत्ति के दस दिन के भीतर निवृत्ति वेतन आदि का निबटारा कर दिया जाये । कुछ मामलों में अभिलेख पूरे नहीं होते और कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं । हमारे भरसक प्रयत्न करने पर भी कई लोगों को अभिवेदन पाकिस्तान से उपलब्ध नहीं हुए । कुछ लोगों से ऋण की वसूली करनी है जैसे कि उन अनधिकृत रूप में क्वार्टरों पर कब्ज़ा करने वाले लोगों से किराये की वसूली करनी होती है । जो कर्मचारी मर जाते हैं उनके उत्तराधिकार प्रमाणपत्र लेने होते हैं । आवश्यकता होने पर हम मृतक के परिवार वालों के पास अपने विशेष निरीक्षक भेजते हैं और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं । केन्द्रीय रेलवे में निवृत्ति वेतन आदि पाने की तीन मास प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारी ३० जून, १९६० को ५३७ थे जो ३० जून १९६२ को २४९ रह गये थे । पश्चिमी रेलवे में तत्कालीन आंकड़े १०५ और ८३ थे । रेलवे में ११ लाख कर्मचारी हैं जिनमें से प्रतिवर्ष हजारों सेवा निवृत्त होते हैं । दक्षिण पूर्व रेलवे में जुलाई १९६२ को १३ मामलों का निबटारा सेवा निवृत्ति के दिन ही कर दिया गया था और ४५ मामलों का निबटारा तीन दिन के अन्दर करदिया गया था जनवरी और जुलाई १९६२ के बीच ४८ घंटों के भीतर ५४ मामलों का निवटारा किया गया था ।

बहुत से सदस्यों ने भोजन व्यवस्था की ओर निर्देश किया था । हमारी विभागीय भोजन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की गई है । प्रतियोगिता बनाये रखने के ठेकेदारी को समाप्त नहीं किया गया । हमें आशा है कि विभागीय भोजन व्यवस्था अन्य ठेकेदारों के लिए आदर्श स्तर का निर्माण करेगा ।

हमने सभी अधिकारियों को हिदायतें भेज दी हैं और मंत्री भी कभी कभी भोजन व्यवस्था के स्तर का आकस्मिक निरीक्षण करते हैं । आवश्यकता पड़ने पर हम अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करते हैं । यह आरोप लगाया गया था कि सहकारी समितियों की उपेक्षा कर के हम गरीब लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे और अमीर लोगों को अधिमानता दे रहे हैं । मानदण्ड केवल यही है कि सेवा अच्छी होनी चाहिये और इसे दृष्टिगत रखते हुए ही हम कार्यवाही करते हैं । कुछ

सहकारी समितियों के नाम पर ठेके लेना चाहते हैं। वे वास्तविक सहकारी समितियां नहीं है। वे वास्तव में कर्मचारी नहीं हैं जिन्हें हम अधिमान देते हैं।

अब मैं भोजन व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ते में कमी की ओर निर्देश करता हूं। सभी विभागों में यात्रा भत्ते का आधा भाग दिया जाता है। भोजन व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के मुफ्त खाना तथा निशुल्क आवास व्यवस्था दी जाती है और यात्रा भत्ते का एक चौथाई हिस्सा दिया जाता है। डाइनिंग कारों पर हमें घाटा हो रहा है। अतः मुफ्त जाना और पूरा यात्रा भत्ता देना आवश्यक नहीं।

जिस माननीय सदस्य ने रेलवे में फैले भ्रष्टाचार की ओर निर्देश किया था उन्हें, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी यह सच्ची आकांक्षा है कि जहां तक हो सके भ्रष्टाचार को निर्मूल कर दिया जाये। इस आपातकाल में रेलवे कर्मचारियों ने पहले ही शपथ ले ली है कि वे भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे और देश की दक्षतापूर्ण सेवा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन मांगों को पास किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १, २, ३ और ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

कटौती प्रस्ताव संख्या ५ और ६ सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ७, ८, ९ और १० मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	२,५५,०८,०००
९	सामान्य कार्यवहन व्यय—विविध व्यय .	२,१०,४१,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण .	५०,०००
१६	चालू लाइन का काम—विस्तार . . .	२,२५,०००

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** : (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नवें प्रतिवेदन से जो १२ नवम्बर, १९६२ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

---

†मूल अंग्रेजी में

•"कि यह सभा, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नवें प्रतिवेदन से जो १२ नवम्बर, १९६२ को सभा पेश किया गया था, सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प

†**श्री विभूति मिश्र** (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, इमर्जेंसी होते हुए प्रस्ताव स्थगित होना चाहिय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा के स्थगन के लिये प्रस्ताव पेश किया जा रहा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त भारतवर्ष की जो स्थिति है और चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया है, और जिस तरह से भारत की जनता ने एक स्वर से, एक लय से, एक उद्देश्य से, एकत्रित हो कर अपना विचार प्रकट किया है कि पहले हमें शत्रुओं को देश से निकालना चाहिये, इस परिस्थिति को देखते हुए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिरोध लगाने के बारे मैं मेरे संकल्प पर अग्रेतर चर्चा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी जाये ।"

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी माननीय रघुनाथ सिंह ने यह तर्क दिया कि चीनी आक्रमण से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस से देश में एक एकता की लहर उठ खड़ी हुई है उस के होते हुए अगर यह प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है तो शायद उस में कुछ बाधा उत्पन्न हो, और इसलिये इस प्रस्ताव को दूसरे सेशन मैं . . . .

श्री रघुनाथ सिंह : मैं ने बाधा नहीं कहा था ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा निवेदन है कि अगर उन के ही तर्क को ले कर हम . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जो निवेदन है वह आप मुझ से कीजिये ।

श्री राम सेवक यादव : मुझे खुशी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप मेरी बात को समझते हैं । मेरा निवेदन है कि यदि साम्प्रदायिकता जो है वह सब से बड़ा खतरा है देश की एकता के लिये तो यह सब से बड़ा अवसर है कि इस प्रस्ताव को यहां रखा जाय । आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस में जो लोग सम्प्रदायवाद में विश्वास करते हैं और अपने संगठन चलाते हैं उन्होंने भी एकता का परिचय जो दिया है, वे उस से भी ऊपर उठ कर, इस प्रस्ताव की हां में हां मिलाते हुए इस का समर्थन कर सकते हैं । अगर वे ऐसा करते तो शायद इस शुभ अवसर पर कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती ।

इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर बहस चलाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : रेजोल्यशन फिर आयेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिरोध लगाने के बारे में श्री रघुनाथ सिंह के संकल्प पर अग्रेतर चर्चा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : महाराजकुमार विजयानन्द के अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण सम्बन्धी संकल्प के लिए दो घंटे का समय निश्चित किया गया है ।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** (विशाखापटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि सब नौजवानों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाये ।"

आज भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति खतरे में है । ऐसी परिस्थितियों में यह संकल्प बहुत अनुकल है ।

बेलजियम में जो कि दिल्ली नगर से केवल चार पांच गुना बड़ा देश है, सारे राष्ट्र को सैनिक शिक्षण प्राप्त था तभी तो वह प्रथम महायुद्ध में कैसर जैसे बलवान सम्राट् को कई दिन तक रोक सका था ।

हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों को पुनः नौकरी में ले लेना चाहिये और वे बालक बालिकाओं को सैनिक शिक्षण दें । इस कार्य में पंचायतों की भी सहायता ली जा सकती है । हमारे राष्ट्रपिता ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया था किन्तु हिंसावादियों का मुकाबला हिंसा से ही करना होगा ।

जैसा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत जेनरल भौंसले ने महत्वपूर्ण कार्य किया उसी तरह सारे देश में स्कूल खोलने चाहियें । मैट्रिक पास करने से पूर्व छात्र को सैनिक शिक्षण का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिये । इस से देश में अनुशासन की भावना भी पैदा होगी ।

पंजाब ने तो इस दिशा में कार्य आरम्भ भी कर दिया है । समाचारपत्रों के अनुसार वहां नवीं कक्षा के आगे सभी छात्रों को राष्ट्रीय छात्र सेना दल का शिक्षण दिया जायेगा ।

लार्ड सिन्हा ने १९१५ में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि भारत की दुर्दशा का कारण यही है कि केवल सिख और राजपूत जैसी युद्धजीवियों के सिवाय अन्य लोगों को सैनिक शिक्षण नहीं दिया जाता । उन्होंने उस काल में ही सैनिक शिक्षण के महत्व को समझा था । भारत की नाइटिंगेल स्वर्गीय सिराजनी नायडू ने १९२५ के कांग्रेस अधिवेशन में सभापति पद से कहा था कि सैनिक शिक्षण शिक्षा का अंग होना चाहिये । जो छात्र दरिद्रता के कारण सैनिक शिक्षण प्राप्त करने के लिए समय नहीं दे सकते, सरकार को उनकी भी सहायता करनी चाहिये ।

चीनियों का मुकाबला इसी प्रकार हो सकता है । हमें उसका मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री रणंजय सिंह (मुसाफिरखाना) : मैं संशोधन संख्या २ और ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : (रायगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

श्री श्याम लाल शर्राफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सूफ्टी कर्नल महाराजकुमार डा० विजय आनन्द द्वारा अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में प्रस्तुत किये गये मंकल्प पर चर्चा का समय दो से बढ़ा करजचार घंटे कर दिया जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लेफ्टिनेन्ट कर्नल महाराजकुमार डा० विजय आनन्द द्व रा अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा का समय २ में से बढ़ा कर चार घंटे कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री स० मो० बनर्जी : यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिये मैं महाराजकुमार जी को बधाई देता हूं । मैं तो अनुभव करता हूं कि सरकार इसे स्वयं अपने संकल्प के रूप में स्वीकार कर लेगी ।

मैं इस संकल्प में केवल यह संशोधन चाहता था कि उग में कहा जाये कि चीनी आक्रांताओं से देश को बचाने के लिये सैनिक शिक्षा दी जाये क्योंकि हम देश में हिटलर की सेना तयार नहीं करना चाहते वरन् देश की रक्षा हेतु तैयार होना चाहते हैं । मैं महाराजकुमार की इस बात से सहमत हूं कि सारे देश में सैनिक स्कूल खोलने चाहयें ।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

†श्री देशपांडे : (नासिक) : मैं संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । शत्रु की सैनिक शक्त पर विचार करते हुए इस समय की मांग है कि बड़े पैमाने पर सैनिक शिक्षण दिया जाये ।

नासिक में डा० भुंजे द्वारा आरम्भ की गई एक भौसले सैनिक स्कूल है । एक दूसरी संस्था जेनरल भोंसले के नेतृत्व नें सरकार द्वारा चलाई जा रही है । सरकार को ऐसी संस्थाओं से लाभ उठाना चाहिये और बड़े पैमाने पर सैनिक शिक्षण आरम्भ करना चाहिये ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : मैं संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे जैसे देश में जहां की आबादी बहुत ज्यादा है और व्यवसायी सेना बहुत छोटी है यह आवश्यक है कि नागरिकों को सैनिक शिक्षा दी जाये ।

हमें वर्तमान संसाधनों से काम शुरू करना होगा और उनका विस्तार करना होगा । परन्तु हमें वर्तमान संस्थाओं का पूरा पूरा उपयोग भी करना है ।

हमें मित्र नागाओं से एक जनता सेना के प्रशिक्षकों का काम लेना चाहिये ताकि वे पहाड़ों में युद्ध करने में समर्थ हो सकें ।

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं ... म्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण बतलाना चाहता हूं । मैं इस बात को स्वीकार करना हूं कि ... भ ... में इसका कोई ... दस ... विरोध नहीं करेगा । यह प्रत्येक नवयुवक के लिये लाभदायक है । इससे वह एक अच्छा नागरिक तथा एक अच्छा कार्यशील व्यक्ति बन सकेगा । तथापि इस समय कोई एक ऐसी बात कहना जो हम न कर सकें वांछनीय नहीं होगा ।

इस संकल्प के पारित होने पर ३० करोड़ भारतीयों पर इसका प्रभाव होगा । अतः बिना उसका प्रभाव जाने हुये एक संकल्प पारित कर देना उचित नहीं है । तथापि हम ऐसे कई तरीकों को अपना रहे हैं जिनसे अधिक से अधिक यवकों को प्रशिक्षण दिया जा सके । इस समय हैं । राष्ट्रीय छात्र सेना दल में लाख से अधिक युवक हैं । हम इसमें विस्तार कर र ...

इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना भी है । इसके अतिरिक्त होम गार्ड भी हैं । इनकी संख्या काफो अधिक है । माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि उन्हें लकड़ी की रायफलें भी दी जा सकती हैं । मैं इस सुझाव को अंशतः स्वीकार करता हूं । तथापि अधिकांश व्यक्तियों को सच्ची रायफलें दी जानी चाहियें ताकि वे शस्त्रों को भली प्रकार से जान सकें । हम अपने प्रशिक्षण का कार्यक्रम काफो बढ़ा रहे हैं । अतः आवश्यक प्रशिक्षकों तथा अधिकारियों की संख्या को देखते हुये हम इस संकल्प को इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं । क्योंकि ऐसा करना इन लोगों के लिये घातक होगा जिन्हें हम गहन प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

मैंने इस सम्बन्ध में नियमित सेना के सम्बन्ध में अतिरिक्त भरती का उल्लेख नहीं किया ।

मैं उस सदस्य से सहमत हूं जिन्होंने नागालैंड तथा अन्य सीमांत इलाकों से विशेष रूप में भरती करने को कहा है । हम प्रशिक्षित व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी संख्या में काफी वृद्धि कर रहे हैं । इस समय हम अपनी क्षमता पर भरपुर जोर डाल रहे हैं ।

सौभाग्य से भारत में स्वेच्छा से रायफल सीखने वालों की कमी नहीं है । अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब कि स्वेच्छा से सीखने वालों की कमी हो । आवश्यकता होने पर हम यह मार्ग भी अपना सकते हैं ।

अतः हमारे लिये यह वांछनीय है कि हम धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते जायें । अंततोगत्वा आवश्यकता होने पर हम इस प्रकार का संकल्प स्वीकार कर सकते हैं । तथापि इस समय ऐसे संकल्प क्रियान्वित करना उचित नहीं होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : माननीय प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि यह युद्ध लम्बा चलेगा तब हम इस संकल्प को अभी से स्वीकार कर इसके अनुसार आज से ही कार्य क्यों शुरू नहीं कर देते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इसकी यथाशीघ्र वृद्धि कर रहे हैं तथापि केवल यह कहने से कि सभी युवकों को इसमें शामिल किया जाये कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हम अपनी क्षमता से अधिक व्यक्तियों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा** (आनन्द) : मेरा सुझाव है कि स्वेच्छा संस्थाओं को प्रशिक्षण के काम में सहायता देने के लिये आमंत्रित किया जाये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उनके लिये वालंटियर रायफल और होम गार्डस् में काफी गुंजायश है । माननीय सदस्य उन संस्थाओं में अपने उत्साह को अमली जामा पहिना सकते हैं । यदि वे और अधिक स्वंयसेवकों को तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें शस्त्र उपलब्ध करने की कठिनाई

†मूल अंग्रेजी में

आयेगी। अतः हम तत्काल ऐसा नहीं कर सकेंगे। तथापि मैं उन्हें सुझाव दे चुका हूं कि अन्य कई वर्गों में प्रशिक्षण की काफी गुंजायश है।

†श्री रंगा (चित्तूर) : मैं महाराजकुमार विजय नान्द को इस अवसर पर यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिये मुबारकबाद देता हूं। यह ही उचित अवसर है जब कि इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री ने संकल्प की मूल भावना को स्वीकार किया है यद्यपि उन्होंने संकल्प के स्वीकार किये जाने को कठिन बताया है। संकल्प के अन्तर्गत जो सिद्धान्त है उसे सर्वत्र स्वीकार किया गया है।

एक बात इस दिशा में स्पष्ट किये जाने के योग्य है वह यह कि सरकार के संकल्प को स्वीकार कर लेने का मतलब यह नहीं है कि उसे एक अथवा दो महीनों में ही कार्यान्वित कर दिया जाये। प्रश्न तो उसके पीछे काम कर रहे सिद्धान्त का है। उस सिद्धान्त को कार्यरूप देने में उच्चतम प्राथमिकता दी जाये। सरकार को एक बात तो अवश्य ही करनी चाहिये वह यह कि इस प्रयोजन के लिये कम से कम प्रशिक्षण कर्मचारी और शस्त्रास्त्र अवश्य उपलब्ध करने चाहिये। सभी शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। ऐसा वातावरण निर्माण होना चाहिये कि देश के युवक देश की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हो सकें। मेरा तो यही निवेदन है कि सरकार को स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये और जो प्रशिक्षण देने को तैयार हो उसको इसकी अनुमति दे देनी चाहिये।

श्री रणंजय सिंह (मुसाफिरखाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले महाराजकुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना सामयिक प्रस्ताव रखा है। यह बड़ा ही उपयुक्त भान पड़ता है; मैं मानता हूं कि इस समय हमारे देश के लिये सैनिक शिक्षा बहुत आवश्यक है ताकि देश में सैनिक भावना उत्पन्न हो। मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव में दो संशोधन रखना चाहता हूं जो कि इस प्रकार हैं :

(१) "नवयुवक व्यक्तियों" शब्दों के पश्चात् "भारत में" शब्द रख दिये जायें।

(२) कि संकल्प के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये ; अर्थात् "उसके प्रयोग देशभक्ति के कार्यों में करने की दृष्टि से"

यदि यह संकल्प पारित होता है, और मैं समझता हूं कि होना भी चाहिये, तो उस दशा में इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि जो भी और जिस रूप में भी सैनिक शिक्षा दी जाये, उससे देश भक्ति की भावना बनी रहे और उसमें वृद्धि होती जाये, और साथ ही जिन लोगों को यह सैनिक शिक्षा दी जाये उनसे यह प्रतिज्ञा भी ली जाये कि वे जो शस्त्रास्त्र की शिक्षा लेंगे उसका सदुपयोग करेंगे, कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य में मैंने अपने संशोधन रखे हैं कि जो लोग सैनिक शिक्षा ले कर जायें उनमें देश सेवा के ही भाव हैं।

इस समय सैनिक शिक्षा के महत्व पर विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। उसको सभी समझते हैं। हमारे देश में अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है, और यह काम सैनिक शिक्षा के द्वारा बहुत अच्छी तरह हो सकता है। मैं तो समझता हूं कि देश के सौभाग्य से ऐसा समय आ गया है कि लोगों में इस प्रकार का जोश पैदा हो गया है और मैं चाहता हूं कि यह लगातार बढ़ता जाये। मैं समझता हूं कि साधारण शिक्षा के साथ साथ अगर सैनिक शिक्षा भी दी जाये तो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इससे लोगों में अनुशासन की भावना पैदा होगी और जो हमारे देश में अनुशासन हीनता दिखाई देती थी उसका अन्त हो जाएगा।

†मूल अंग्रेजी में

यदि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जाते हैं तो उनका प्रभाव यह होगा कि शिक्षा काल से ही विद्यार्थियों में यह भावना पैदा होगी कि हमें देश की सेवा करनी है और जहां भी देश को आवश्यकता होगी हम काम करेंगे ।

राजकुमार साहब ने जरमनी का जिक्र किया । उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार हिटलर ने उस जरमनी को जिसके टुकड़े टुकड़े हो गये थे सैनिक शिक्षा के द्वारा एक किया और एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र का रूप दिया । चाहे हम हिटलर के सिद्धान्तों से सहमत न हों लेकिन जिस तरीके से उसने अपने देश को शक्तिशाली बनाया उस पर तो हमको विचार करना चाहिये । जरमनी के उदाहरण से समको मालूम होता है कि किस प्रकार सैनिक शिक्षा से एकता बढ़ती है और लोगों में वीरता के भाव पैदा होते हैं। देश के लोगों में यह भावना होनी चाहिये कि जहां भी आवश्यकता होगी हम देश की सेवा करेंगे । ईश्वर न करे कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आवे हमको उसके लिये तैयार रहना चाहिये और हमारे ऊपर कोई आपत्ति न भी आवे पर यदि हमारे देश के नागरिक सैनिक शिक्षा पाये हुये हों तो किसी भी देश का साहस हमारी तरफ़ आंख उठाने का नहीं हो सकता । इस लिये हमारे देश में अनिवार्य सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये ।

सैनिक शिक्षा के साथ ही साथ इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि लोगों के लिये शुद्ध भोजन और शुद्ध दूध और घी का भी प्रबन्ध किया जाये । यद्यपि देश में दूध और घी की नदियां बहाने के लिये कई योजनायें बनाई गई हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि बाज़ार में शुद्ध दूध और घी का मिलना कठिन है । जब लोगों को शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, शुद्ध पदार्थ नहीं मिलेंगे, तो सैनिक शिक्षा प्राप्त कर के भी वे बलवान नहीं बन सकेंगे ।

समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही हमारे प्राचीन संस्कृति में वर्ण-व्यवस्था रखी गई थी । संसार में किसी वस्तु का अभाव न हो, इसलिये वैश्य वर्ण की व्यवस्था की गई थी । संसार में कहीं अन्याय न हो, इस लिये वीर-रस को बढ़ाने के उद्देश्य से क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था की गई थी । संसार में अज्ञान और अविद्या न हो, इस के लिये ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था की गई थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यवस्था का गिर्माण गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार किया गया था । नाम चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो या कोई और नाम हो, लेकिन हमारे देश में ही क्या, सर्वत्र शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग और आर्थिक प्रश्नों के लिये व्यवसाय का भी विभाग रखा गया है । इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये और समाज की आवश्यकताओं को अनुभव कर के ही प्राचीनकाल में यह व्यवस्था की गई थी ।

इस बीच में कई कारण से हम में अनुशासन का ह्रास हो गया था । अगर वह ह्रास न हुआ होता, तो क्या चीनियों का यह साहस हो सकता था कि वे हमारे साथ छेड़-छाड़ करें ? इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष सदा ही वीरता और विद्वता में आगे रहा है । हम किसी से दबने वाले नहीं हैं । अब भी हम में पुराना रक्त चला आ रहा है, जो कि हम को जोश दिलाता है, जिस का प्रमाण यह है कि सीमा पर चीन के आक्रमण से हम लोगों में जोश पैदा हो गया है और हम उस का सामना करने के लिये तैयार हो गये हैं । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सब से प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा-योग्य बरतना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : हम सब आज अपने देश की रक्षा के लिए चिन्तित हैं, अतः इस संकल्प की भावना को कोई भी गलत नहीं कह सकता। यह ठीक है हमें इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। प्रधान मंत्री जी ने ठीक कहा है कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक नहीं है कि लोग स्वेच्छा से ही आगे आ रहे हैं।

मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए कि जो लोग अपनी इच्छा से प्रशिक्षण लेना चाहे ले सके और इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। सरकार को इस प्रकार कोई योजना तो बनानी ही चाहिए। इन शब्दों से मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

†श्री च० का० भट्टाचार्य (राय गंज) : यह संकल्प बहुत सामयिक है। इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। परन्तु इस संकल्प को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि 'युवक' की परिभाषा में १८ से लेकर ४० वर्ष तक की आयु के समस्त व्यक्ति आ जाय। संकल्प के अन्तर्गत जो सिद्धान्त है उसे तो सरकार भी स्वीकार करती है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को संकल्प का उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए। एक बात हमें और याद रखनी चाहिए कि अनुशासन की भावना का व्यापक प्रचार और निर्माण भी सैनिक प्रशिक्षण से ही होगा।

औरतों के प्रशिक्षण की बात की गयी है, मेरा कहना है कि जब तक भारत की सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए मर्द उपलब्ध हैं तब तक औरतों को इस के लिए नहीं बुलाना चाहिए।

†श्री कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं इस संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं। परन्तु इसके मार्ग की कठिनाइयों को समझता हूं। प्रधान मंत्री का कहना ठीक ही है कि इस समय हम व्यापक आधार पर इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम को नहीं ले सकते। इस पर इसे ४ करोड़ रुपए तक के खर्च होने की सम्भावना है। परन्तु मेरा विचार है कि सरकार को इस संकल्प को कार्यान्वित करने में जो कठिनाइयां मालूम पड़ रही है वे प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए एयर गन के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। अभी हमें निशानेबाजी तक ही सीमित रहना चाहिए। आठ वर्ष के बच्चे भी इस कार्य को सीख सकते हैं।

अब मैं शस्त्र अधिनियम की ओर आता हूं। मेरा निवेदन है कि शस्त्र अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि १२ वर्ष से कम आयु के बच्चे विशेषज्ञों के मार्ग-दर्शन में शस्त्र चलाना सीख सकें। इस लक्ष्य के लिए देश के एयर-गन निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए एयर-गन उपलब्ध हो सकें।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि 'फायरिंग रैंज' बनाने का जो कार्यक्रम बनाया गया है उसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। राज्य को देश के राइफल क्लबों की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इन शब्दों से मैं संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं।

†श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : (परभणी) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता और इसमें अपना एक संशोधन भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस संकल्प के पीछे गीता

†मूल अंग्रेजी में

में दिया गया भगवान कृष्ण का सिद्धान्त है कि कमजोर व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु होता है, अतः हमें अपनी रक्षा के लिए अपने में शक्ति पैदा करनी चाहिए । अतः मेरा निवेदन है कि इस भावना से प्रस्तुत संकल्प का स्वागत करना चाहिए । आज की स्थिति में यह भी स्पष्ट है कि यदि हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं तो सैनिक प्रशिक्षण देना आवश्यक है ।

इस संदर्भ में मैं राष्ट्रीय अनुशासन योजना का उल्लेख करना चाहता हूं । हमने इस योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया । इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना का विस्तार करना चाहिए । इसे समस्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए । इससे इन स्कूलों के युवकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

इस संकल्प के पीछे जो भावना है उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। में इसके प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं ।

†**श्री म० ला० जाधव** (मलिगांव) : सिद्धान्त के रूप में से मैं संकल्प को मानता हूं । वर्तमान परिस्थितियां में संकल्प को क्रियान्वित करना संभव नहीं है । वर्तमान संकट समाप्त होने पर हम अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकेंगे ।

सैनिक स्कूलों का इस प्रकार से पूनर्गठन होना चाहिए कि जनसाधारण भी उस से लाभ उठा सकें । इन पाठशालाओं की संख्या भी बढ़ानी चाहिए ताकि प्रतिरक्षा की दूसरी लाइन तैयार हो जाए ।

श्री कछवाय (देवास) : सभापति महोदय, यह जो संकल्प महाराजकुमार साहब की ओर से आया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

आज हमारे देश में जो एक गहुत बड़ी कमी मालूम पड़ती है वह सैनिक शिक्षा की है । हमारे देश की जन संख्या के अनुपात म हमारे देश में सैनिक शिक्षा बहुत कम है । इसलिए हमारे देश में सैनिक शिक्षा होना बहुत आवश्यक है। इससे देश में अनुशासन होगा। जिसके कारण देश में शक्ति आएगी और उस शक्ति से जो हमारी सेना आज सीमा पर लड़ रही है उसको भी बल मिलेगा ।

इस सम्बन्ध में मैं दो चार बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज हमारे देश में मजदूर के हाथ में गैंती है, उसके हाथ में हल और अनेकों प्रकार की मशीनें हैं । इसके साथ ही उसके हाथ में एक राइफिल भी होना आवश्यक है । जिस देश में यह प्रथा होती है वह देश बलशाली माना जाता है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहूंगा कि सैनिक शिक्षा देने में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा लेने वाले लोगों में ऐसे लोग न हों जो बाद में देश पर आपत्ति आने पर चीन और पाकिस्तान आदि देशों का समर्थन न करें । हमें इस बात की ओर भी अवश्य ध्यान देना है ।

आज जो देश में एक बड़ी जागृति आयी हुई है इसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस मजदूर को जो परिश्रम करता है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कछवाय]

जिसको परिश्रम करने की आदत है, उसको मजदूरी के समय में एक घंटे सैनिक शिक्षा दी जाए। उसके लिए इस प्रकार की शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

कालिजों में साधारण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए और उनको सैनिक शिक्षा देते समय कोई प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए ताकि उनके दिल म इस शिक्षा को प्राप्त करने का उत्साह रहे।

आज हमारे शासन इस बात ने को महसूस किया है कि देश में सैनिक शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। जितनी मात्रा में हमको लड़ाई के लिए सैनिक चाहिए उतनी मात्रा में हमारे पास नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए और संसार के राष्ट्रों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि इस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है, इस देश की तरफ निगाह मत करो, पता नहीं भारतीय हमको क्या कर देंगे। ऐसी भावना दूसरों के मन में होनी चाहिए।

जो देश शक्तिशाली होता है उस देश से दुनिया के सब देश दबते हैं। हमको ऐसी सैनिक शिक्षा देनी है जिससे हमारे बारे में अन्य देशों की यह भावना हो जाए कि यह शक्तिशाली देश है। सैनिक शिक्षा से हमारे अन्दर अनुशासन आएगा और अनुशासन होगा तो देश का उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगी तो देश की अनेकों समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। आज जो हमें अनेक चीजों के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ता है यह अवस्था भी समाप्त हो जाएगी।

मैं तो पूरा जोर दे कर कहूंगा कि इस प्रस्ताव को पास करने में सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। आज हमारा कर्त्तव्य पुकार रहा है, आज हमारी मातृ भूमि हमें पुकार रही है कि मातृ भूमि के ऐ *नौजवानों*, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। ऐसे समय में तुम को सोना नहीं है, ऐसे समय में जो देश सोता रहता है उस देश के नागरिकों के विषय में जैसे शब्द अन्य देश कहते हैं उनको मैं यहां नहीं कहना चाहता। मैं जोर देता हूं कि लोगों को जल्द से जल्द सैनिक शिक्षा मिले और जितनी ज्यादा लोगों को सैनिक शिक्षा मिलेगी और उनमें अनुशासन आएगा उतना ही अच्छा होगा।

श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा) : श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव राजकुमार साहब ने सदन में रक्खा है इसका मैं समर्थन करता हूं। उसके संबंध में मुझे केवल तीन बातें कहनी हैं।

अभी आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय ने अपने विचार इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन में व्यक्त किए। उनकी ऐसी धारणा है कि हमारे देश में इतने साधन नहीं हैं कि हम सारे देश को मिलिटरी ट्रेनिंग दे सकें। किन्तु मैं यहां पर जर्मनी की एक उपमा देना चाहता हूं। जिस समय जरमनी में हिटलर का शासन आया तो वहां की अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी और उस समय केवल एक लाख मिलिटरी जर्मनी के पास थी। लेकिन सात साल के अन्दर हिटलर ने अपने पास ३५ लाख मिलिटरी कर ली। यह आत्म-विश्वास का विषय है। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने जिस भावना से इस प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी की मैं उसको अनुकूल नहीं समझता। मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह की भावना देश के सामने रखना ही एक गलत बात होगी। कहा जाता है कि आज हमारे पास इस काम के लिए साधन नहीं हैं। इस विषय में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में पता है । वहां कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें लोगों के पास बन्दूकों के ढाई तीन हजार लाइसेंस न हों । मेरे अपने पास ही २२ लाइसेंस हैं । ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिनके पास लाइसेंस हैं वे सारे के सारे एक महीने के लिए अपने आर्म्स सरकार को दे दें । उस दशा में सरकार को केवल कारतूसों का खर्चा ही रह जाता है । लेकिन अगर सरकार कारतूस भी नहीं देना चाहती तो मुझे कुछ भी नहीं कहना । अगर सरकार कारतूस दे दे तो सिखाने वाले भी मौजूद हैं और बन्तूकें भी मौजूद हैं, सिर्फ सरकार का हाथ चाहिए । अगर सरकार इसके लिए तैयार हो तो हम सारे देश को दो तीन बरस के अन्दर ट्रेनिंग दे कर एक बड़ी फौज तैयार कर सकते हैं । अगर जर्मनी ने जिसकी आबादी साढ़े पांच करोड़ थी, ३५ लाख सेना बना ली, तो हम एक करोड़ की सेना चार पांच साल में बना सकते हैं । मैं मानता हूं कि यह नितान्त आवश्यक कार्य है ।

जिनको बन्दूक चलाना आता है वही समय आने पर बन्दूक चला सकते हैं, जिसको नहीं आता अगर उसको बन्दूक चलाने को दी जाएगी तो उसकी तो उसकी आवाज से आंखें बन्द हो जाएंगी । यह तो आदत का प्रश्न है । इस में बहादुरी का प्रश्न नहीं है । जिन का स्वभाव है, वे निशाना ठीक लगायेंगे और वे बन्दूक का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिन का स्वभाव नहीं है, उन को तो बन्दूक को प्रोपरली इस्तेमाल करने का भी पता नहीं हो सकता ।

मैं प्रधान मंत्री जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सारे देश में एक साथ अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू नहीं की जा सकती है । इस पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो लड़का दसवें दर्जे का इम्तहान पास करे, वह सर्टिफिकेट लेने का एनटाइल्ड तब हो, जब कि वह पहले राइफल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हासिल कर ले । दसवें दर्जे से एम०ए० तक राइफल ट्रेनिंग का अनिवार्य कोर्स रखा जाये ।

जहां तक गवर्नमेंट सरवेंट्स का प्रश्न है, उन में से बहुत ज्यादा राइफल चलाना आदि जानते भी हैं लेकिन सामान्य क्लैरिकल स्टाफ नहीं जानता होगा । चूंकि आजकल इमर्जेन्सी का समय है, इसलिए सारे गवर्नमेंट सरवेंट्स को मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाये यह मेरा अनुरोध है ।

हो सकता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बन्दूकों के लाइसेंस न हों, लेकिन उन छोटे शहरों में, जहां हम लोग रहते हैं, हम को एक भी बन्दूक की जरूरत नहीं है । हमारे यहां तीन हजार बन्दूकों के लाइसेंस हैं । अगर उन सब से एक महीने के लिए बन्दूकें मांगें, तो २५० बन्दूकें हमारे पास हर वक्त रिजर्व में रहेंगी । लेकिन ऐसा तो तब हो सकता है, जब कि सरकार इस बारे में कोई योजना बनाए, कोई व्यवस्था करे । अगर सरकार उन को कहेगी नहीं, तो कौन बन्दूक देगा ? मैं ने आप को वता दिया कि बन्दूकों की कमी का कैसे पूरा किया जा सकता है । हां, कारतूस सरकार को मुहैया करने चाहिएं ।

हमारे देश का बार्डर गहुत लम्बा-चौड़ा है, जिस की रक्षा करने की समस्या हमारे सामने है । अगर बार्डर पर रहने वाले उन सब लोगों को फ्री लाइसेंस दे दिये जायें, जिन की भावनायें अपने देश में निहित हैं, जो दूसरे देशों की ओर नहीं देख रहे हैं, तो इस का नतीजा यह होगा कि बार्डर का प्राबलम आटोमेटिकली साल्व हो जायगा । अगर ऐसा किया जायगा, तो फिर बार्डर के लोगों को मदद के लिए प्रधान मंत्री को तार देने की जरूरत

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

नहीं रहेगी और वे खुद ही आक्रमणकारियों को मार भगायेंगे । लेकिन अगर सरकार उन लोगों की मदद भी नहीं करेगी और उन को बन्दूक भी नहीं देगी, तो वह उन से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वे आगे बढ़ कर दुश्मन का मुकाबला करें ?

अगर आक्रमण करने वालों के पास आटोमेटिक गन्ज भी हों, तो भी हम अपनी बारह बोर थ्री-नाट-थ्री से काम पूरा करेंगे । लेकिन सरकार मदद देना नहीं चाहती । क्या उस को जनता का विश्वास नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में और किसी देश में बन्दूक वगैरह के लिए लाइसेंस नहीं है । यह सिर्फ बदकिस्मत हिन्दुस्तान ही है, जहां अंग्रेजों ने लाइसेंस जारी किया । अंग्रेज तो चले गए, लेकिन लाइसेंस यहीं पर रह गया । अगर सरकार को किसी बात की चिन्ता है, तो सारे देश में लाइसेंस फ्री न करे, लेकिन बार्डर पर रहने वाले जिन लोगों की आंखें भारत की ओर हैं जिन की आंखें विदेशों की ओर हैं, मैं उन का आर्मस की बात नहीं करता हूं—उन के लिए तुरन्त लाइसेंस फ्री कर दिया जाये ।

मैं आप को धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाटा) : मैं संकल्प की भावना का स्वागत करता हूं, यद्यपि इसे अभी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता । इस की भावना को तो प्रधान मंत्री जी ने भी मान लिया है ।

प्रशिक्षण देने का कार्य स्वयंसेवी संगठनों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये । उन से धन की सहायता की जा सकती है । प्रशिक्षण का प्रबन्ध सरकार को स्वयं करना चाहिये क्योंकि यह तो सारे देश का काम है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : हमें अपने देश के नवयुवकों को सैनिक एवं नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने का एक व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिये । चीन के अतिक्रमण ने हमें जागरूक बना दिया है । हमें सतर्क रहना चाहिये ताकि हम पर फिर ऐसा आक्रमण न किया जा सके ।

अपने सीमान्त क्षेत्रों की रक्षा के लिये और सैनिकों के बोझ कम करने के लिये प्रत्येक नाग रेग, स्त्री नवयुवक और स्त्रियों को देश की प्रतिरक्षा में हर प्रकार की सेवा करनी चाहिये ।

सरकार को असैनिक सामान बनाने वाले उद्योगों को प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान के उत्पादन में लगाने का कार्य भी बड़े पैमाने पर करना चाहिये ।

समय आ गया है जब कि प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय पैमाने पर प्रशिक्षण देना चाहिये ।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मन) : यह बड़ी खुशी की बात है कि इस संकल्प में देश की नवयुवतियों को भी सम्मिलित किया गया है । महिलाओं को युद्धकला का प्रशिक्षण देने की बहुत जरूरत है परन्तु दुर्भाग्यवश उनकी उपेक्षा की जाती रही है । हमारे इतिहास में अनेक वीर महिलायें रहीं हैं और जरूरत पड़ने पर अभी भी वे अपनी वीरता दिखा सकती हैं ।

सैनिक प्रशिक्षण के साथ-साथ कर्त्तव्य की भावना भी उत्पन्न की जानी चाहिये ताकि हम सही बात के लिये लड़ सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लड़कियों के प्रशिक्षण के लिये अलग से स्कूल होने चाहियें और उन्हें प्रत्येक किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिये ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : माननीय सभापति महोदय, इस रेजोल्यूशन का समर्थन करते हुये मैं प्रधान मंत्री जी की बातों से भी सहमत हूं कि उन में अभी एक साथ सारे देश को मिलिटरी ट्रेनिंग देने की सामर्थ्य नहीं है । मगर मैं उस का उपाय बतलाता हूं कि किस तरह से मिलिटरी ट्रेनिंग स्कीम कामयाब बनाई जा सकती है । मैं समझता हूं कि मिलिटरी ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में शायद प्रधान मंत्री जी को दो बातों का ध्यान आया होगा जिसके कारण वे इस रेजोल्यूशन को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । पहली कठिनाई हो सकती है ट्रेन्ड मिलिटरी पर्सोनेल की जो कि मिलिटरी ट्रेनिंग दे सकें, दूसरी कठिनाई हो सकती है हथियारों की । अगर यह बात है तो आज भी इस देश के अन्दर इतने रिटायर्ड और रिट्रेंच्ड मिलिटरी आफिसर्स पड़े हुये हैं जिन की सर्विसेज़ काम में लाई जा सकती हैं, अगर वे रिट्रेंच्ड आदमी इस काबिल न हों कि वे लड़ाई में न जा सकें । यह लोग जा कर गांव गांव में और हर प्रकार की संस्थायों में जा कर लोगों को मिलिटरी ट्रेनिंग दे सकते हैं । वे लोग पहली और दूसरी लड़ाइयों के एक्सपरिएन्स्ड आदमी हैं और मेरा विश्वास है कि वे लोगों को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं ।

आज कल भी हमारे देश में कई क्षेत्रों में मिलिटरी ट्रेनिंग का काम हो रहा है । मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं इस लिये वहां के लिये बतला सकता हूं, और प्रदेशों की मैं नहीं कह सकता । मेरा अभिप्राय लोक सहायक सेना से है । उस को गांव गांव में तैयार किया जा सकता है ताकि जितने भी किसान हैं वे तैयार किये जा सकें और उन को कम से कम यह शिक्षा दी जा सकती है कि वे देश की आजादी के लिये किस तरह से लड़ सकते हैं ।

इस रेजोल्यूशन में जो बात कही गई है उस का यह मकसद नहीं है कि सब को एक साथ मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाय । उस का मकसद केवल यह बतलाना है कि आज देश के अन्दर क्या भावना है, देश क्या चाहता है, किस तरह से आदमी तैयार हों और किस तरह से उन में डिसिप्लिन आये ।

जहां तक देश की जनता के अन्दर डिसिप्लिन लाने का सवाल है, इस से हर आदमी अपने देश की और अपनी रक्षा के लिये तैयार हो जायेगा । हमारे यहां कालेजों में एन० सी० सी० की ट्रेनिंग दी जाती है । मैं यह नहीं कहता कि हर एक आदमी को ट्रेनिंग दी जाय, यहां तक कि बच्चों को भी, लेकिन जो आदमी इस काबिल हों कि देश की रक्षा के काम में आ सकें, उन को हमारे यहां के रिटायर्ड जनरल्स और दूसरे मिलिटरी आफिसर्स ट्रेनिंग दे सकते हैं । मेरा विश्वास है कि स्कूलों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में मैं जानता हूं, अभी भी मार्चिंग और बन्दूकों की ट्रेनिंग दी जाती है । मैं ने बहुत से स्कूलों में ऐसा देखा है कि लकड़ी की बन्दूकें इस के लिये काम में लाई जाती हैं, जैसा कि यहां पर एक मननीय सदस्य ने सुझाव भी दिया । हमारे यहां एअर गन्स देने में किसी तरह से देश पर खतरा नहीं हो सकता । जब तक यह ट्रेनिंग हमारे नौजवान बच्चे शुरू से ले कर नहीं चलेंगे तब तक अच्छे सैनिक देश के अन्दर नहीं बन सकते । इस लिय मैं कहना चाहता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन लाया गया है उस को स्वीकार किया जाय और देश में कम्पलसरी मिलिटरी ट्रनिंग लागू की जाय ।

मैं आप से यह प्रार्थना भी करूंगा कि आज कल की जो बन्दूकें पुरानी बतलाई जाती हैं, और निश्चय ही उन को आधुनिक हथियार नहीं कहा जा सकता' उन को उस ट्रेनिंग के लिये दिया जाय । एअर गन्स दी जायें । साथ ही साथ जहां तक लड़कियों का सवाल है, स्कूल की लड़कियों को

[श्री विश्राम प्र ाद]

मिलिटरी ट्रेनिंग दी जा सकती है। कम से कम उन को क्लेरिकल जाब्स के लिये तैयार किया जा सकता है। साथ ही जो घायल लोग हैं उन की सेवा की ट्रनिंग भी उन को दी जा सकती है।

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जितने भी बार्डर एरियाज के लोग हैं, खास तौर पर नौजवान आदमी, जिन को पहाड़ों पर चढ़ने का और पहाड़ों पर लड़ने का एक्सपीरिएंस है और जो वहां की आबोहवा को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन को यह मिलिट्री ट्रेनिंग अवश्य दी जानी चाहिये। साथ ही आज राष्ट्र ने जिस भावना को सब के सामने रक्खा है, आज जिस प्रकार दिखला दिया है कि देश को एक सूत्र में बांध कर हम जिस तरह से देश प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं और एक साथ मिल कर देश को सैनिक शिक्षा के द्वारा डिसिप्लिन में ला सकते हैं, उस को ध्यान में रखते हुये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण (बांसी) : सभापति महोदय, मैं आप का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस पवित्र रेजोल्यूशन पर बोलने का अवसर दिया।

सब से पहले मैं प्रस्ताव के मूवर को धन्यवाद देता हूं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। वे लेमैन नहीं हैं। जैसे हमारे मिलिटरी आफिसर्स गैलरी में बैठे हुये हैं वैसे ही वे भी मिलिटरी आफिसर रहे हैं। और वे खाली मिलिटरी आफिसर ही नहीं थे बल्कि खेल के मैदान के भी कैप्टन थे। नैपोलियन वाटरलू को लड़ाई ईटन के मैदान में जीते थे। उसी तरह से आज यह रेजोल्यूशन भी किसी कच्चे खिलाड़ी का नहीं है, वह एक पक्के मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं और अपने सब्जक्ट के मास्टर हैं। आज उन्होंने इस देश को सही प्रेरणा दी है। जिस वक्त पर यह रेजोल्यूशन आया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा जोरदार शब्दों में मैं प्रभाव डालना चाहूंगा कि सरकार इस को ठीक तौर से मान ले।

कल यहां ३५ मेम्बरों ने लिख कर दिया कि वह मिलिटरी ट्रेनिंग लेने के लिये तैयार हैं लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ५०० मेम्बरों को ट्रनिंग देने को तैयार हूं। मैं कन्धों पर बन्दूक रखवा कर लेफ्ट राइट मार्च करवा सकता हूं मार्च नार्थ एवन्यू में प्रजिडेंट के बंगले से हास्पिटल रोड तक रोज सुबह शाम ट्रेनिंग दे सकता हूं। इतनी ट्रेनिंग मुझ को भी है। मैं आज वर्षों से कहता आ रहा हूं कि देश में मिलिटरी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब मैं कौंसिल का मेम्बर था तभी से कहता आ रहा हूं कि कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग शुरू करो। इस देश के अन्दर विदेशियों के दांत खट्टे करने के लिये यही जवाब है। तभी हमारा अपना मुल्क शक्तिशाली होगा और यहां के नौजवान मर्द बनेंगे जब यहां के लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट राईट करते हुए चलना सीखेंगे।

हमारे एक मित्र ने यहां कास्टलेस और क्रीडलेस की बात कही। कहां कास्टलेस और क्रीडलेस की बात यहां आती है? हमारे नेता सुभाष चन्द्र बोस थे। **(अन्तर्बाधाएं)** : आज मजाक करने का समय नहीं है। जो जय जय के शब्द किये जा रहे हैं वह सोने के अक्षरों में लिखे जाने लायक हैं, वे बड़े कीमती हैं। हमारे मेम्बरों ने इस को क्रिटिकल मोमेन्ट कहा है। आज जो बात वे कह रहे हैं वह दिल से कह रहे हैं। व खाली लिप सिम्पैथी नहीं दे रहे हैं। आज मुल्क की डिमान्ड है कि मुल्क तैयार हो वह अपना तन और धन सब कुछ देने के लिये तैयार है। आज लाखों भामाशाह इस देश में हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एश्योरेंस देना चाहता हूं कि मुल्क में आज खाने पीने और कपड़े की कमी नहीं है। हम पेट को भूखा रख कर भी अपने जवानों को खाना खिलायेंगे : आज इस के लिये हमारा बच्चा बच्चा तैयार है। जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री

विशनचन्द्र सेठ ने कहा, तुम हमें गोली पहुंचा दो, हमारे देहातों में, शहरों में, गांवों में बड़े बड़े लोगों के पास बन्दूकें हैं। वे वालेंटिअर अफर करेंगे, गवर्नमेंट की रक्षा के लिये नहीं, अपने देश की रक्षा के लिये। अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिय आज बच्चा बच्चा तैयार है, चाहे वह किसी कम्यूनिटी का हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार हो चाहे ब्राह्मण हो। आज सब के दिल में देश प्रेम है और यह लोग देश के लिये बलिदान देने के लिये तैयार हैं।

मेरे एक मित्र ने कहा है हाई स्कूल से इस को शुरू किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि इन्फेन्ट क्लास से ही इस को शुरू करना चाहिये। कमिंग ईवन्ट्स कास्ट देअर शडो बिफोर। आने वाले दिन पहले से दिखलाई देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि "होनहार बिरवान के होत चीकने पात"। दादा जी ने सुभाष चन्द्र का उदाहरण कोट किया था उन को बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई थी और आगे चल कर वही आई० ए० एन० के कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने आई०एन०ए० बना कर जापान का मुकाबला करने के लिये खड़ी कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि आगे देश का बच्चा बच्चा, चाहे वह राजपूत हो या कोई और हो, अगर आप उस को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो वह तैयार हो जायेगा और सारे का सारा नक्शा, कुछ घंटों नहीं कुछ मिन्टों में ही बदल जायेगा। यह रुकने वाला नहीं है। छः महीने के अन्दर इस देश के हर नौजवान को, जिस की उम्र १६ साल से ऊपर हो, उस को मिलिटरी ट्रेनिंग मिल जानी चाहिये। मुझे याद है कि दूसरे महायुद्ध की लड़ाई में हिटलर ने १४ साल के बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी कि वह प्लेन में चढ़ कर आस्मान में उड़ा करते थे, और हम लोग आज तमाशा देखते हैं। आज लोग चन्द्रमा जाने को तैयार हैं और हम अपने लड़कों को लेफ्ट राइट भी सिखाने के लिये तयार नहीं थे। हिम्मत करो, हिम्मत। बढ़े चलो, बहादुरो, बढ़े चलो, बहादुरो। आज देश की पुकार है। देश आज जाग गया है, गवर्नमेंट न जागे, लीडर न जागें, कांग्रेस वाले न जागें, सोशलिस्ट न जागें, जनसंघ न जागे, लेकिन कौम जाग उठी है। आज मुल्क ने करवट बदली है। आज झांसी वाली रानी घर घर में पैदा हो गई है। आज दुर्गावती की तलवार घर घर में चमक रही है। आज इस देश में बहुत सी दुर्गावती हैं। महिलाओं को नरसिंग का प्रशिक्षण देने की बात क्यों करते हैं? १८५७ में झांसी की रानी ने अंग्रेजों को तलवार से काट काट कर गिरा दिया था और दुर्गावती ने अकबर के छक्के छुड़ा दिये थे।

मैं आप का अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस पवित्र रेज़ोल्यूशन पर बोलने का अवसर दिया।

मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

श्री ह० चं० सोय : (सिंहभूम) : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मेम्बरों को गवर्नमेंट बिज़िनेस में भी बोलने का अवसर दिया जाता है और प्राईवेट मेम्बर्ज बिज़िनेस में भी। जो सदस्य चुपचाप बैठे रहते हैं, वे क्या करे? यह दुख की बात है कि सदस्यों को यह दरख्वास्त करने के लिये चेयर के पास जाना पड़ता है कि मुझे बोलने दिया जाये। यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को भी अवसर मिलेगा।

श्री रामसेवक यादव (बाराबांकी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव अभी माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उस का समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री ने बीच में बोलते हुये कहा कि यह प्रस्ताव तो ऐसा है कि इस सदन में कोई भी इस का विरोध नहीं करेगा और यह प्रस्ताव जिस भावना

[श्री रामसेवक यादव]

से प्रेरित हुआ है, वह भावना भी अच्छी है, लेकिन इस के साथ ही उन्होंने यह कहा कि इस वक्त यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई कदम उठायें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक दम ही, कलम के एक झटके से, एक सेकंड में देश के सभी बच्चों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना प्रारम्भ कर दे, ऐसी अपेक्षा न तो यह देश और न इस सदन का कोई माननीय सदस्य ही करता है। अगर प्रधान मंत्री महोदय के मन में यह कल्पना हो, तो वह ठीक नहीं है।

इस सदन के माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जब हम ने अपने संविधान में यह व्यवस्था की थी कि हम चौदह वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारम्भिक शिक्षा देंगे, तो क्या हम समझते थे कि हमारे देश में इतने ज्यादा साधन और प्रशिक्षित व्यक्ति मौजूद हैं कि हम अपने इस संकल्प को कल ही पूरा कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मन में यह कल्पना नहीं थी। हमारा ख़याल यह था कि हम धीरे धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि इस देश के युवकों और युवतियों को ....

श्री बागड़ी (हिसार) : ख़ास तौर से युवतियों को।

श्री रामसेवक यादव : ...अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाये। उस का अर्थ यह है कि सरकार उस पर निश्चय ले, उस दिशा में कुछ कदम उठाये, उस के लिये आवश्यक कानून बनाये, कुछ धन एकत्र करे और सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था करे, ताकि हम लोगों को मिलिटरी ट्रेनिंग दे सकें। धीरे धीरे, एक, दो, तीन, चार, पांच वर्ष में हम इस योजना का विस्तार करेंगे और इस तरह एक समय आयगा, जब हम अपने देश के सब नौजवानों को ट्रेनिंग दे सकेंगे।

प्रधान मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि सैनिक शिक्षा केवल इस लिये जरूरी नहीं है कि हम को लड़ाई में भाग लेना है, बल्कि वह इस लिये भी ज़रूरी है कि सैनिक शिक्षा हम को अनुशासित बनाती है और हम में फुर्ती तथा कठिन परिश्रम की आदत पैदा करती है। पिछले पंद्रह वर्ष का इतिहास यह रहा है कि हम आलसी और आरामतलब बन गये हैं।

श्री बाल्मीकि (खुर्जा) : बिल्कुल ग़लत है।

श्री रामसेवक यादव : अगर हम उस आलस्य और आरामतलबी को दूर कर सकते हैं, तो सिर्फ अनिवार्य सैनिक शिक्षा के ज़रिये ही।

आज हमारे पास केवल अपनी रेगुलर सेना ही है। आज हम पर एक ऐसे देश ने आक्रमण किया है, जिस की विशाल सेना है, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि हमारे जवानों और देश के लोगों पर इस का बुरा असर पड़ता है।

श्री शिव नारायण : नहीं पड़ता है।

श्री रामसेवक यादव : हम लोगों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दे कर और इस तरह एक लोक सेना का निर्माण कर के ही चीन का मुकाबला कर सकते हैं। सरकार व लोगों को सैनिक शिक्षा देने की ओर कदम भी उठाया है और हम उस की सराहना करते हैं। जनरल भोंसले ने नैशनल डिसिप्लिन स्कीम के अन्तर्गत बहुत सराहनीय कार्य किया है और हम इस के लिये उन को बधाई देता हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में जो कार्य किया गया है, देश की आवश्यकता और उस की विशाल आबादी को देखते हुये हम उस को पर्याप्त नहीं समझते हैं। उस को काफ़ी बढावे की

आवश्यकता है। चीन ने हम पर जो भारी आक्रमण किया है, उस से उस की ज़रूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।

मैं प्रस्तावक महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचा है। शायद वह दिन नजदीक हो, जब कि संसार के देशों का एक संघ बने, एक पंचायत बने और युद्ध बिल्कुल समाप्त हो जायें, लेकिन जब तक वह अभीष्ट प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम को इन ख़तरों का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये और उस की तैयारी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने नौजवानों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ह० चं० सौय (सिंहभूम) : माननीय सभापति जी, इस वाद-विवाद में मैं इस प्रोटेस्ट के साथ भाग लेना चाहता हूं कि इस सदन में जिस प्रेक्टिस का अनुसरण किया जा रहा है कि अगर किसी को बोलना है, तो वह चेयर के पास जा कर दरख्वास्त करे, वह सैल्फ-रेस्पेक्ट के बाहर की बात है।

श्री शिव नारायण: आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर। चेयर पर यह अटैक नहीं होना चाहिये। यह तो चेयर पर इनडायररेक्ट अटैक है।

सभापति महोदय : यह तो सहूलियत के लिये किया हुआ है, ताकि मालूम हो जाये कि कौन साहब बोलना चाहते हैं। यहां पर डिफ़रेंट ग्रुप्स फ़ंक्शन कर रहे हैं। अगर इंडिविडुअल्ज़ अपने नाम दे देते हैं और बोलने का अपना इरादा बता देते हैं, तो काम ठीक तरह से चल जाता है।

श्री ह० चं० सौय : नाम भेज सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि मेम्बर्ज़ चेयर के पास जायें।

सदन के सामने जो संकल्प रखा गया है, वह बिल्कुल सामयिक और सही है, लेकिन जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा, इस को कार्यान्वित करने में कई कठिनाइयां और अड़चनें हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों, बीकानेर के महाराजा और हिन्दू महासभा के सदस्य, ने भी कहा है कि यदि एयरगन्ज़ का हम प्रयोग करे, तो ट्रेनिंग की जो समस्या है, वह बहुत हद तक हल हो सकती है। इस के अतिरिक्त हमारे देश में जो गन्ज़ और राइफ़ल्ज़ हैं, उन को भी ट्रेनिंग के सम्बन्ध में प्रयोग करने के लिये सरकार को दिया जा सकता है।

हमारे देश में पूना और अलवर में सैनिक शिक्षा देने की दिशा में कुछ संस्थायें अच्छा काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहां मुहर्रम और दूसरे त्योहारों के अवसर पर लाठी चलाने और दूसरे अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रदर्शन किया जाता है। आज जिस तरह से हम को अपनी सारी फ़ारेन पालिसी के बारे में नये सिरे से सोचना पड़ा है, उसी तरह से हम को अपनी शिक्षा-व्यवस्था के बारे में एक नये तरीके से सोचना होगा। उदाहरण के लिये हम लोग जानते हैं कि हमारे यहां बुनियादी शिक्षा सही ढंग से नहीं चलाई जा रही है। हमारे उप राष्ट्रपति ने यहां तक कहा है कि यदि बुनियादी शिक्षा को इस तरह ग़लत ढंग से चलाना है, तो बेहतर है कि उस को बन्द कर दिया जाये।

मेरा विचार है कि बुनियादी शिक्षा पर हम जितना ख़र्च कर रहे हैं, अगर उस का आधा खर्च भी हम स्कूलों में सैनिक शिक्षा पर लगा दें, तो अपने नौजवानों को सैनिक शिक्षा देने की दिशा में हम

[श्री ह० चं० सौय]

बहुत आगे बढ़ सकेंगे। मेरा विचार है कि सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये कि इस बिकट परिस्थिति में क्या हम अपनी शिक्षा-प्रणाली को एक नया मोड़ दे सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि यह मोड़ हम सैनिक शिक्षा की व्यवस्था कर के दे सकते हैं।

यह जो संकल्प है, इसका समर्थन होना चाहिये। हम लोग तो इसका अपने इलाके में स्वागत करते हैं और इसलिये करते हैं कि हमारे यहां जब बच्चा पैदा होता है, तो तुरन्त उस बच्चे के जन्मने की जगह जहां पर उसको लिटाया जाता है, उसके सामने तीर और धनुष रखा जाता है; यह सोचा जाता है कि आगे चल कर उसे लड़ना पड़ेगा। हमारे बच्चे जब स्कूलों से गांव लौटते हैं तो वापिस आने पर भी तीर और धनुष पकड़ते हैं। इस वास्ते यह जो कम्पलसरी मिलिट्री टेनिंग का प्रस्ताव यहां पेश किया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री जी के कहने के बावजूद भी सरकार इस पर विचार करे और मौजूदा परिस्थितियों में जो भी हमारे पास सुविधायें हैं, उनको इस काम में लगाये और जो प्राइवेट गन्ज हैं, उनका इस्तेमाल कर, एयर गन्ज का इंतजाम करे और आग बढ़े।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हतकंगले): देश में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य सैनिक प्रक्षिण दिया जाना चाहिये।

वर्तमान परिस्थितियों में सैनिक प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को वर्दी पहननी चाहिए।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

प्रत्येक व्यक्ति को जो शारिरीक तौर पर ठीक हो सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): सभापति महोदय, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि एक कृपण व्यक्ति को रात्रि में सोते समय जब ठंड़ लगती थी तो प्रतिदिन वह यह निश्चय किया करता था कि कल प्रातः होते रजाई जरूर बना लूंगा। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता था तो उसके विचार में परिवर्तन होने लगता था।

आज जब हम सैनिक शिक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर यहां विचार कर रहें हैं तो यह न भूल जाएं कि यह प्रस्ताव इस से पहले भी तीन बार इसी सदन में विचार का विषय बन चुका है। मैं भी अपने आप को महाराजकुमार विजय आनन्द के समान उन सौभाग्यशाली सदस्यों में समझता हूं क्योंकि मैं ने स्वयं इसी प्रकार का एक प्रस्ताव इस सदन में १९५९ में रखा था। उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने अपने उत्तर में बताया था कि आज से तीन वर्ष कोई स्कूल और कालेज का युवक इस प्रकार का नहीं होगा जो एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की ट्रेनिंग न पा चुका हो। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह आश्वासन, पता नहीं क्यों, आज तक पूरा नहीं हो सका है।

इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार करते समय अपने पड़ौसी राष्ट्रों की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। अफगानिस्तान कुछ समय पहले एक बहुत पिछड़ा हुआ देश था लेकिन अफगानिस्तान को उठाने वाला एक व्यक्ति पैदा हुआ जिस का नाम अमीर अमीन उल्ला शाह था और उसने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उसने आरम्भ में ही यह आदेश दे दिये कि हर अठारह साल से अधिक के युवक को अफगानिस्तान में सैनिक शिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परिणाम उसका यह है कि मुट्ठी भर लोगों का देश अफगानिस्तान दुनिया की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार दूसरे महायुद्ध में फ्रांस ने जब चोट खाई और चौदह दिन में जर्मनी के आगे घुटने टेक दिये तो उस समय फ्रांस के सेनापति मार्शल पैंता थे । जब उन से पूछा गया तुम्हारा फ्रांस तो नैपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस था, यह क्या हुआ कि चौदह दिन में ही उसने घुटने टेक दिए ? तो मार्शल पैंता ने आंसू भरी हुई अपनी आंखों से कहा कि मैं विवश हूं, फ्रांस की सेना में ३५ साल से कम आयु का कोई अफसर ही नहीं, सभी ३५ साल से ऊपर के हैं । जब उन से पूछा गया कि क्या फ्रांस की जननियों ने संतान उत्पन्न करना बन्द कर दिया है, तो मार्शल पैंता ने कहा कि यह बात नहीं है लेकिन फ्रांस के युवक और युवतियां आज विलासिता में इतने डूबे हुए हैं कि वे सेना की ओर पग उठाना ही नहीं चाहते । इसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध में चोट खाने के बाद उसी फ्रांस के शासकों ने नौजवानों के लिए ही नहीं बल्कि नवयुवतियों के लिए भी सैनिक शिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया ।

ब्रिटेन का उदाहरण भी ऐसा ही है । उसने द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ से तीन वर्ष पहले ही, १९३९ में कम्पलसरी मिलिट्री टेनिंग ब्रिटेन में आरम्भ कर दी थी । मेरे पास इतना समय नहीं है कि विस्तार से अन्य देशों की चर्चा करूं, संक्षेप में ही मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं । लेकिन मैं अपने पड़ौसी राष्ट्र पाकिस्तान की चर्चा किए बिना नहीं रह सकता हूं । सब जानते हैं कि पाकिस्तान की स्त्रियों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता था कि वहां बुर्कापोश बहन जिस समय सड़क पर चलती हैं तो उनके बुर्के इतने नीचे होते सड़क के कूड़े का बहुत बड़ा भाग उन के साथ सिमट कर चला जाता है । लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कराची और रावलपिंडी की सड़कों पर वही बहनें आज देश की रक्षा के लिये अपने कंधों पर बारह बारह और तेरह तेरह सेर की राइफिलें रखकर लैफ्ट राइट करती हुई चलती रही हैं । उन्होंने अपना बुर्का उतार फैंका है । यह मैं बीस बीस और बाईस बाईस साल की उन नवयुवतियों की बात कर रहा हूं जो कभी बुर्के से बाहर नहीं आई थीं । इसी प्रकार अपने देश का और देशों से भी सैनिकीकरण किया है पर हमारे देश की क्या स्थिति है ? शिवाजी और प्रताप का देश, अर्जुन और भीम का देश, इस विपत्ति के समय में भी अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाया है कि जब तक देश पर संकट की घड़ी है, तब तक तो हम अपने देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगा दें । दुनिया में तो सैनिकीकरण की प्रवृत्ति जागृत हो रही है और हमारे देश में नवयुवक और नवयुवतियों के लिए संगीत और कलात्मक कार्यों का प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि पिछले पन्द्रह वर्ष में जितना पैसा हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर व्यय किया है अगर इतना पैसा बचा कर देश को सैनिकी-करण करने पर खर्च किया जाता तो आज यह जो विपत्ति की घड़ियां हमारे देश पर आई हैं उन्हें हमारे देश को न देखना पड़ता । पर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाये तो उसको भूला नहीं कहते । मैं चाहता हूं कि आज भी आप इस ओर ध्यान दें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विपत्ति के क्षणों में छोटे छोटे व्यक्ति भी सावधान हो रहे हैं । दस पन्द्रह दिन पहले की ही बात मैं आपको बताता हूं । एक स्टेशन पर भीख मांगने वाला भिखारी एक डिब्बे के साथ खड़े होकर भीख मांग रहा था । वह मेरे डिब्बे के पास भी आ गया और वहां आ कर उस ने कुछ गुनगुनाना शुरु किया । मैं ने भी सोचा कि देखें यह भिखारी आज क्या कहता है ? भिखारी ने अपनी दर्द भरी भाषा में कहा "ओ दिल्ली जाने वालो, कहना नेहरु सरकार से . . . . " । मैं ने सोचा कि यह भिखारी, इतनी जागृत भाषा कैसे बोल रहा है ? थोड़ा मैं और सावधान हुआ । मैंने ध्यान उधर दिया और सोचा कि आखिर यह क्या कहलवाना चाहता है उस समय उस भिखारी ने जो

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

जो बात कही वह बार बार स्मरण हो आती है वह नेहरु सरकार से नहीं बल्कि सारे राष्ट्र से कह रहा था। भिखारी बोला :—

"ओ दिल्ली जाने वालो कहना नेहरु सरकार से,
चर्खा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से ।"

दुनिया में शासन शक्ति से ही चलता है। क्षात्र धर्म का पालन कर के ही ठीक तरह से शासन हो सकता है । लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले पंद्रह वर्षों में क्षात्र धर्म के उद्‌बोधन की ओर हमने उतना ध्यान नहीं दिया जितना शाति और पंचशील का सन्देश सुनाने की ओर दिया है । हमारे ऋषि मुनि हमें यह संदेश दे कर गए हैं:

अग्रतश्चत्वारो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनेनु : ।
इदं ब्रह्म इंद क्षात्र शायादपि शरादपि ।।

हम पंचशील और शांति का संदेश भी दें, लेकिन अपनी कमर पर कसा हुआ धनुष और बाण भी तैयार रखें, पता नहीं किस विपति के समय हमें इसका उपयोग करना पड़ जाए। और किस स्थिति में आकर हमें फंसना पड़ जाय । अब हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि हर युवक को ए० सीं० सी० और एन० सी०सी० की ट्रेनिंग लेनी चाहिये, लेकिन काश अब से पहले जब तीन बार यह प्रस्ताव इस सदन में आया, उस समय हमारे प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार का आश्वासन दे दिया होता कि द्वितीय रक्षा पंक्ति को देश की रक्षा के लिये तैयार होना है तो यह दिन क्यों देखने पड़ते । घर में आग लगने पर कुआं खोदना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, पर खैर आज हमारे देश के शासकों ने अनुभव तो किया। मगर साथ ही मैं फिर वह बात कहना चाहता हूं कि कहीं यह अनुभव उस कृपण के अनुभव जैसा ही न हो जो रात को ठंड लगने पर निश्चय करता था कि सूर्य निकलते ही मैं रजाई बनवाऊंगा और सुबह होते ही उस निश्चय को भूला जाता था कि अब तो गर्मी आ गई अब रजाई बनवा कर क्या होगा । मैं चाहूंगा कि यह निश्चय ऐसा संकटकालीन निश्चय न हो कि जब संकट खत्म हो जाय तो इस को कार्य रूप में परिणित न किया जाय ।

मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मन्त्रालय और जनरल भोंसले को जिन्होंने राष्ट्रीय अनुशासन योजना की एक स्कीम इस देश में आरम्भ की । मेरा विचार है कि भारत सरकार को इसमें और सहयोग देना चाहिये जिससे नई पीढ़ी को राष्ट्रीय अनुशासन योजना से सशक्त नागरिक बनाया जा सके ।

एक और बात कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस अमर आत्मा स्वर्गीय डा० बी० एस० मुंजे को, जिन्होंने पराधीन भारत में भी नासिक में भोंसले मिलीटरी स्कूल को खड़ा कर इस देश का बड़ा भारी उपकार किया । डा० मुंजे एक बहुत बड़े दूरदर्शी नेता था ।

मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय महाराज कुमार ने सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो बात यहां रक्खी है, उस पर गंभीरता से ध्यान दिया जायेगा । पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उनकी सरकार इतना पैसा यदि नहीं दे सकती है कि हर जिले में एक सैनिक स्कूल खोल दिया जाये, तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि सीमावर्ती क्षेत्र जितने हैं, जैसे गढ़वाल है, नागालंड है, असम है, इन स्थानों पर, राजस्थान म, अथवा इस देश के मध्यवर्ती इलाकों में भी जहां पर कि फाइटर जातियां रहती हैं, जैसे कि पंजाब का हरियाना क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर सैनिक स्कूल अनिवाय रूप से खोले जाने चाहियें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं और इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

श्री कुं० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, इस भारतवर्ष में, यह कोई नई चीज नहीं रक्खी जा रही है । अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को खोलें तो हम देखेंगे कि चाहे सतयुग रहा हो चाहे द्वापर या त्रेता रहा हो, हर समय हमारे देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से उपस्थित थी । जो छात्र पाठशालाओं को भेजे जाते थे, उनके गुरु सैनिक शिक्षा में दक्ष होते थे और सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, सैनिक शिक्षा दी जाती थी । लेकिन जब से हमारा देश गुलाम हुआ जो यहां के शासक हुए, जो यहां के हुक्मरां हुए, उन्होंने इस देश के वासियों को कमजोर करने के लिये उनके अस्त्र, शस्त्र उनसे छीन लिये और उनकी सैनिक शिक्षा बन्द कर दी । जब हमारे देश में आर्य संस्कृति का जिक्र आता है, सब बातों की चर्चा होती है, तब मैं यह चाहता हूं कि इस बात का भी जिक्र किया जाये कि आखिरकार हम इसे क्यों भुला पैठे हैं, हम उसे पुनर्जीवित क्यों नहीं करते हैं, जिससे हमारे देश की जो शक्ति थी वह फिर आ जाये । हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस वक्त हमारे देश में यह सब बातें थीं उस वक्त इस विश्व में भारतवर्ष का सबसे बड़ा नाम था और ऐसा समझा जाता था कि भारत सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश है ।

जब से हमारा देश गुलाम हुआ, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी खराब होती गई, हम गरीब हो गये हैं, और हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा देने के लिये हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है । लेकिन जिस प्रकार से हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिये, स्वतन्त्रता के लिये और हमारे समाज को सुधारने के लिये पंचवर्षीय योजनायें बनाई गई हैं, क्या उसी प्रकार से सैनिक शिक्षा देने के लिये हम कोई भी पंचवर्षीय योजनायें नहीं बना सकते ? हम क्या उसके लिये कुछ भी धन नहीं दे सकते हैं ? आज इसके लिये हमारे देश में जो सुविधायें प्राप्त हैं, उनका उपयोग क्या हम नहीं कर सकते ? मैं समझता हूं कि अगर हमारी सरकार इस ओर लग जाये तो कोई कारण नहीं है कि हम अनिवार्य रूप से सब को सैनिक शिक्षा न दे सकें ।

यह ठीक है कि इस सदन में अभी बहुत से सुझाव रक्खे गये हैं, और मैं उनसे सहमत हूं कि हमारे देश में बन्दूकों की कमी नहीं है, बन्दूकें हैं, और जो लाइसेंसदार लोग हैं वह इसमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं । अगर हम कोई ऐसा कानून बना दें कि उन को एक महीने के लिये किसी अपने जिले के एक केन्द्रीय मुकाम पर अपनी बन्दूक देनी पड़ेगी, तो वे इसको सहर्ष कबूल कर लेंगे । हमें चाहिये कि खास तौर पर आज हमारे देश में जो उत्साह और उमंग है, हम उसका वाकई तौर पर सही इस्तैमाल करें, और सब ओर से पूरा सहयोग मिलेगा । मैं इस सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले में, जहां का प्रतिनिधित्व में लोक सभा में करता हूं, एक राइफल क्लब खोला जा चुका है । लोग उस राइफल क्लब के सदस्य बने हैं और इसके लिये माहवार चन्दा देते हैं । मैं समझता हूं कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर राइफल क्लब या राइफल समितियां न खोली जा सकतीहों और जब इतना धन हमारे इस युद्ध प्रयास के लिये आया है और इतना उत्साह और उमंग लोगों में है, तो चूंकि सरकार के पास इतना धन नहीं है इसलिये वह लोगों से पैसा ले । भारत में देशवासियों के पास इतना धन है कि यदि राइफल क्लब और राइफल समितियां खोली जायें तो वे उनके लिये माहवार चन्दा देने के लिये तैयार होंगे और देंगे ।

जैसा मैंने पहले बतलाया हमारे देश में राइफलें काफी मौजूद हैं । अगर हम शिक्षा इसकी देना चाहते हैं तो वे हमें हर जिले में मिल सकती हैं. केवल प्रश्न आता है गोलियों का और शिक्षा देने वाले लोगों का । सुलतानपुर में हम लोगों ने जो प्रबन्ध किया है वह यह है कि पुलिस लाइन में इस वक्त क्लब का हेडक्वार्टर है और जो भी राइफल सीखना चाहते हों वे वहां पर जाते हैं तथा वहां के इंस्ट्रैक्टर

[श्री कुं० कृ० वर्मा]

जो हैं वह यह शिक्षा उनको देते हैं । मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ सकती है जिसके कारण हम इसको अपना न सकें । मैं समझता हूं कि आज हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी गैर जरूरी चीजें हैं, जैसेकि हमारा समाज कल्याण विभाग है, प्राहिबिशन है इन सबमें हम जो समय और पैसा खराब कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिये । क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारे देश की दशा है उसके लिये और चीजें ज्यादा आवश्यक हैं । अगर उस खर्चे और उस समय को हम सैनिक शिक्षा आदि में लगायें तो ज्यादा उपयोगी काम हो सकता है । आज सैनिक शिक्षा हमारे लिये सिर्फ इसी लिये जरूरी नहीं है कि इस समय देश में एक आपत्ति आई हुई है, बल्कि मैं समझता हूं कि इस को हमारी यूनिवर्सिटियों और कालेजों में अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये ताकि हमारे देश में अच्छे सैनिक तैयार हो सकें । खास तौर से जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर तो सैनिक शिक्षा अनिवार्य सब के लिये कर ही दी जानी चाहिये ताकि हमारी सीमा की रक्षा ठीक से हो सके ।

†**श्री कोया** (कोजीकोडे) : किस समय तक हम संकल्प पर चर्चा करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ६—३० जब तक हम इस संकल्प पर चर्चा समाप्त कर दें ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : श्रीमन्, जो प्रस्ताव आज पेश किया गया है यह प्रस्ताव आज से एक साल पहले पेश होना चाहिए था, और अगर उस वक्त देश में मिलिटरी ट्रेनिंग लाजिमी कर दी जाती तो हमें आज यह दिन न देखना पड़ता ।

जब मैं यू० पी० असेम्बली में था उस समय भी मैंने यहां यह बात लिख कर भेजी और यू० पी० असेम्बली में भी बोला, और यहां भी मैंने अपनी मेडिन स्पीच में कहा था कि मुल्क के लिये सबसे ज्यादा जरूरी चीज अनिवार्य सैनिक शिक्षा है । लेकिन उस वक्त ख्याल नहीं किया गया और आज भी बड़ा मायूसीकुन जवाब हमारे प्रधान मन्त्री जी ने दिया है । अगर आज हमारा देश अनिवार्य सैनिक शिक्षा के लिये योजना तैयार नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उस मौके के लिये तैयार नहीं हैं जिस मौके से कि देश की रक्षा हो सकती है । मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक हम दूसरों से इमदाद मागेंगे । हमारा ४५ करोड़ का देश है । हम अपने पड़ौस में देखें कि छोटी छोटी ताकतें बढ़ती जा रही हैं और हम दूसरों का मुंह ताक रहे हैं । इसलिये जरूरी है कि बच्चे बच्चे को फौजी तालीम दी जाए और अगर हमारी सरकार इसका खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकती है तो हम लोगों को यह काम सौंपा जाए/जो दो चार करोड़ रुपये की इसके लिये आवश्यकता होगी हम लाकर देंगे । हमको अपने एक एक बच्चे को तैयार करना होगा तभी हम अपने कांस्टीट्यूशन की, अपने वेद की, और कुरान पाक की रक्षा कर सकेंगे ।

शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते

आज देश का बच्चा बच्चा देश की रक्षा के लिये तड़प रहा है । हमको उनको फौजी तालीम फौरन देने का इन्तिजाम करना चाहिये । अगर आज हम यह काम नहीं करते हैं तो फिर इसका मौका कभी नहीं आ सकता । नाऊ आर नेवर वाला मसला आज हमारे सामने हैं । हम देखते हैं कि अगर आज से दस साल पहले हमने यह काम शुरू कर दिया होता तो आज यह हालत न होती ।

हमारे सामने दो विश्व घटनाएं घटित हुई । लंका के प्रधान मन्त्री पर कातिलाना हमला किया गया । उनको भगवान् बुद्ध की ट्रेनिंग थी कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो । तो लंका के वजीर आज़म पर जब हमला हुआ तो वे उसको बरदाश्त न कर सके और अन्दर को घुसते गए और कातिल ने वहीं जाकर उनको खून किया । उसके

†मूल अंग्रेजी में

ठीक डेढ़ महीने के बाद इराक के वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ। जनरल कासिम पर जब हमला हुआ तो उन्होंने उसका मुकाबला किया। उनको यह ट्रेनिंग दी गयी थी कि जो तुम्हारे एक चांटा मारे तुम उसके दो चांटे मारो, और जो तुम्हारे ऊपर वार करे उस दुश्मन का खून पियो। तो जनरल कासिम का जब दायां बाजू टूट गया तो उन्होंने अपने बाएं बाजू से रिवाल्वर चला कर अपने कातिल का खून पी लिया। तो अगर देश के अन्दर लड़ने मरने की भावना पैदा नहीं की जाएगी तो मैं नहीं समझता कि हम अपने देश की रक्षा कर सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि आज स्पीचेज बन्द की जाएं, लेक्चर बन्द किये जायें, और एक फौजी तैयारी की जाए। बिस्मार्क ने लिखा है :

संसद् में भाषणों या बहुमत के मतदान से समय के प्रश्नों का हल नहीं होता है, परन्तु खून और सख्ती की नीति से होता है।

आज यहां तकरीरें बन्द करके हम लोगों को मोर्चे पर चलना चाहिये। ऐसा करने के लिये हमें अपने जागने और सोने के घण्टे बदलने होंगे, अपना खान पान बदलना होगा, अपनी रिहायश बदलनी होगी।

आज भी देहात के मजदूर और किसान को पता नही ह कि फौजी ट्रेनिंग के लिये हमारी सरकार क्या कर रही है। आज तक इन हथियारों पर से लाइसेंस नहीं हटाया गया है। यह हमारे लिये सब से बड़ी डिसग्रेस की बात है कि मुल्क तो आजाद हो गया लेकिन हथियार अभी तक गुलाम हैं। इसी कारण यू० पी० असेम्बली की बहस के दौरान में मैंने अपने सारे हथियार अपने वजीरे आला बाबू सम्पूर्णानन्द जी को सौंप दिये थे और कहा था कि जब तक हर एक सच्चरित्र बालक को हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा तब तक मैं हथियार नहीं रखूंगा क्योंकि इससे समाज में डिसपैरिटी पैदा होती है। आज हालत यह है कि जो लोग मूंग की दाल नहीं खा सकते उनको रिवालवर का लाइसेंस दिया जाता है और जो फौज में लड़ सकते हैं वे हथियार के लाइसेंस के लिये दरख्वास्त लिये फिरते हैं उनको कोई नहीं पूछता। इससे ज्यादा हिमाकत की और क्या बात हो सकती है कि एक हरदोई के एम० एल० ए० की दरख्वास्त को कलक्टर ने इसलिये खारिज कर दिया कि उन्होंने कलक्टर की हाजिरी नहीं दी। जो एक लाख डेढ़ लाख लोगों का नुमायन्दा था उसकी दरख्वास्त इस तरह खारिज कर दी गयी।

मैं चाहता हूं कि देश के अन्दर आज से लाजिमी फौजी तालीम शुरू कर दी जाए। दो चार करोड़ रुपया ऐसी बड़ी रकम नहीं है जो कि इस काम के लिये न दिया जा सके। आज यहां बड़े बड़े जनरल बैठे हैं जो इस काम को कर सकते हैं। आज यहां श्री करनीसिंह जी बैठे हैं, जनरल शाह नवाज बैठे हैं, जनरल कृष्णपालसिंह बैठे हैं जो लाखों आदमियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। सिर्फ इसके लिये सरकार स्कीम तैयार कर दे। सरकार इस काम को अपना पैट्रनेज दे। काम करने वाले हम लोग हैं। स्कीम सरकार की होनी चाहिए।

इस वक्त भी जनरल भौंसले ने काफी काबलियत का सबूत दिया है और दिखला दिया है कि देश अपनी रक्षा खुद कर सकता है। हम यह नहीं चाहते कि हम दूसरों के आगे गिड़गिड़ाएं। हम यह भी नहीं चाहते कि हम अपने किसी मित्र की रक्षा न कर सकें। सिक्किम आज हमारे साथ लगता है। हम उसकी रक्षा नेफा और लद्दाख की तरह करेंगे। नेफा और लद्दाख की तरह हम सिक्किम की रक्षा के लिये अपने प्राण दे देंगे। अपने दोस्तों की रक्षा करना हमारा धर्म है और अगर हम अपने दोस्तों की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा।

कसीदे से न चलता है न ये दोहे से चलता है,
समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है ॥

[श्री यशपाल सिंह]

देश की रक्षा वे लोग करेंगे जिनके बाजुओं में ताकत है, जिनकी आखें में तेज है।

अभी मेरे सामने एक दर्दनाक वाकया आया। एक लड़का लेफ्टिनेंट सिलैक्ट कर लिया गया। उसके लिये मां बाप ने हजारों रुपया खर्च किया था। जब उसको १५–२० दिन ट्रेनिंग लेते हो गए तो उसने अपने मां बाप को लिखा कि तुमने मेरे लिये गलत लाइन चुनी, मैं ट्रेनिंग की हार्डशिप बरदाश्त नहीं कर सकता और इसलिये खुदकुशी करता हूं। आज हालत यह है कि जो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग लेने के लिए तड़प रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने का कोई इतिन्जाम नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज से, अभी से इसी तारीख से अनिवार्य सैनिक शिक्षा का प्रस्ताव पास करके उस काम को शुरू कर दिया जाए। मैं अपने राजकुमार विजयानगरम् जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा और कल्याण के लिये यह प्रस्ताव पेश किया।

श्री का० रा० गुप्त (अलवर) : श्रीमन्, मैं उस अलवर क्षेत्र से आता हूं जहां कि भोंसले जी का स्कूल चल रहा है। जो प्रशिक्षण वहां मिल रहा है वह बहुत अच्छा है लेकिन यह समझ रहे वहां राइफल की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसलिये जो माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि वहां राइफिल की ट्रेनिंग दी जाती है वे भूल में हैं। वहां और सब ट्रेनिंग दी जाती है, सांस्कृतिक ट्रेनिंग भी दी जाती है और ड्रिल इत्यादि भी करायी जाती है। पर वहां राइफिल की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। यदि वहां पर राइफिल ट्रेनिंग भी प्रारम्भ कर दी जाए तो इससे देश को बड़ा लाभ हो सकता है। वहां पर इस समय ५०० नौजवान और नवयुवितियां ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगर उनको राइफिल की भी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वे यह ट्रेनिंग लेकर स्कूलों और कालिजों में हजारों लड़कों लड़कियों को ट्रेण्ड कर सकते हैं।

हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के पहले कहा जाता था कि स्वतन्त्र होने के बाद हमारे यहां आर्म्स ऐक्ट नहीं रहेगा, सबकें पास बन्दूकें होंगी। लेकिन अभी तक आर्म्स ऐक्ट चालू है। इसका क्या कारण है यह सरकार ही जाने। लेकिन हालत यह हो गयी है कि राजस्थान की रियासतों में जहां पहले टोपीदार बन्दूक के लिये लाइसेंस नहीं था वहां आज वे बन्दूकें भी लाइसेंस के अन्तर्गत आ गयी हैं। इन बन्दूकों से साधारण आदमी अपनी छोटी मोटी शिकार कर लेता था और अपने खेतों की रक्षा कर लेता था आज वह उससे भी वंचित कर दिया गया है। आज जरा सी बात पर पुलिस लोगों के लाइसेंस जब्त कर लेती है। अभी हाल में एक गांव में एक हरिजन और एक गूजर की बन्दूकें जब्त कर ली गयीं और उनसे कहा गया कि तुम आपस में लड़ सकते हो इसलिये बन्दूकें वापस ली जाती हैं। सरकार की जो यह नीति है उसी ने हमको इस दशा में ला दिया है। यदि यह आर्म्स ऐक्ट न होता तो गांवों में हजारों ऐसे आदमी होते जो स्वयं अपनी ट्रेनिंग लिये हुए होते। आज कुर्ग में आर्म्स ऐक्ट लागू नहीं है, वहां लोग अपनी बन्दूकें लेकर चलते हैं, न कोई किसी से लड़ता है न कोई किसी को मारता है। आज फ्रांटियर हमारे साथ होता तो हमारे पास सैनिक शिक्षा पाए हुए बहुत से लोग होते क्योंकि पठान तो कभी लाइसेंस नहीं लेता।

अनिवार्य सैनिक शक्षिा के खिलाफ दो तीन दलीलें दी जाती हैं। एक तो यह है कि तीन करोड़ आदमियों को कैसे सिखाया जाए और सिखा दिया जाए तो उनको उसका अभ्यास कैसे रहेगा। इसके लिये मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम के लिये योजना बनायी जाए, उस योजना को लागू किया जाए और फेज्ड प्रोग्राम कार्यान्वित किया जाए तो यह काम बहुत जल्दी हो सकता है और तीन चार बरस में पूरा हो सकता है। यह कोई नहीं कहता कि इस काम को एक दिन में पूरा करो। यदि इसको विधिवत् प्रारम्भ किया जाए तो बहुत जल्दी हो सकता है।

हमारे यहां विकेन्द्रीकरण स्कीम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें और जिला परिषदें बन गयी हैं। गांवों का वर्गीकरण हो गया है। इन गांवों में योजना के आधार पर काम प्रारम्भ किया जाए तो

हम इसे पूरा कर सकते हैं। स्कूल और कालिज तो सरकारी स्कीम के अन्तर्गत आ ही जाते हैं। देहातों में भी बहुत से कालिज खुल गए हैं। अगर क्षेत्रों की पंचायत समितियों के अन्तर्गत यह योजना बना कर चलाई जाये, तो यह ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि किया न जा सके। लड़ाई के जारी रहते हुए भी यह काम किया जा सकता है। अगर बहुत तेज़ी से नहीं, तो कुछ धीमी गति से ही वह किया जा सकता है, लेकिन वह जारी ज़रूर रह सकता है। हमारे भीतर जो मानसिक दुर्बलता घुसी हुई है, उसको दूर करना चाहिये, अन्यथा हम हर साल ऐसे प्रस्ताव पास करते रहेंगे और ऐसे ही काम चलता रहेगा।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की ट्रेनिंग चल रही है। मैं समझता हूं कि उसके अन्तर्गत ही इन सब योजनाओं को लिया जा सकता है। गांवों के लोगों की स्थिति यह है कि वे स्वाभाविक रूप से अस्त्रों का प्रयोग सीखने के आदी रहे हैं। खास कर राजस्थान में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं, जो इसके अभ्यस्त रहे हैं, जिनका अभ्यास अब छूट गया है।

प्रस्तावक महोदय ने बहुत सही ढंग का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। उस पर अमल करने के बारे में प्रधान मन्त्री ने जो कुछ कहा है, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस स्कीम को बिल्कुल छोड़ दिया जाये। योजना के अन्तर्गत इसको ले लिया जाये और एक फेज्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत इसको चलाया जाये, यही मेरा निवेदन है।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी) : यदि हमारे नवयुवकों को पहले से ही सैनिक प्रशिक्षण दिया होता तो स्थिति भिन्न होती है। फिर भी अब हमें प्रशिक्षण आरम्भ कर देना चाहिये। यदि हम इस योजना को पूर्णतया नहीं आरम्भ कर सकते तो कम से कम स्कूलों और कालिजों में तो आरम्भ कर देनी चाहिये। पहले आरम्भ में हमें प्रशिक्षण नवयुवकों तक ही सीमित रखना चाहिये। नवयुवतियों को प्रशिक्षण नहीं देना चाहिये।

हम जैसे लोग जिनकी आयु ६० वर्ष से अधिक हो गई है उनको भी किसी न किसी काम के लिये प्रयोग में लाया जाना चाहिये।

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो तजबीज़ इस वक्त हाउस के सामने है, मैं तहे-दिल से उस की ताईद करता हूं और आनरेबल मेम्बर, महाराजकुमार विज़ियानगरम, को एक ऐसी अच्छी तजवीज पेश करने के लिए मुबारकबाद देता हूं, जिस की कि आज ज़रुरत थी।

इमर्जेन्सी के वक्त इस तजबीज का हाउस के सामने आना बहुत अहम और ज़रुरी था। इस में कोई शक नहीं कि चाइनीज़ एग्रेशन के बाद हमारे मुल्क के लोगों में बहुत जोश है और वे चाहते हैं कि हम चाइनीज़ को बार्डर से पार भगा दें। लेकिन सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा—जोश के साथ कान्फ़िडेंस भी होना चाहिए। अगर हमारे लोगों में अपने ऊपर कान्फ़िडेंस नहीं है, तो जोश कोई काम नहीं आयेगा।

लोगों में कान्फ़िडेंस पैदा करने के लिये यही एक सूरत है कि उन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाये। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि हम में से कोई साहब इलैक्शन कैम्पेयन पर चले जा रहे हैं। वह जोश से जा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं रात हो गई, तो वह डीमारेलाइज़्ड़ और परेशान हो जाते हैं कि रात को कहां जायेंगे, क्योंकि रात को जो चोर डाकू से मुलाकात होने का डर रहता है। लेकिन अगर उन के पास राइफ़ल हो, तो उन में कान्फ़िडेंस होता है और वह रात को रात न समझते हुए बग़ैर किसी ख़ौफ़ के, पूरे कान्फ़िडेस के साथ, चले जाते हैं। इस लिए आज ज़रुरत इस बात की है कि मुल्क के बच्चे बच्चे में जोश के साथ कान्फ़िडेंस भी पैदा किया जाये। जैसा कि मैंने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहम्मद ताहिर]

अभी अर्ज़ किया है, । लोगों को कान्फ़िडेंस पैदा करने का ज़रिया मिलिटरी ट्रेनिंग के सिवाय और कोई नहीं है।

इस सिलसिले में चन्द मेम्बरान साहबान ने कहा है कि अगर इस वक्त मिलिटरी ट्रेनिंग दें, तो मुमकिन है कि हम मुल्क के तमाम लोगों को वह ट्रेनिंग न दे सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम उन एरियाज़ को वह ट्रेनिंग न दे सकें तो कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग को फ़ौरन टेकअप किया जाना चाहिए, जो कि बार्डर पर हैं--जो चाइना के बार्डर पर, नेपाल के बार्डर पर, और पाकिस्तान के बार्डर पर हैं। हमारे बाज़ दोस्त ने कहा कि इस ज़माने में उन बार्डर एरियाज़ में लाइसेन्स फ्री करना चाहिए ।। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम ने जो आर्म्ज़ एक्ट पास किया था, उस को बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया गया है, . . .

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : वह बेकार है ।

श्री मुहम्मद ताहिर : . . . . . लेकिन उस के लिबरल होते हुए भी लाइसेंस ग्रान्ट करने वाले हमारे कर्मचारियों ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने, उस को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है। उस के लिबरल होने का कोई फ़ायदा नहीं है ।

श्री मोहन स्वरूप : वह लिबरलाइज हुआ ही नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर : हां, वह लिबरलाइज़ हुआ ही नहीं है। यह ठीक है कि पहले उस में जो प्रापर्टी वगैरह की क्वालिफिकेशन्ज़ थीं, उन को हटा दिया गया है, लेकिन इस के बावजूद उस को लिबरल नहीं किया गया है । इस लिए मैं हुकूमत से कहता हूं कि कम से कम बार्डर एरियाज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह इन्सट्रक्शन दी जायें कि बार्डर विलेजिज़ में जो लोग बन्दूक व लाइसेन्स लेने के ख्वाहिशमन्द हों, उन को लाइसेन्स दिया जाये ।

यह ज़रूर है कि इस वक्त बन्दूक का मिलना मुश्किल है। उस की कीमत इतनी ज्यादा है—एक बन्दूक १०००, १२००, १३०० रुपए से कम में नहीं मिलेगी —कि हर शख्स उस को नहीं ख़रीद सकता है । लेकिन फिर भी हर गांव में कम से कम दो चार आदमी तो ऐसे ज़रूर हैं, जो इस कीमत पर ख़रीद सकते हैं। अगर इतनी तादाद में बन्दूकें आ जायेंगी, तो एक तो वे ट्रेनिंग में काम आयेंगी और इस के अलावा अगर गवर्नमेंट को ज़रुरत पड़े, तो वह उन्हें मांग कर दूसरों को ट्रेनिंग दे सकती है । इसलिए, जैसा कि मैं ने अभी अर्ज़ किया है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी जाये कि बार्डर एरियाज़ में कम से कम जो बन्दूक या राइफ़ल खरीद सकते हैं, उन को फ़ौरन लाइसेन्स दे दिया जा ।

मैं समझता हूं कि अगर ऐसा किया जायगा, तो कम से कम हमारे बार्डर एरियाज मजबूत हो जायेंगे । इस तरह तीन या पांच करोड़ न सही एक करोड़ या पचासलाख ही सही, अगर हमारे इतने आदमी भी वैल-ट्रेन्ड हो जायें और कान्फ़िडेंस के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सकें, तो हम यकीनन दुश्मन को आपने मुल्क से हटा सकते हैं।

इन अलफ़ाज़ के साथ में फिर अपील करता हूं कि इन तमाम बातों का ख़याल करते हुए लोगों को मिलिटरी ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाये और बार्डर एरियाज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी इन्स्ट्रक्शन्ज़ इस्यू की जायें कि वे बन्दूक या राइफ़ल लेने के ख्वाहिशमन्द लोगों को जल्द से जल्द लाइसेन्स दें, ताकि लोग तैयार हो जायें और अपने में कान्फिडेंस पैदा करें।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय , मैं इस प्रस्ताव का जिसको महाराज कुमार विजय आनन्द साहब ने पेश किया है, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बहुत ही सामयिक है और इस को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । गीता में कहा गया है "सर्वम शस्त्रे प्रतिष्ठतम् " । सब से ज्यादा श्रेष्ठ जो है वह शस्त्र है । महाभारत में कहा गया है कि एकलब्य जब द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया तो उन्होंने उसको शिक्षा देना पसन्द नहीं किया । लेकिन एकलब्य ने उनकी मूर्ति सामने रखकर धनुर्विद्या सीखना प्रारम्भ किया और उन्होंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया और बड़ी अच्छी तरह से इस विद्या को सीख गए ।

वैदिक काल में तथा पुराने ज़माने में भी धनुर्विद्या तथा दूसरे शस्त्रास्त्रों को चलाना एक अनिवार्य चीज़ समझी जाती थी । १८५७ के बाद अंग्रेज़ों ने हमारी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ थीं, उन को खत्म कर दिया, वह नहीं चाहते थे कि हम मार्शल रेस रहें और उन्होंने हमें बिल्कुल मुरदार सा कर दिया और शस्त्र धारण करने पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये । लेकिन अब समय आ गया है कि उस में सुधार हो और इस तरफ सरकार का ध्यान जाए ।

यह कहा गया है कि आर्म्स एक्ट जो है, इस में शस्त्रों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और जो कंडिशन्ज़ हैं, उन को लिबरलाइज़ किया जाएगा । लेकिन अभी तक कोई लिबरलाइज़ करने की बात नहीं हुई है । .२२ बोर राइफल पर भी लाइसेन्स खत्म नहीं किया गया है । मुझे पता नहीं कि आज सरकार को डर किस से है । हमारा देश आजाद है और जो हमारे देश के नागरिक हैं, वे देश के प्रति वफादार हैं । वे जब कभी किसी अस्त्र शस्त्र के लिये लाइसेंस मांगते हैं बड़ी दिक्कत के बाद उनको लाइसेंस मिलता है । इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये और इस दिक्कत को दूर किया जाना चाहिये ।

मैं उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं । वहां पर हर ज़िले में राइफल क्लब्ज़ बनी हुई हैं हुई लेकिन वे डिफंक्ट पड़ी हैं । उनको ठीक तरह से चालू किया जाना चाहिये । तहसील और ब्लाक लेवेल पर भी इस तरह की कलब्ज़ की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

सैनिक शिक्षण के दो पहलू होते हैं, एक बंदूक चलाना और दूसरा ड्रिल । अगर राइफलें नहीं मिल सकती हैं , गंज़ नहीं मिल सकती हैं तो कम से कम ड्रिल का प्रबन्ध तो किया ही जा सकता है । हर ब्लाक लेवेल से और हर गांव से टो, चार छः आदमी मुंतखिब कर के ड्रिल हो, और अगर राइफल्ज़ नहीं मिल सकती हैं, तो एयर गंज़ तो मिल सकती ही हैं । अगर ज़रुरी हो तो .२२ बोर राइफलें तो हम बना ही सकते हैं। हमारी आर्डनेंस फैक्ट्रीज़ में .२२ बोर राइफल्ज़ बनाने की व्यवस्था है । लेकिन बहुत कम पैमाने पर वे बन रही हैं। मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर उनका निर्माण हो और सैनिक शिक्षण ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए ।

बोर्डर के जो इलाके हैं , इस संकट में उनकी विशेष स्थिति है । अगर पूरे देश में सैनिक शिक्षण देने की व्यवस्था नहीं हो सकती है , ऐसे क्लब्ज़ नहीं बन सकते हैं, ऐसे एसोसिएशन नहीं बन सकते हैं, तो जो बोर्डर एरियाज़ हैं वहां पर तो ज़रुर इनकी व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके से आता हूं जो कि बिल्कुल बार्डर से मिला हुआ है, नेपाल से मिला हुआ है। वहां पर तो इसकी व्यवस्था कर ही दी जानी चाहिए । इसी तरह से जहां पर लड़ाई की लपटें बढ़ती चलीं जा रही हैं, जैसे सिलीगुड़ी है, बिहार का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, हमारी उत्तरी सीमायें हैं, वहां पर तो कम से कम ज़रुर इसकी व्यवस्था हो ।

[श्री मोहन स्वरूप]

मैं ने कल भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि यह जो पांच छः महीने का समय हमें मिला है, इसमें हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिये । इसके बाद पता नहीं क्या सूरत पैदा होगी । इस अर्से में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मिलिट्री की शिक्षा दे दी जानी चाहिये। अब यह अनिवार्य हो गया है कि इस तरह के शिक्षण स्कूल जल्दी से जल्दी खोल दिये जायें और एक दो महीने में काम चालू कर दिया जाए ।

जहां तक गांवों का ताल्लुक है, एक वक्त था जब कि वहां पर वर्जिश का काम महत्व का समझा जाता था। लेकिन आज वह बात नहीं रही है। उसको अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हर ज़िले में हर साल इसकी प्रतियोगितायें होनी चाहियें जहां पर सुगठित लोगों को कुछ इनाम वगैरह मिलें, वर्ज़िश के जो अच्छे पहलवान हैं, उनको इनाम वगैरह मिलें। गांवों में इस तरह की चीजें हुआ करती थीं। लेकिन अब वे दिन-ब-दिन घटती जा रही हैं ।

अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाती है तो काफी संख्या में हमें आदमी मिल सकते हैं। कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग का जो प्रस्ताव पेश हुआ है, वह उचित है और मैं समर्थन करता हूं। इसका जल्दी से इंतजाम कर दिया जाना चाहिये । एक दम नहीं तो दो-तीन फेजिज़ में हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह मुल्क की हिफ़ाजत के लिये बहुत जरूरी है।

श्री बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महाराजकुमार विजय आनन्द साहब ने जो संकल्प यहां पेश किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। चीनी आक्रमण के बाद जो स्थिति यहां पैदा हुई है, उसका मुकाबला करने के लिये हमें हर सम्भव उपाय काम में लाना चाहिये और यह संकल्प उस दिशा में एक कदम आगे है और इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। यह बहुत ही सामयिक है ।

आज हमारी सीमाओं को खतरा पैदा हो गया है और हम पर आक्रमण हुआ है। इसके फलस्वरूप देश में बहुत ही रोष और क्षोभ पैदा हुआ है। यह चीन जो हमारा शत्रु है, उसको हमें पक्का संकल्पकर के अपनी पवित्र भूमि से खदेड़ना है। इस काम में सबसे बड़ा योगदान हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों का होना चाहिये और उन्हीं का हो सकता है। वह होगा भी। लेकिन आप समझ लीजिये कि बलिष्ठ आत्मा बलिष्ठ शरीर में रहती है और हमारे नवयुवक और नवयुवतियां हमारी भावी आशायें हैं। देश का भविष्य उन पर निर्भर करता है। यह ठीक है कि हम उनके बारे में उच्छृंखल भाव का परित्याग करके सोचें। लेकिन यह भी सही है कि हमारे नवयुवक आज चीनी आक्रमण के कारण जो स्थिति पैदा हो गई है, उसमें जो उनका उत्तरदायित्व है, उसको भली प्रकार से समझते हैं। हमारे देश पर एक बर्बर देश ने आक्रमण किया है। ऐसा करना उस देश की एक आदत सी रही है। वह देश फौजी ढंग से पला है और बददयानती और धोखेबाज़ी उसने सीखी है। जिस तरह से उसने दूसरे देशों में अपनी फौजें झोंकी हैं और उनको गुलाम बनाने का प्रयत्न किया है, वैसा ही प्रयत्नावह यहां भी करना चाहता है। उसने कोरिया में ऐसा ही किया है। यह जो चीज़ है, इसको हमेशहहमें अपने मस्तिष्क में रखना है। उसने बहुत बड़ी संख्या में अपनी सेना हमारे प्रदेश में झोंक दी हैं। वह बलशाली है, शक्तिशाली है और उसके पास आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं। उसकी फौज इन शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है। हमें उसको रोकना है। यह ठीक है कि हमारे जवान उसका मुकाबला कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी से कर रहे हैं। लेकिन उसके लिये यह भी बहुत आवश्यक है कि हम अपने नवयुवकों और नवयुवतियों को सैनिक शिक्षा दें और उनको भी इन चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिये तैयार करें। उनको आज इस काम में दक्ष करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करके हम उनमें दुश्मन का मुकाबला करने की सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं।

नवयुवकों में जहां एक दूसरी तरह के विचार होते हैं, वहां अनुशासनहीनता का विचार भी होता है। लेकिन वह आई और चली गई। आज उनमें अनुशासनहीनता नहीं है। आज हमारे नवयुवक और नवयुवतियां अनुशासन में बंधे हुए हैं। देश के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व है, उसको वे भी भली भांति समझते हैं। उनमें देश के प्रति आज उत्कट प्रेम है। आज वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि

"माता भूमि पुत्रो अहम् पृथिव्या"

यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूं। और

"उपसर्प मातरं भूमिम्"

आओ हम अपनी इस धरती माता की सेवा के लिये आगे बढ़ें जिस पर काले संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह संकल्प उनके दिमाग में होना चाहिये। यही नहीं बल्कि..........

"ओ३म् व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये"

यह जो हमारा स्वराज्य है, सुविस्तीर्ण फैला हुआ है, इसको हमने बड़े कष्टों के साथ और बलिदान के साथ पाया है। उसकी रक्षा के लिये हम तैयार रहें। अगर इसमें किसी का योग हो सकता है तो हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों का हो सकता है। नवयुवतियों की ओर हमने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना नवयुवकों की ओर दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि उनकी ओर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। उनको फौजी ट्रेनिंग दिये बिना भी हम रह नहीं सकते हैं।

हमको व्यापक आधार पर देश के अन्दर सैनिकीकरण करना है। उसके लिये यह आवश्यक है कि जितने भी स्वस्थ शरीर के देश में व्यक्ति हैं, और जिनकी आयु ५० साल से ज्यादा नहीं है, उनको हम फौजी ट्रेनिंग दें और फौजी आधार पर फौजी ट्रेनिंग देकर, देश की रक्षा के लिये वर्दी पहना कर दें।

मुझे प्रसन्नता है कि जनरल भोंसले की जो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है उसके प्रदर्शनों को मैंने देखा है और मैं उससे प्रभावित हुआ हूं। उनकी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम यहां नवयुवकों में देश प्रेम की भावना और उत्कट देशभक्ति उत्पन्न करती है। हमारी सैनिक ट्रेनिंग में इस स्कीम का भी स्थान होना चाहिये कि नवयुवकों में देश के लिये एक गौरव पैदा हो। इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन का स्वागत करता हूं, लेकिन चाहता हूं कि देश के सारे स्वस्थ लोग, चाहे वे नवयुवक हों चाहे बूढ़े हों, उनका सैनिकीकरण किया जाय ताकि देश पर जो संकट आया है उससे वे देश की रक्षा कर सकें।

†**श्री धवन** (लखनऊ) : स्कूल में विद्यार्थियों को पूर्व सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में पूर्णतया सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिये।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करें यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों को अन्तिम परीक्षा में कुछ नम्बर दिए जाएं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री धवन]

यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में राइफल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस काम के लिये भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिये। विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए। सरकार को इस संकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जिस पर इस समय विचार हो रहा है, केवल सामयिक मांग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करता है बल्कि जो राष्ट्र की कमी रही है, उसको पूरा करने के लिये जोर दे रहा है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में, यह बिल्कुल स्पष्ट है, जहां भारत राष्ट्र दर्शन से बहुत प्रभावित रहा है, वेदान्त या सिद्धान्त की बहुत चर्चा रही है, वहां समाज के संचालन के लिये जो अनुशासन होना चाहिये उसकी तरफ बहुत ध्यान, कम से कम मध्यकाल में और वर्तमान काल में नहीं गया। मैं मानता हूं कि प्राचीन काल में जिस समय समाज का प्रारम्भिक संगठन हो रहा था सैनिक भाव की तरफ और क्षात्र भाव की तरफ कुछ ध्यान था, लेकिन ज्यों ज्यों यहां पर हमारे लिये दैनिक जीवन की सामग्री पूरी होती गई, त्यों त्यों यह ध्यान हटा, और उसका फल यह हो गया कि हमारे देश पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए और हम असफल हुए।

जहां तक वीरता का सम्बन्ध है, जहां तक साहस का सम्बन्ध है, पिछले दो विश्व युद्धों में यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जवान या भारतीय अफसर जितने योग्य और जितने कुशल हैं, जितने वीर हैं उतने दुनिया में किसी और समाज के योद्धा नहीं मिलते हैं। फिर भी इस के पहले मध्य काल में यह सिद्ध हो चुका है कि योद्धा होने पर भी, वीर होने पर भी, अनुशासन की कमी के कारण या टीम वर्क की कमी के कारण जहां हमारा कोई सेनानी मारा गया कहीं पर कि सारी की सारी फौज ने हथियार डाल दिये और हमारा देश अधीन हो गया। इस तरह हमारे देश में दार्शनिक भाव के साथ जो व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्टिक दृष्टिकोण रहा है उसके कारण हमारे देश में समृद्धि होने पर भी हमें पराधीनता का मुंह देखना पड़ा और उस पराधीनता को मिटाने के लिये हमें सदियों प्रयास करना पड़ा। आज के समय में उस भाव, उस स्पिरिट की आवश्यकता है जो कि एक समूह में, एक टीम में काम करने के लिये आवश्यक होती है।

अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ केवल यह नहीं है कि वे युवक इसी समय काम दे सकें बल्कि उसकी आवश्यकता इसलिये है कि हमारे दैनिक जीवन में, चाहे फैक्ट्री हो चाहे स्कूल हो या कालेज हो या खेत हो, कहीं पर भी जो काम हो वह अनुशासित ढंग से हो और वहां पर काम करने की भावना ऐसी हो कि वह काम केवल एक व्यक्ति के लिये नहीं हो रहा है बल्कि समूह के लिये हो रहा है। यह सैनिक शिक्षा चाहे किसी आयु से आरम्भ हो और चाहे किसी आयु तक जाय, लेकिन वह स्कूल और विद्यालयों में आरम्भ करके उस समस्या तक होनी अवस्था तक होनी चाहिये जहां तक कि युवक कठिन परिश्रम कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के देने से न केवल हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण का डर कम होगा बल्कि हमारे राष्ट्र और समाज को चलाने के लिये, उत्पादन को बढ़ाने के लिये, समाज को समृद्ध बनाने के लिये, जिस भाव की आवश्यकता होती है वह उसकी पूर्ति करेगी।

कल मुझे इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने का पूरा मौका नहीं मिला कि यह एक राष्ट्रीय कमी है और इसको दूर करने के लिये हम समय टालते न जायें, बल्कि फौरन कक्षायें आरम्भ करें। हमारे माननीय सदस्यों ने जो कुछ बतलाया है उस कमी को पूरा करने के लिये, उसे करने के लिये इससे अच्छा अवसर दूसरी नहीं आयेगा, जिस वक्त कि खेतों में शहरों में, देहातों में, सब जगह आवाज है कि हम सैनिक शिक्षा चाहते हैं साधन की कमी चाहे जितनी भी हो।

यह बात सही है कि सरकार को बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। उसके पास साधनों की की बहुत कमी है विशेषकर उस समय जब कि करोड़ों नहीं अरबों रुपये की सामग्री की आज आवश्यकता है विदेशी आक्रमण को दूर करने के लिये, तब इसका प्रबन्ध करने में कठिनाई होगी। लेकिन ऐसे भी साधन हैं, जैसे विद्यालय हैं, और विद्यालयों के साथ साथ ऐसे बहुत से सज्जन ग्रामों और शहरों में हैं जो कि अपनी बन्दूकें दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रारम्भ करेंगे तो यह शिक्षा बढ़ती जायेगी। लेकिन अभी तो प्रारम्भ नहीं हो रहा है। इसमें देर होने के कारण जो चीज आज अत्यन्त आवश्यक हो गई है, उसमें कठिनाई पैदा हो रही है। इससे हमारे अन्दर मार्शल स्पिरिट ही पैदा नहीं होगी बल्कि समाज विरोधी तत्वों को देश के अन्दर प्रोत्साहन मिलेगा जो कि समय समय पर उच्छृंखलता के कारण या सामाजिक अनुशासन न होने के कारण गलत काम कर जाते हैं जो कि नहीं करने चाहियें और जिससे समाज की प्रगति में बाधा पड़ती है।

मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संकट को दूर करने के लिये हो सकता है कि आप इस समय तैयार हों, लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो आक्रमण भारत और चीन के मनमुटाव के कारण नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में अब तक युद्ध का कोई कारण नहीं रहा है। फिर भी यह आक्रमण कोई, दो, चार या दस सालों के लिय नहीं है, बल्कि संसार के दो बड़े राष्ट्रों के बीच, जिनकी आबादी ज्यादा से ज्यादा है और जो संसार भर पर प्रभाव डाल सकते हैं, यह संघर्ष है। हो सकता है कि यह संसार के दो विचारों का संघर्ष हो, हो सकता है कि यह चीन की महत्वकांक्षा हो जो कि सारे संसार के ऊपर अपना ही आधिपत्य जमाना चाहता है। उसकी इस महत्वकांक्षा को चूर चूर कर ने के लिये यह आवश्यक है कि भारत आज यह बतला दे कि यह राष्ट्र न केवल दार्शनिक है, न केवल वेदान्त की बातें करता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह शरीर, मन और स्पिरिट से इस प्रकार से खड़ा हो सकता है कि केवल चीन ही नहीं वरन् कोई भी हमारे ऊपर आंख उठाये ऐसा उस का साहस नहीं हो सकता। आज दक्षिणी समुद्र को छोड़कर पश्चिमोत्तर और पूर्वी सीमायें जो हमारी हैं वे ऐसी हैं जिन के कारण आज हम को संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद है कि एक खैबर दर्रा था। वह खैबर पास हिन्दुस्तान का इतिहास बनाने में कई बार घातक साबित हुआ। आज एक खैबर पास का सवाल नहीं है, बल्कि हिमालय जिसको हम अपने देश का रक्षक समझते थे हमारा रक्षक नहीं रहा है और उस में हो कर शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। आज हमारी सीमाऐं उतनी सुरक्षित नहीं हैं जितनी कि दस बीस साल पहले थीं ? इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। केवल उत्तरी हिस्से को ही नहीं बल्कि सारे देश को होशियार रहना चाहिये। विशेषकर जहां हमारी सीमाएं हैं उस के आस पास के क्षत्र में लोगों को जल्दी से जल्दी सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तभी हम आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संकट को दूर कर सकेंग।

श्री तुलसी दास जाधव (नादेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कम्पल्सरी मिलिटरी ट्रेनिंग का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस वक्त तो उसकी बहुत जरूरत है और हमेशा के लिये भी इसकी जरूरत है। अगर दूसरे देशों का इतिहास देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि प्रायः हर देश में कम्पल्सरी मिलिटरी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। यूनीवरसल मिलिटरी ट्रेनिंग सरविस नाम की पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है कि इंगलैंड और अमरीका में सन् १९३९ तक कम्पल्सरी मिलिटरी ट्रेनिंग नहीं थी पर स्विटजरलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, पुर्तगाल, स्वीडन, जापान और वैस्टर्न हैमिस्फियर के लैटिन अमरीकी देशों जैसे अर्जेन्टीना, ब्राजिल, मैक्सिको, वोलीविया

[श्री तुलसी दास जाधव]

कोलम्बिया, पीरू, बनेजुएला, में और फिलीपाइन्स और थाइलेंड में जहां तक मुझ पता चला है कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग होती थी। इन सब देशों में १८ से ४५ वर्ष की उम्र तक या २० से ६० वर्ष की उम्र तक इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है ।

जब जर्मनी ने फ्रांस पर सन् १९३९ में हमला किया और युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड और अमरीका को भी अपने अपने देशों में कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग की आवश्यकता अनुभव हुई।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग अत्यन्त आवश्यक है। अपने देश में यह अभी तक नहीं हुई है। ए० सी० सी० और एन० सी० सी० द्वारा स्कूलों और कालिजों में मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। कुल १२ लाख २८२० सारे हिन्दुस्तान में कैडटों की संख्या है । इस में भी उनको यह एजूकेशन दी जाती है कि देहात में कहीं गड्ढा खोदना, या सड़क दुरुस्त करना । ऐसा काम उन से लिया जाता है ।

मेरा कहना है कि इतने थोड़े लोगों से काम नहीं होगा । ए० आइ० सी० सी० और एन० सी० सी० हर स्कूल और कालिज में कम्पलसरी होनी चाहिए ।

दूसरा लाभ कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग से यह है कि उस से लोगों में और जवानों में अनुशासन आता है। इस के बारे में एस्टीमेट कमेटी की सन् १९५६–५७ की रिपोर्ट में सुझाव मिलेंगे। मैं उस में से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, इस वह प्रकार है :—

> शरीर, मन, चालचलन और सैनिक को अच्छा सैनिक बनाने के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण काफी सहायता कर सकता है। "

इस मिलिटरी ट्रेनिंग से केवल यही लाभ नहीं है कि लोगों को बन्दूक चलाना आ जाएगा लेकिन इसका उपयोग देश में अच्छे नागरिक बनाने में भी है। इस एजूकेशन से जो फायदा होता उसके बारे में यूनीवरसल मिलिटरी सरविस नाम की पुस्तक के पेज १३७ पर इस प्रकार दिया गया है :

> "अनिवार्य भर्ती में समता और नागरिकता समुदाय है।"

इस के मानी यह हैं कि देश के नागरिकों को, बच्चों और बूढ़ों को, मिलिटरी ट्रेनिंग मिलने से वे देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। आजकल हमारे देश की आबादी ४४ करोड़ है लेकिन देखा जाए तो अधिकांश लोगों को न चलना आता है, न बैठना आता है, न ठीक से बोलना आता है, यानी जिसको मैनर्स कहते हैं वह अधिकांश को नहीं आता। एक बाजार की तरह काम चल रहा है । हमको एटीकेट और मैनर्स सीखने की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को बचपन से ही कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाए। मैं समझता हूं कि यह ट्रेनिंग दो बरस के लिए या तीन बरस के लिए हर नागरिक को मिलनी चाहिए। इसकी देश के लिए बड़ी आवश्यकता है और इस समय जब की कि चीन का हमला हमारे ऊपर हो रहा है जब तो इसकी और भी ज्यादा आवश्यकता है।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इस के लिये धन्यवाद है। जब से मैं चुन कर आया हू आज मुझे पहला मौका मिला है।

आज जो अनिवार्य सैनिक शिक्षा का प्रस्ताव सदन के सामने है मैं उसका समर्थन करता हूं। सारा हाउस उसका समर्थन कर रहा है। आज हमारे विशाल देश पर चीन ने हमला किया है । उसका जबाव भारत वर्ष दे सकता है क्योंकि वह भी चीन के बराबर का देश है। आज की स्थिति में यहां अनिवार्य मिलिटरी ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है ।

[श्री रा० प० तिवारी]

इस संबंध में मैं अपने अहिंसा के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहता। अहिंसा भारतवर्ष का सिद्धान्त है और आगे भी रहेगा और लोगों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाए तब भी उसका यही सिद्धान्त रहेगा। एक बार कुछ महिलाओं ने अपने साथ बुरे व्यवहार की शिकायत गांधी जी से की थी तो गांधी जी ने उन से कहा था कि तुम्हारे पास हंसिया आदि जो कुछ भी था उससे तुमने काम क्यों नहीं लिया। मतलब यह है कि जब कोई तुम पर हमला करे तो उसका हर तरह मुकाबला करना चाहिए। जब चीन का रुख भारत की तरफ हिंसा का है उस समय अगर हम उसका फ़ौजी ताकत से सामना करें तो यह भी अहिंसा ही है। हमारे ऊपर एक सैनिक अनैतिक हमला हो रहा है और हमको उसका हर तरह मुकाबला करना चाहिए क्योंकि यह अपनी मातृभूमि की ही स्वतंत्रता की रक्षा का सवाल है।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी माता तो केवल हमको जन्म देती है लेकिन मातृभूमि तो हमको पालकर बड़ा करती है। स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है। जब जननी और जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम—उन के पुत्र—मौजूद हैं, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि उनकी रक्षा के लिए हम अपने प्राण तक देने के लिए तैयार रहें।

माता का काम जन्म देना और पालन-पोषण करना है, लेकिन जब पुत्र का मरण हो जाता है, तो वह उस को एक दो दिन तक अपनी गोद में रख कर रोती रहती है। जब वह शरीर सड़ने लगता है, तो उस को फेंकना पड़ता है। उस सड़े हुए शरीर को भूमि में गाड़ा जाता है, जहां कि उस का जन्म हुआ था। इसका अर्थ यह है कि जिस धरती पर हम ने जन्म लिया है, मरने के बाद भी वह हम को शरण देती है। इस लिए अपनी जन्म-भूमि, भारत की रक्षा के लिए हम जो कुछ भी करें, वह कम है, क्योंकि वह हम को स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है।

जन्म-भूमि की रक्षा के लिए देश के लोगों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना आवश्यक है। यह अहिन्सा है, हिन्सा नहीं है। अगर चीनियों ने कम्यूनिज्म का फैलाव करना था, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कांस्टीट्यूशन के अनुसार यहां पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिन में भाग ले कर हमारे यहां कम्यूनिस्ट एक राज्य में अपनी गवर्नमेंट भी बना चुके हैं। लेकिन चीन ने हिंसा के दबाव से, बल से, हमारी स्वतंत्रता का अपहरण करके हम पर शासन करना चाहा है और हम पर बड़े अस्त्रों के साथ चढ़ाई की है, इसलिए हम को उस का जवाब हिन्सा के द्वारा ही देना पड़ रहा है। उन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, वही व्यवहार हम को भी उन के साथ करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): मैं महाराजकुमार विजय आनन्द जी के संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस में विहित तीन बातें हैं।

एक तो यह कि देश के नौजवानों में राष्ट्रीय आपात की चेतना जगानी है। संसदीय-वाद-विवाद से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी सदस्यों के इस संबंध में दृष्टिकोण क्या हैं? देश के नवयुवकों को ही नहीं प्रत्युत महिलाओं को भी सैनिक शिक्षा देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह है कि आज कल हमें गलत विचारधारा सिखायी जाती रही है कि अमुक जाति सैन्य जीवी है और अमुक नहीं । देश के सभी स्वस्थ लोग सैन्य शिक्षण से देश की रक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि हम देश के किसी क्षेत्र विशेष पर बल नहीं देना चाहते । आज कोई भी प्रान्त सीमा प्रान्त है अतः सैन्य शिक्षण के संबंध में सीमा प्रान्त और अन्य प्रान्तों का वर्गीकरण करना भी उचित नहीं ।

चौथी बात यह है कि प्रधान मंत्री का कहना है कि इस संकल्प के लागू करने पर प्रायः तीन करोड़ लोगों को सैनिक शिक्षा देना होगा । यह क्या बहुत बड़ा है । वर्दियां, हथियार शिक्षण की व्यवस्था बड़ी बात है । आज देश में युद्ध चेतना जागी है । मैं प्रतिरक्षा मत्री से निवेदन करूंगा कि वे विभागीय समिति बनायें जो इस विषय पर विचार कर एक मास के भीतर सिफारिशें दें। एन० सी०सी०, ए०सी०सी० और टेरीटोरियल आर्मी के रूप में श्लाघनीय प्रयत्न किये जा रहे हैं। किन्तु ये पर्याप्त नहीं । हमें सैन्य शिक्षण की पूरी योजना मिलनी चाहिये ताकि देश चीन का मुकाबला कर सके।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : जिन माननीय सदस्यों ने विवाद में भाग लेकर अपने कीमती सुझाव प्रस्तुत किये हैं उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मेरा काम काफी आसान हो गया है। प्रधान मन्त्री ने मामला काफी स्पष्ट कर दिया है फिर भी मैं कुछ भ्रांतियों को दूर करना जरुरी समझता हूं। सारे भाषण सुनने के बाद ऐसा करना मेरा कर्तव्य भी है ।

एक माननीय सदस्य ने एन० सी० सी, विश्वविद्यालय प्रशिक्षण दल का उल्लेख करते हुए कहा कि राइफलें ही नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि यह प्रशिक्षण दल भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही बन्द कर दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने राष्ट्रीय सेना छात्र दल और राष्ट्रीय राइफल्ज़ की स्थापना की । लड़कियों का विभाग भी इसके अन्तर्गत है । इसमें यहां वरिष्ठ और कनिष्ठ लड़कों के विभाग हैं वहां इसके अन्तर्गत वरिष्ठ और कनिष्ठ लड़कियों के भी विभाग हैं । कई एक राज्यों में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में अधिक उत्साह दिखाई दिया है । लड़कियों की विशेष प्रतिभाव को देखते हुए संकेत से समाचार भेजने की विद्या तथा परिचर्या की शिक्षा भी उन्हें दी जाती है ।

एक बात में और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसे प्रधान मन्त्री ने भी स्पष्ट किया है। वह यह कि सरकार संकल्प की भावना की कद्र करती है और मानदीय सदस्यों के वर्तमान संकट में नौजवानों के उत्साह को सैनिक तैयारी में लगाने की इच्छा को समझती है । परन्तु कठिनाई व्यापक आधार पर आवश्यक प्रशिक्षण देने की है । आयु ग्रुपों के बारे में भी प्रधान मन्त्री ने १५ से २४ वर्ष के आंकड़े बतलाये थे । इसके अनुसार आंकड़े ३०० लाख होते हैं। 'नौजवान लोगों' की ठीक ढंग से परिभाषा भी नहीं की गयी है । २३ और ३४ वर्ष के आयु ग्रुप के लोगों की संख्या ही २७० लाख बन जाती है । इसमें केवल जवान मर्द ही लिये गये हैं जवान औरतें अलग हैं। ३५ से ४४ आयु के लोग २२० लाख हैं । अतः १५ से ४० वर्ष की आयु के व्यक्तियों को सब मिला कर लिया जाय तो यह संख्या लगभग ६½ करोड़ तक बन जाती है ।

इस परिस्थिति में सबसे कठिन समस्या प्रशिक्षण देने की है। आवश्यक धन और प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी, जो इतने कार्य कुशल एवं अनुभवी हों कि लोगों को उचित प्रशिक्षण दे सकें प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है । एन० सी० सी० के ४ लाख लोगों पर जो १९६०–६१ पर व्यय हुआ,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुरामैया]

उसमें केन्द्रीय सरकार का अंश लगभग ८ करोड़ रुपये का था और राज्यों का लगभग ३.५ करोड़ का था। इन ४ लाख में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। कुशल अधिकारियों को प्रशिक्षित करतें दो तीन वर्ष लग जायेंगे। अतः इस समय समस्या इन ६।। करोड़ नवयुवकों को प्रशिक्षण देने और इसके लिये प्रशिक्षित प्रशिक्षिक पैदा करने की है।

प्रस्तावक महोदय का भी शायद 'अनिवार्य' से सैनिक प्रशिक्षण का ही तात्पर्य है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति अधिक से अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देने की है। सरकार के सामने वित्तीय संसाधनों, उपकरणों सम्बन्धी स्थिति का प्रश्न है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय प्रशिक्षण के क्षेत्र का विद्यार्थी-जगत के बाहर भी विस्तार करने की विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रहा है। ७ लाख योग्य विद्यार्थियों में से ४ लाख को योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है और शेष ३ लाख को भी योजना के अन्तर्गत लेना चाहती है। शायद हमारे सदन के पुराने माननीय सदस्य श्री दी० चं० शर्मा इसी योजना की रुपरेखा जानना चाहते थे।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि प्रशिक्षण के बारे में विविध अंगों पर विचार करने के लिये कुछ समय तो मिलना ही चाहिये ताकि उचित व्यवस्था हो जाय और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की प्रतिरक्षा का अपेक्षित प्रबन्ध किया जाय। मैं इस बारे में प्रस्तावक महोदय की भावनाओं की कुछ कद्र करता हूं और अपने युवक और युवतियों के उमड़ रहे जोश को भी पहचानता हूं। प्रस्तावक महोदय ने आंध्र प्रदेश एक सैनिक स्कूल के लिये भूमि दी है। सैनिक स्कूलों का खर्च बहुत अधिक है इसके बारे में मेरा निवेदन है कि इन सैनिक स्कूलों में सैनिक शिक्षा के साथ साथ अन्य दिशाओं की शिक्षा भी दी जाती है। मैं यह बताना तो भूल ही गया था कि लोक सहायक सेना के अन्तर्गत ३१ अक्तूबर, १९६२ तक तक छः लाख व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। सरकार इस दिशा में विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही है और अधिकाधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है। परन्तु साधनों का प्रश्न है, अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को समय देना चाहिये कि वह लोगों को प्रशिक्षण देने के उपाय और संसाधनों के बारे में सोच सके।

इन हालात में मैं यही अपील करना चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय को कृपा कर यह संकल्प वापिस ले लेना चाहिये।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** : मेरे संकल्प को इस संसद् में जो सर्थन माननीय सदस्यों से प्राप्त हुआ है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। इस पर जो प्रधान मन्त्री और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री रघुरामैया ने जो कुछ कहा उसके लिये भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

मेरा निवेदन है कि मेरे संकल्प का उद्देश्य पूरा हो गया है। क्योंकि प्रधान मन्त्री ने संकल्प को स्वीकार करनें में कुछ कठिनाइयां बताई हैं, अतः मैं उसे वापिस लेना चाहता हूं। परन्तु इस बात पर पुनः जोर देता हूं कि अपने ८ से १० वर्ष तक के बच्चों को भी सैनिक भावना से पूर्ण बनाने की आवश्यकता है। सरकार को मेरा सुझाव है कि उसे प्रत्येक जिले में एक सैनिक स्कूल खोलने की योजना बनानी चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के पास सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र अवश्य हो। इन शब्दों से मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहिले संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति है ?

†कुछ माननीय सदस्य : हां ।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : नहीं जी, यह तीसरी बार है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं संकल्प को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि सब नौजवानों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९६२/कार्तिक २५, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १५ नवम्बर, १९६२

२४ कार्तिक १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१९८	दिल्ली को भाखड़ा से बिजली का सम्भरण	७५१–५२
१९९	ब्यास परियोजना	७५२–५३
२००	कोयला क्षेत्रों के निकट तापीय बिजलीघर	७५३–५५
२०१	सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण	७५६–५८
२०२	दण्डकराण्य परियोजना	७५८–५९
२०३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	७५९–६१
२०४	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी मुद्रा	७६१–६३
२०५	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	७६३–६७
२०७	होटल जनपथ दिल्ली	७६७–६८
२०८	चिकित्सा सहायक कर्मचारी	७६८–६९
२०६	औषध नियन्त्रण प्रशासन	७६९–७०
२०९	दिल्ली में गैस पैकेज पावर प्लांट	७७०–७१
२१०	पोंग में ब्यास बांध के लिये विदेशी मुद्रा	७७१
२१३	केन्द्रीय आवास बोर्ड	७७२
२१५	संसदीय कार्य के लिये मुद्रणालय	७७२–७५
२१६	विदेशी यात्रा प्रतिबन्ध	७७५–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

२११	चन्द्रपुरा बिजली सन्यन्त्र	७७६
२१४	गर्भ निरोधक सामग्री	७७६
२१७	विदेशी मुद्रा नियमों का कार्यवहन	७७७
२१८	उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाना	७७७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४२५	केरल में मकान बनाने की योजनाओं के लिये अनुदान . .	७७७
४२६	संसद् सदस्यों के लिये कई मंजिलों वाली इमारतें . .	७७८
४२७	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निवासस्थान . .	७७८
४२८	मकान निर्माण के सम्बन्ध में एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की गोष्ठी . .	७७८–७९
४२९	अदित्यपुर में मकान	७७९
४३०	कम आमदनी वाले लोगों के लिये मकान बनाने की योजना .	७७९
४३१	केन्द्रीय सचिवालय में अग्निकाण्ड . . .	७८०
४३२	हिमाचल प्रदेश में क्षय रोगी . . .	७८०
४३३	आयुर्वेदिक औषधियां	७८०–८१
४३४	त्रिशूली बांध	७८१–८२
४३५	बिहार में सोन बांध परियोजना . . .	७८२–
४३६	उड़ीसा में सिंचाई परियोजनायें . . .	७८३
४३७	अंशदायी स्वास्थ्य औषधालय . . .	७८३
४३८	नयी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा एकक	७८४
४३९	दिल्ली वृहत् योजना . .	७८४
४४०	मानसिक रोग	७८४–८५
४४१	पैनिसिलीन . . .	७८५
४४२	क्षय रोगी	७८५–८६
४४३	नकली दवाइयां	७८६–८७
४४४	केन्द्रीय औषध संस्थान . . .	७८७
४४५	गंडक परियोजना . . .	७८७
४४६	दिल्ली के अस्पताल	७८८
४४७	वी० एम० अस्पताल, त्रिपुरा	७८८–८९
४४८	देश में वायु शक्ति सन्यन्त्र	७८९
४४९	गगुंवान बिजली घर	७८९
४५०	चेचक के टीके	७८९–९०
४५१	गांधी सागर बांध	७९०
४५२	नगर आयोजन	७९१
४५३	पंजाब में भूमि का जलग्रस्त हो जाना . . .	७९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४५४	दिल्ली के इर्विन अस्पताल में एक वृद्ध की मृत्यु . .	७९२
४५५	ब्यास परियोजना	७९२–९३
४५६	आवास योजनाओं के लिये राज्यों को जीवन बीमा निगम सम्भरण .	७९३
४५७	केन्द्रीय राज्य वित्तीय सम्बन्ध	७९४
४५८	विदेश स्थित भारतीयों द्वारा धन भेजा जाना . .	७९४
४५९	राष्ट्रीय आय में वृद्धि	७९४–९५
४६०	सोने की बिक्री . . .	७९५
४६१	सोने की कीमत	७९५
४६२	हिन्दी अनुभागों में सहायक सम्पादक . . .	७९५–९६
४६३	अनुवादकों का वेतन क्रम . .	७९६
४६४	बाकी विदेशी ऋण . . .	७९६
४६५	गन्दी बस्तियों को हटाना	७९६–९७
४६६	कोरट्टी में फार्म प्रेस	७९७
४६७	गांधी समाधि, राजघाट	७९७
४६८	सन्याल शरणार्थी	७९८
४६९	आवास सहकारी समितियां . . .	७९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९८–८००

(१) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उपधारा-(४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रमाणित लेखे की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित ।

(२) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९४ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२२ में प्रकाशित कोयला खान बचाव (संशोधन नियम) १९६२ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(जारी)

(दो) दिनांक १३ नवम्बर, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू बी०—११ (३५)/६२ जो कि पटना के लोहा और इस्पात उद्योग के मजदूरों की मजूरी में अन्तरिम वृद्धि के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में है।

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१८।

(ख) दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३१५।

(ग) दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३६९।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१२।

(ख) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१३।

(ग) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१४।

(घ) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२१५।

(ङ) दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३१४।

(च) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३४७।

(छ) दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३६८।

(६) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति । :—

(क) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३५२ ।

(ख) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३५३ ।

गैर-सरकारी दस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ८००

दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ८००

सीमा शुल्क विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पर साक्ष्य सभा-पटल पर रखा गया ८००

सीमा शुल्क विधेयक, १९६२ सम्बन्धी प्रवर समिति पर दिये गये साक्ष्य की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी गयी ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन . . . . . . ८००—८०१

आठवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

विधेयक पुरस्थापित ८०१

बहुएकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२-६३ . . . ८०१—१५

वर्ष १९६२–६३ के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई ।

प्रस्तुत किये गये १० कटौती प्रस्तावों में से आठ अस्वीकृत हुए और दो सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये । मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ८१५—१६

नवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—चर्चा—स्थगित . . . ८१६—१७

श्री रघुनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया कि साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध के बारे में उनके संकल्प पर अग्रेतर चर्चा अगले सत्र तक स्थगित की जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैरसरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत . . . . ८१७—८५०

महाराजकुमार विजय आनन्द ने सभी नौजवानों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दिये जाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया ।

चर्चा समाप्त हुई तथा संकल्प अस्वीकृत हुआ :

१६ नवम्बर, १९६२/२५ कार्तिक, १८८४ (शक) के बारे में कार्यावलि .

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, (सम्भरण) संशोधन विधेयक तथा समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार और उनका पारित किया जाना । गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी विचार ।

GMGIPND—LSIII—2221(Ai)LSD—3-1-63—140,

	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	८१५–१६
साम्प्रदायिक संथाओं पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प—	८१६–१७
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प	८१७—५०
महाराज कुमार विजय आनन्द	८१७–१८
श्री स० मो० बनर्जी	८१८
श्री देश पांडे	८१८
श्री इन्द्रजीत गुप्त	८१८
श्री जवाहरलाल नेहरू	८१९–२०
श्री रंगा	८२०
श्री रणं जय सिंह	८२०–२१
श्री उ० मू० त्रिवेदी	८२२
श्री च० का० भट्टाचार्य	८२२
श्री कर्णी सिंह जी	८२२
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	८२२–२३
श्री म० ला० जाधव	८२३
श्री कछवाय	८२३–२४
श्री बिशन चन्द्र सेठ	८२४—२६
श्री काशीनाथ पांडे	८२६
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	८२६
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	८२६–२७
श्री विश्राम प्रसाद	८२७–२८
श्री शिव नारायण	८२८–२९
श्री राम सेवक यादव	८२९—३१
श्री ह० च० सोय	८३१–३२
श्री कृ० ल० मोरे	८३२
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	८३२—३४
श्री कुं० कृ० वर्मा	८३५–३६
श्री यशपाल सिंह	८३६—३८
श्री का० रा० गुप्त	८३८–३९
श्री मु० इस्माइल	८३९
श्री मुहम्मद ताहिर	८३९–४०
श्री मोहन स्वरूप	८४१–४२
श्री बाल्मीकी	८४२–४३
श्री धवन	८४३–४४
श्री विश्वनाथ राय	८४४–४५
श्री तुलसीदास जाधव	८४५–४६
श्री रा० स० तिवारी	८४६–४७
श्री दी० चं० शर्मा	८४७-४८
श्री रघुरामैया	८४८—५०
दैनिक संक्षेपिका	८५१—५६

PLS. 41. IX. 7. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पाचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।